वार्षिक प्रतिवेदन

2010-2011

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

2010-2011

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	उत्तराखण्ड में सूचना अधिकार आंकड़ों में	3
3	**अध्याय : 1** उत्तराखण्ड सूचना आयोग	7
4	**अध्याय : 2** आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों में की गयी संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	13
5	**अध्याय : 3** सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	17
6	**अध्याय : 4** लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति	33
7	**अध्याय : 5** आयोग के अंगीकृत संकल्प	43
8	**अध्याय : 6** आयोग की संस्तुतियां	51
9	**अध्याय : 7** वर्ष 2010 – 11 में आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश	55
10	**अध्याय : 8** वर्ष 2010 – 11 में आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां तथा अंकित आदेशों का सार	71
11	**अध्याय : 9** आयोग द्वारा धारा 25 के अंतर्गत की गयी अनुश्रवणात्मक कार्यवाही	83
12	**अध्याय : 10** आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें	89
13	**अध्याय : 11** ''सूचना वाहक'' सचल वीडियों कांफ्रैन्सिंग सेवा	137
14	**अध्याय : 12** वर्ष 2010 – 11 में आयोग को प्राप्त बजट एवं सम्प्रेक्षण कार्य	149

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2010 – 11 के लिए यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

इससे पूर्व उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने प्रथम (वर्ष 2005–06), द्वितीय (वर्ष 2006–07), तृतीय (वर्ष 2007–08), चतुर्थ (वर्ष 2008 – 09) तथा पंचम (वर्ष 2009 – 10) वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किये गये जिनमें से राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है। आयोग के पंचम वार्षिक प्रतिवेदन को अभी राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाना अवशेष है।

आयोग द्वारा पूर्व में तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदनों की तरह ही यह वार्षिक प्रतिवेदन भी मुख्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(2) में वर्णित लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को नियमानुसार क्रियान्वित करने की स्थिति पर केंद्रित है इसके साथ – साथ विभिन्न विवरणियों का श्रेणीबद्ध विश्लेषण, जैसे लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त अपीलें; आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि धारा 19(3) के अंतर्गत आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण; आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों आदि से संबंधित विवरण भी इस प्रतिवेदन में उपलब्ध कराये गये हैं इस वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तराखण्ड सूचना आयोग से संबंधित गतिविधियों तथा प्राप्त बजट एवं व्यय का विवरण भी दिया गया है।

वर्ष 2010 – 11 आयोग के लिए कई प्रकार से एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है. आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया अपने कार्यकाल के पांच वर्षों को बड़ी सफलता के साथ पूर्ण कर दिनांक 17/10/10 को सेवानिवृत्त हुये. उनके द्वारा किये गये कठोर परिश्रम के कारण ही प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को प्रत्येक स्तर पर समुचित रूप से लागू किया जा सका तथा इस कारण उत्तराखण्ड सूचना आयोग की गणना देश के प्रमुख सूचना आयोगों में की जाती है।

डा. आर. एस. टोलिया की सेवानिवृत्ति के उपरांत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19/10/10 को अधोहस्ताक्षरी को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया तथा दिनांक 19/10/10 को ही श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. इस प्रकार पूर्व में नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल को सम्मिलित करते हुये अब आयोग में सूचना आयुक्तों की संख्या चार हो गयी है।

माह अगस्त 2010 में उत्तराखण्ड सूचना आयोग सचल वीडियों कांफ्रैन्सिंग ''सूचना वाहक'' के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ दुर्गम / पहाड़ी क्षेत्रों की जनता से संवाद स्थापित करने वाला देश का प्रथम सूचना आयोग भी बना. इस सुविधा को केंद्र सरकार की प्लान स्कीम के अंतर्गत तैयार किया गया है. इस सुविधा के माध्यम से आयोग की सचल वीडियों कांफ्रैन्सिंग वैन प्रदेश के दूरस्थ दुर्गम / पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच कर वहां के जनसामान्य को मुख्य सूचना आयुक्त एव राज्य सूचना आयुक्तों से सीधे संवाद स्थापित कराती है. वीडियों कांफ्रैन्सिंग के माध्यम से जनसामान्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग के संबंध में अपने प्रश्न/जिज्ञासायें आयोग के

समक्ष रखते हैं तथा जिनका उत्तर/हल उसी समय मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2010 – 11 में आयोग को कुल 1843 द्वितीय अपीलें तथा 1586 शिकायतें प्राप्त हुयीं जिसमें से क्रमशः 1919 अपीलों तथा 1315 शिकायतों का आयोग स्तर से निस्तारण किया गया. इसी अवधि में प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को कुल 37976 सूचना अनुरोध पत्र प्राप्त हुये जिसमें से उनके द्वारा कुल 37316 प्रकरणों का निस्तारण किया गया. इस वर्ष आयोग में ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों में वृद्धि दर्ज की गयी है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों से अधिनियम का उपयोग अभी भी बहुत कम हो रहा है. विकासखण्ड एवं तहसील पर आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों में आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों एवं जनसामान्य के उपयोग के लिए प्रचार प्रसार सामग्री भी वितरित की जाती है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार – प्रसार के लिए राज्य सरकार समुचित प्रयास किये जाने अति आवश्यक हैं, जिससे राज्य की अधिक से अधिक ग्रामीण जनसंख्या इस अधिनियम का उपयोग लोकहित में कर सकें।

आयोग के पूर्व वार्षिक प्रतिवेदनों की भांति ही इस वार्षिक प्रतिवेदन में भी आयोग द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही हेतु संस्तुतियां की गयी हैं. मैं आशा करता हूं कि इस प्रतिवेदन में अंतर्निहित संस्तुतियों को परीक्षणोपरांत राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल के पटल में इन पर अपनी कृत कार्यवाहियों के साथ प्रस्तुत करेगी.

प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सफलता से क्रियान्वित कराने में तथा जनसामान्य में अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं अधिनियम के प्राविधानों का सही प्रकार से उपयोग करने के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा अथक प्रयास किये जाते रहे हैं तथा इस हेतु राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुये सराहनीय कार्य किया गया है.

मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार तथा विशेष रूप से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को सूचना का अधिकार अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आयोग को समय समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के अधिकारियों, विशेष रूप से श्री राजेश नैथानी, जन संपर्क अधिकारी, द्वारा जो विशेष प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड में
सूचना अधिकार आंकड़ों में

1	कुल लोक प्राधिकारी इकाईयां	212
2	कुल सहायक लोक सूचना अधिकारी	642
3	कुल लोक सूचना अधिकारी	9421
4	कुल प्रथम अपीलीय अधिकारी	1092

(स्रोतः लोक सूचना अधिकारियों की निर्देशिका, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, वर्ष 2007–08)

वर्ष 2010 – 11

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या				37,976*
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या				37,316*
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या				4,800*
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या				4,761*
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये				
	गृह	**राजस्व**	**आवास**	**विद्यालयी शिक्षा**	**परिवहन**
	5449*	5184*	4589*	4544*	2131*
6	**आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील**				
	कुल प्राप्त द्वितीय अपील		*कुल निस्तारण (विगत वर्ष की अवशेष अपीलो सहित)*		
	1843		1919		
7	**आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त शिकायत**				
	कुल प्राप्त शिकायत		*कुल निस्तारण (विगत वर्ष की अवशेष शिकायतों सहित)*		
	1586		1315		
8	आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षति पूर्तियों की संख्या				(173) 89 शास्ति 84 क्षतिपूर्ति
9	आरोपित शास्तियों / क्षति पूर्तियों की धनराशि (रु.)				6,04,311
10	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या				8

**प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर*

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अध्याय : 1

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253 / XXII / 2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252 / XXII / 2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी. इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780 / XXX(13)G / 2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था.

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया अपने कार्यकाल के पांच वर्षों को पूर्ण कर दिनांक 17 / 10 / 10 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19 / 10 / 10 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया. दिनांक 19 / 10 / 10 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. इस प्रकार वर्ष 2010– 11 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में को प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों पर सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर.एस. टोलिया एवं राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल के द्वारा (अप्रैल – 17 अक्टूबर, 2010) तथा मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन. एस. नपलच्याल एवं राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल, श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल द्वारा (19 अक्टूबर, 2010 – मार्च 2011) की गयी.

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं. इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी. इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विरोधी दल के नेता तथा मुख्य मंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे.

- अधिनियम की धारा 15 (5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो. इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये. उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नही होना चाहिये. इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये.

- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी।

- राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को संबोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं.

- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें व भत्ते भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के समान होंगें तथा राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगें. इस वेतन, भत्ते में से पिछली सेवा के पेंशन लाभों को घटा दिया जायेगा. इनके सेवा काल में वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी.

- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय वर्तमान में सैक्टर 1, सी 30, डिफैंस कालोनी, देहरादून से संचालित हो रहा है.

आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में सूचना आयोग किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है. ऐसी जांचों के संबंध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी है :

- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना

- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना

- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना

- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना

- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये.

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चिय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है. प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी. द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के संबंध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों.

- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है.

- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना.

- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्टीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना.

- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना.
- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना.

- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों मे से कोई शास्ति अधिरोपित करना

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा.

शास्ति

अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए किये गये अनुरोध को इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी. परंतु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा. अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है.

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं. इनमें मुख्यत : –

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है.

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को सूचना आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा.

- सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं.

- यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा.

वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के कियान्वयन के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट /प्रतिवेदन तैयार कर किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं. अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है.

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है।

आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

अध्याय : 2

आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के सफल कियान्वयन के लिए आयोग द्वारा विगत वार्षिक प्रतिवेदनों की भांति ही वर्ष 2009 – 10 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को निम्नलिखित 4 संस्तुतियां की गयी थीं :

संस्तुति : 1

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(अ) (iii) के अंतर्गत सामग्रियों के नमूने लेने के विषय में शासनादेश के माध्यम से अथवा नियम बना कर नमूने लेने की प्रक्रिया, वास्तविक लागत, फीस एवं अन्य व्यय के भुगतान की व्यवस्था का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए जिससे लोक प्राधिकारियों तथा जन सामान्य को इस संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं देय शुल्क का ज्ञान हो सके।

संस्तुति : 2

आयोग स्तर से अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत राज्य सरकार को समय–समय पर प्रेषित संस्तुतियों एवं सुझावों पर नोडल विभाग द्वारा परीक्षण कर उन पर समुचित कार्यवाही करते हुये आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए. विगत वर्षों में आयोग को यह आभास हुआ है कि नोडल विभाग के स्तर पर आयोग द्वारा प्रेषित संदर्भों, सुझावों तथा संस्तुतियों पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही हेतु विद्यमान वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है. अतः नोडल विभाग के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विषयों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एक सुदृढ़ प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी आवश्यक है.

संस्तुति : 3

विभागाध्यक्ष स्तर पर अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सूचना के अनुरोधों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया की विभागीय बैठकों के माध्यम से समीक्षा कर उन्हें यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे सूचना अनुरोधों तथा प्रथम अपीलों के निस्तारण में गुणवत्ता परिलक्षित हो तथा प्रार्थियों को द्वितीय अपील करने की आवश्यकता में भी कमी आये.

संस्तुति : 4

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार के स्तर पर शीघ्र एक कार्य योजना बनायी जानी चाहिए तथा अधिनियम के उपयोग के संबंध में विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए.

उपरोक्त संस्तुतियां पर राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही अभी अपेक्षित है.

आयोग द्वारा यह संस्तुतियां सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में समुचित रूप से लागू किये जाने में राज्य सरकार के स्तर से पूर्ण किये जाने वाले कार्यों को प्रभावी करने के उद्देश्य से अपने प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदन में की जाती रही हैं. इन संस्तुतियों को अधिनियम की धारा 25 में प्रदत्त प्राविधानों के क्रम में आयोग द्वारा प्रत्येक

वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर शासन के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किया जाता है तथा यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा आयोग की संस्तुतियों का परीक्षण करा कर उन्हें क्रियान्वित किये जाने पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी जिससे प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों की उपयोगिता और अधिक व्यापक होने में सफलता प्राप्त हो सकेगी.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने पूर्व के वार्षिक प्रतिवेदनों में की गयी संस्तुतियों की संख्या निम्नवत् है :

वर्ष	**संस्तुतियों की संख्या**
2005 – 06	03
2006 – 07	20
2007 – 08	08
2008 – 09	09
2009–10	04

* * *

सूचना आवेदन पत्रों,
द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों
का
संख्यात्मक विवरण

अध्याय : 3

सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

लोक प्राधिकारियों के स्तर से प्राप्त प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण निम्नवत् ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है ।

3.1 विभिन्न लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या

वर्ष 2010 – 11 में राज्य के विभिन्न लोक प्राधिकारी कार्यालयों में नामित लोक सूचना अधिकारियों को कुल 37976 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष कुल 37316 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण लोक सूचना अधिकारियों द्वारा किया गया. इस वर्ष गृह विभाग को सबसे अधिक 5449 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये. प्रोटोकॉल विभाग को सबसे कम, मात्र 01 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुया।

3.2 आयोग को लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या

वर्ष 2010 – 11 में प्राप्त द्वितीय अपीलों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग से संबंधित सबसे अधिक द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं. इसके बाद राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ऊर्जा विभाग तथा शहरी विकास विभाग से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या थी. सतर्कता विभाग, पुनर्गठन विभाग, नियोजन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग तथा प्रोटोकॉल विभाग से संबंधित द्वितीय अपीलों की संख्या न्यून रही।

3.3 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत

वर्ष 2010 – 11 में जनपद देहरादून से सर्वाधिक (43 प्रतिशत) द्वितीय अपीलें आयोग को प्राप्त हुयीं तथा इसके उपरांत हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों से द्वितीय अपीलें आयोग को प्राप्त हुयीं. उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों से प्राप्त द्वितीय अपीलों का प्रतिशत अत्यंत न्यून रहा।

3.4 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष प्रतिशत

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2010 – 11 में भी पुरूषों द्वारा ही अधिकतम (91 प्रतिशत) द्वितीय अपीलें आयोग को प्रेषित की गयी. महिलाओं द्वारा अधिनियम का प्रयोग अभी भी सीमित संख्या में किया जा रहा है।

3.5 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

वर्ष 2010 – 11 में शहरी क्षेत्रों से 77 प्रतिशत द्वितीय अपीलें आयोग को प्राप्त हुयीं. इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 23 प्रतिशत द्वितीय अपीलें आयोग को प्राप्त हुयीं।

3.6 आयोग में धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत

द्वितीय अपीलों की भांति देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या अधिक रही है जबकि चम्पावत, उत्तरकाशी तथा रूद्रप्रयाग जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या न्यूनतम रही है।

3.7 आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला – पुरूष प्रतिशत

आयोग में प्राप्त शिकायतों में भी पुरूषों द्वारा ही अधिकतम 92 प्रतिशत शिकायतें आयोग को प्रस्तुत की गयी हैं।

3.8 आयोग में प्राप्त शिकायतों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्रों से आयोग को वर्ष 2010 – 11 में कुल 38 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुयीं हैं जो इन क्षेत्रों से प्राप्त द्वितीय अपीलों से अधिक है।

* * *

लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2010–11)

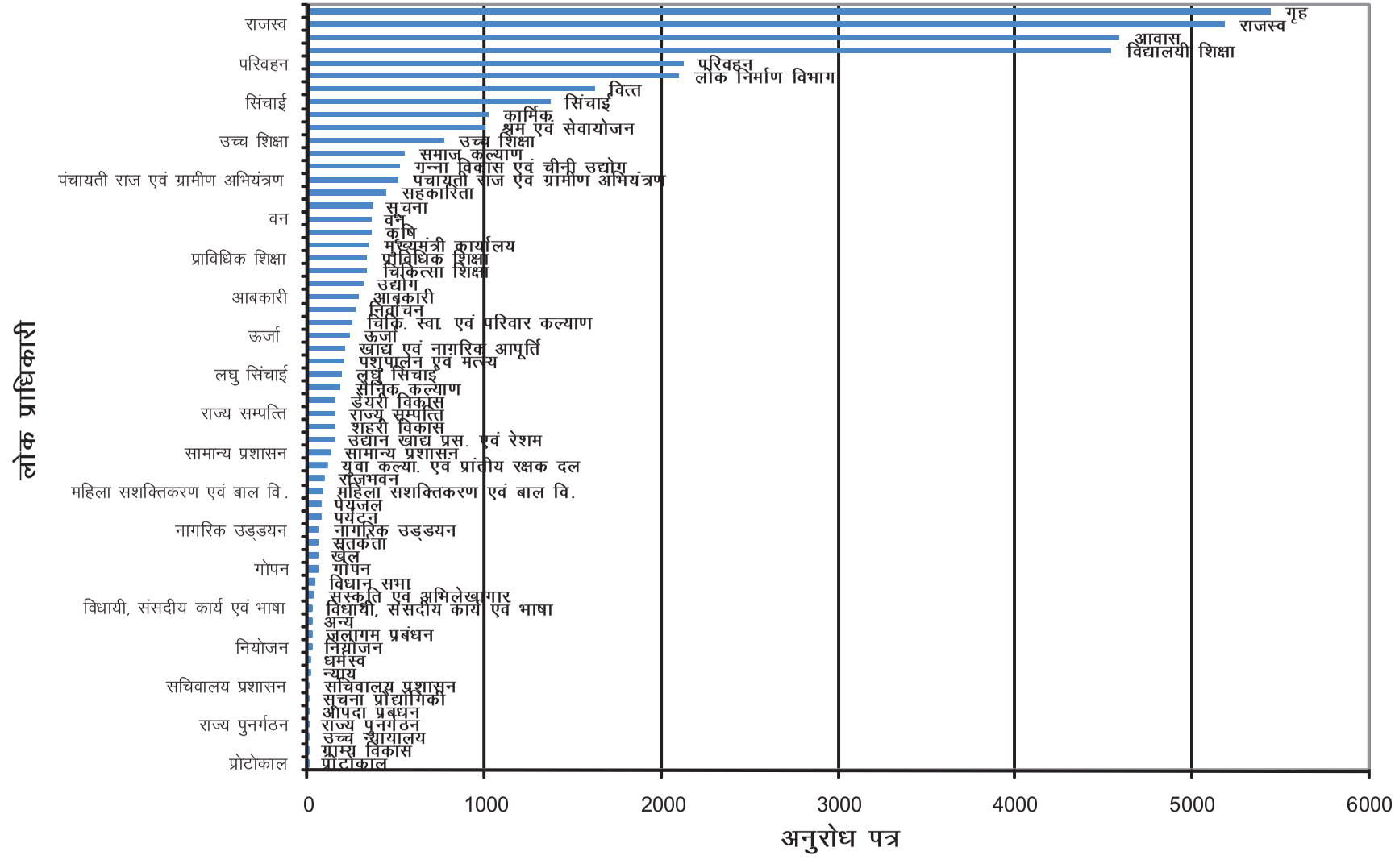

लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या
(2010 – 11)

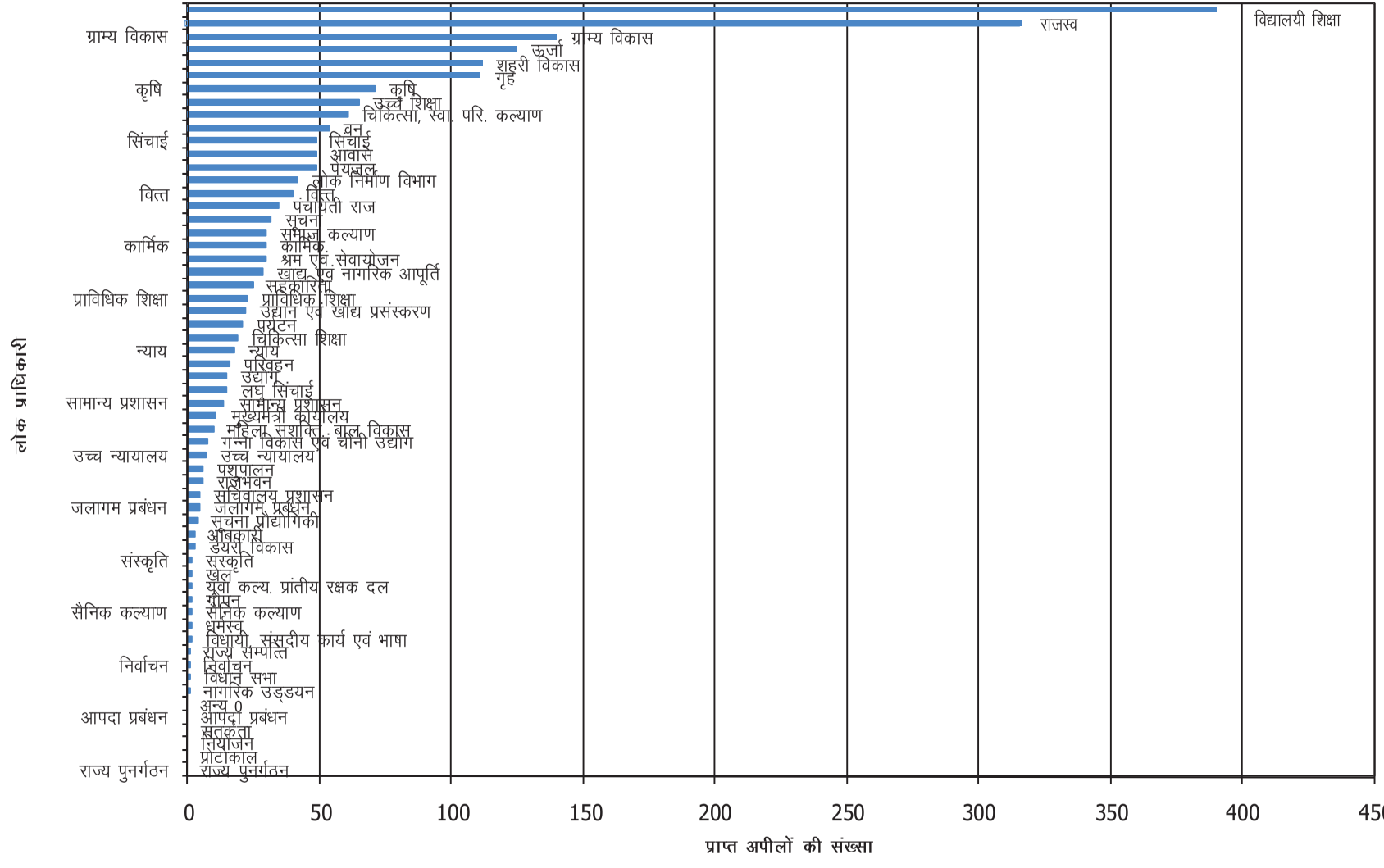

जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलें
(2010 – 11)

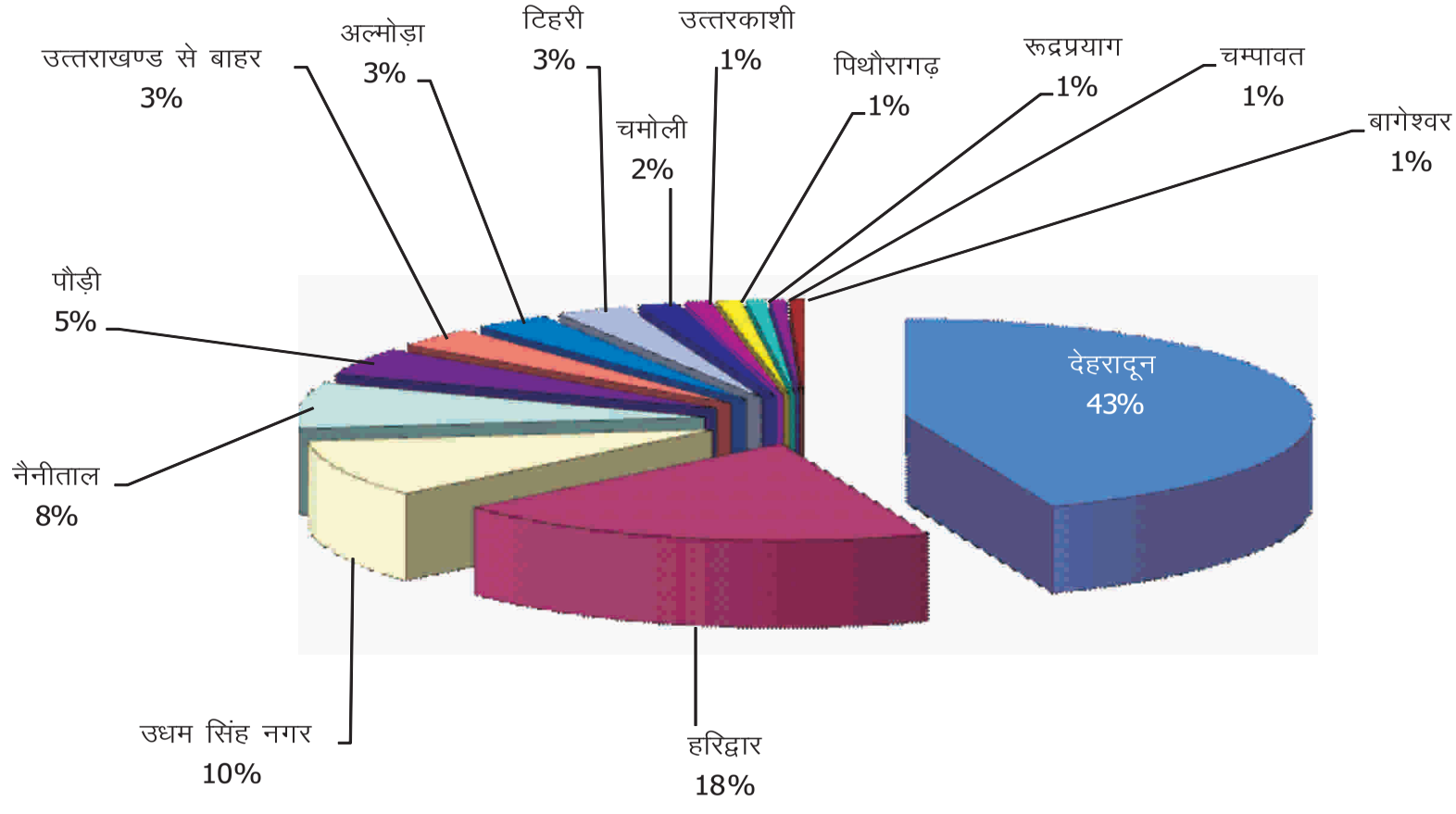

प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला पुरूष अनुपात
(2010 – 2011)

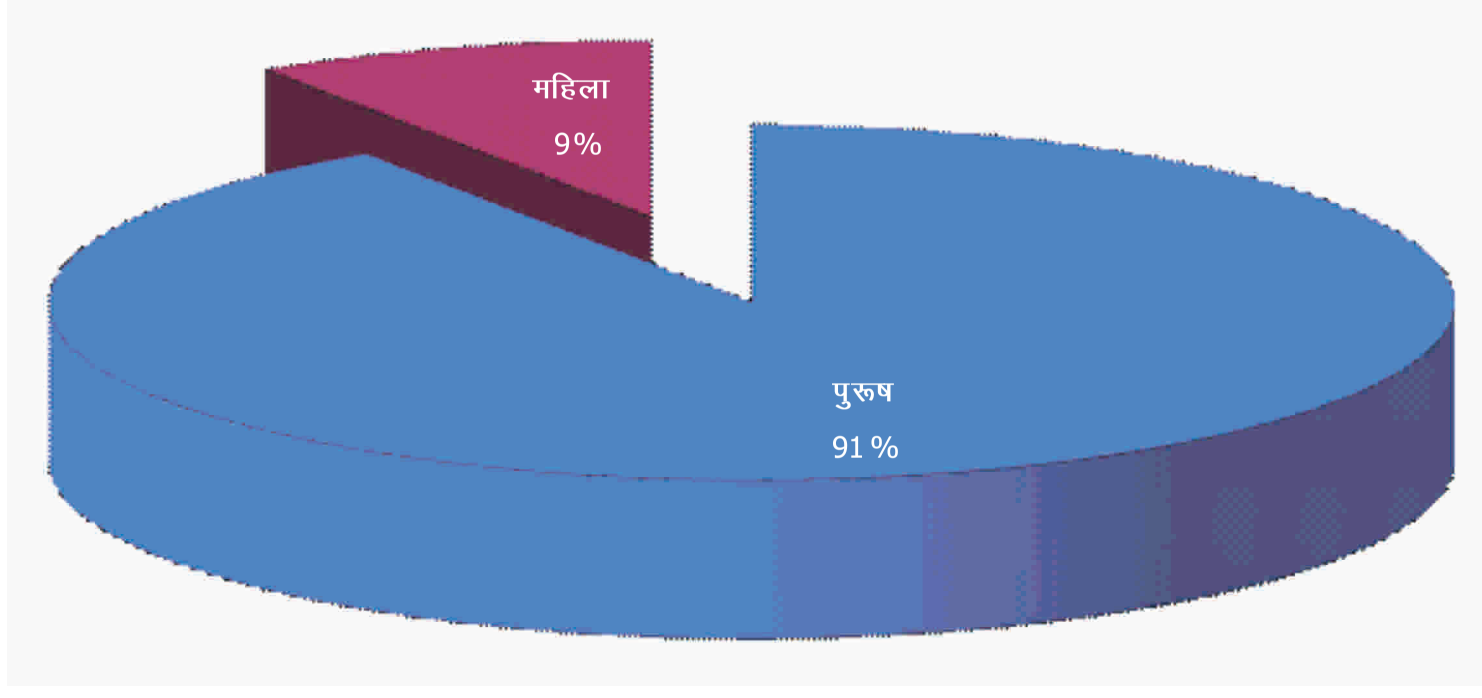

द्वितीय अपीलों का ग्रामीण शहरी अनुपात
(2010 – 11)

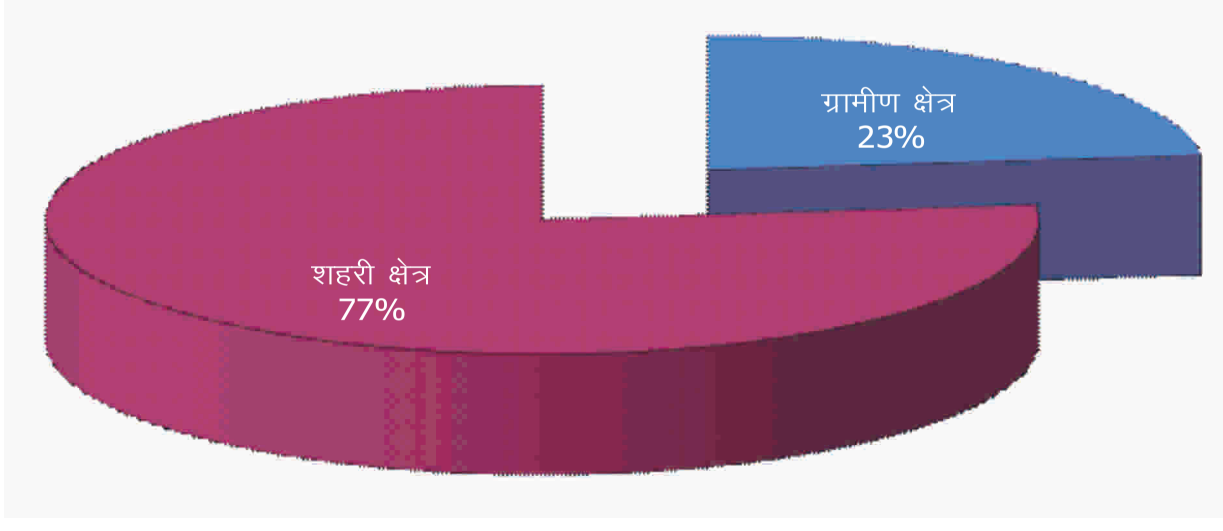

जनपदवार प्राप्त शिकायतें (2010 – 11)

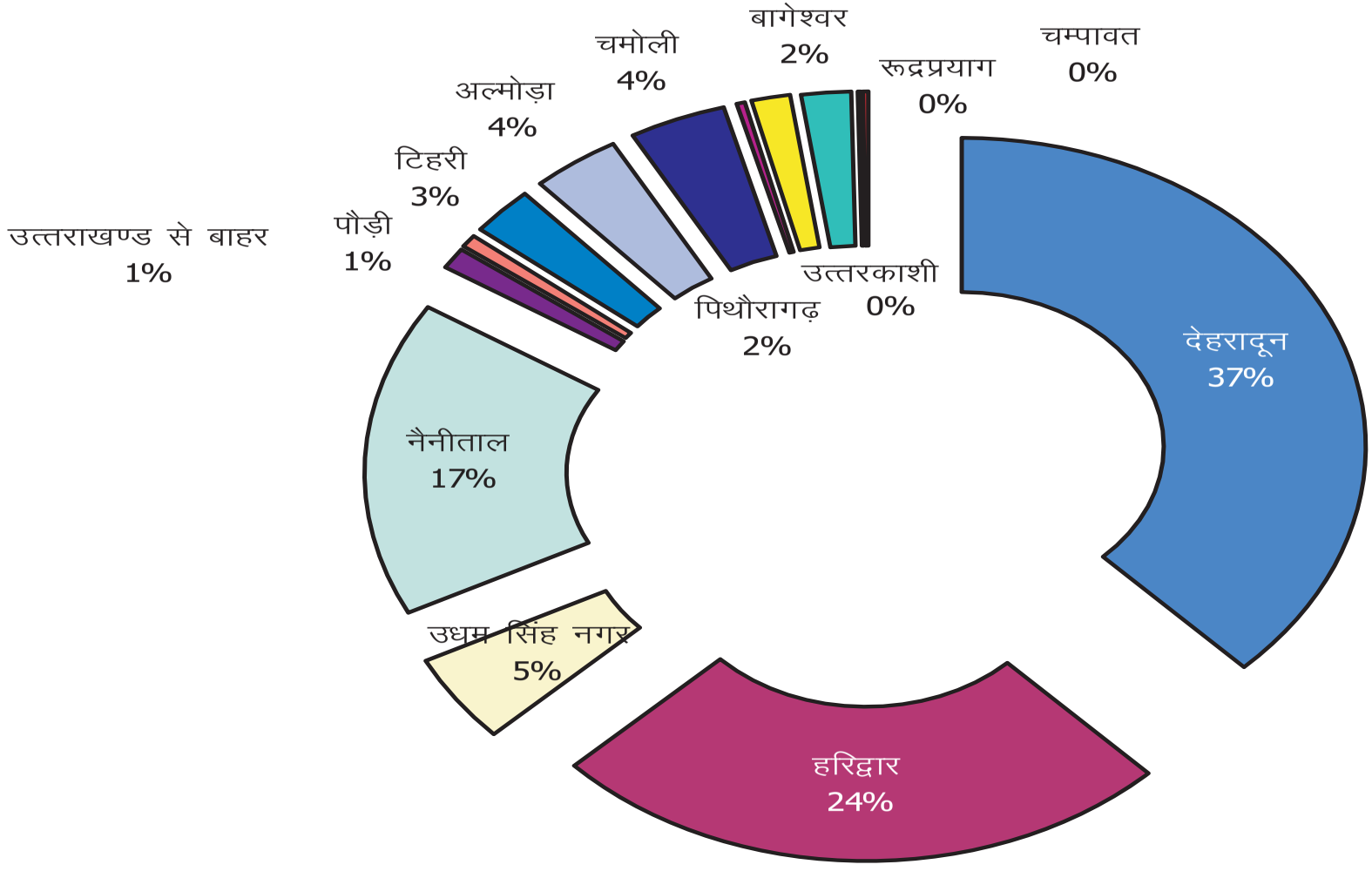

शिकायतों में महिला पुरूष अनुपात (2010 – 11)

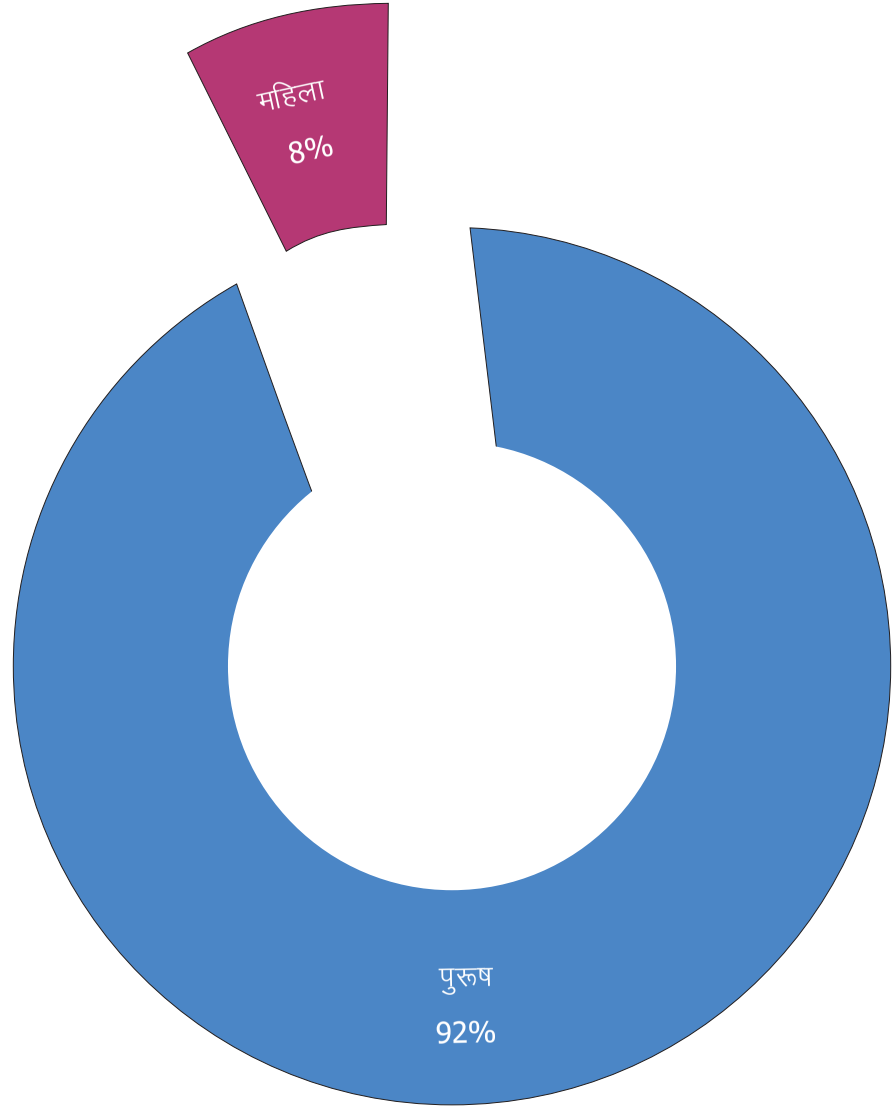

शिकायतों में ग्रामीण – शहरी क्षेत्र का अनुपात (2010 – 11)

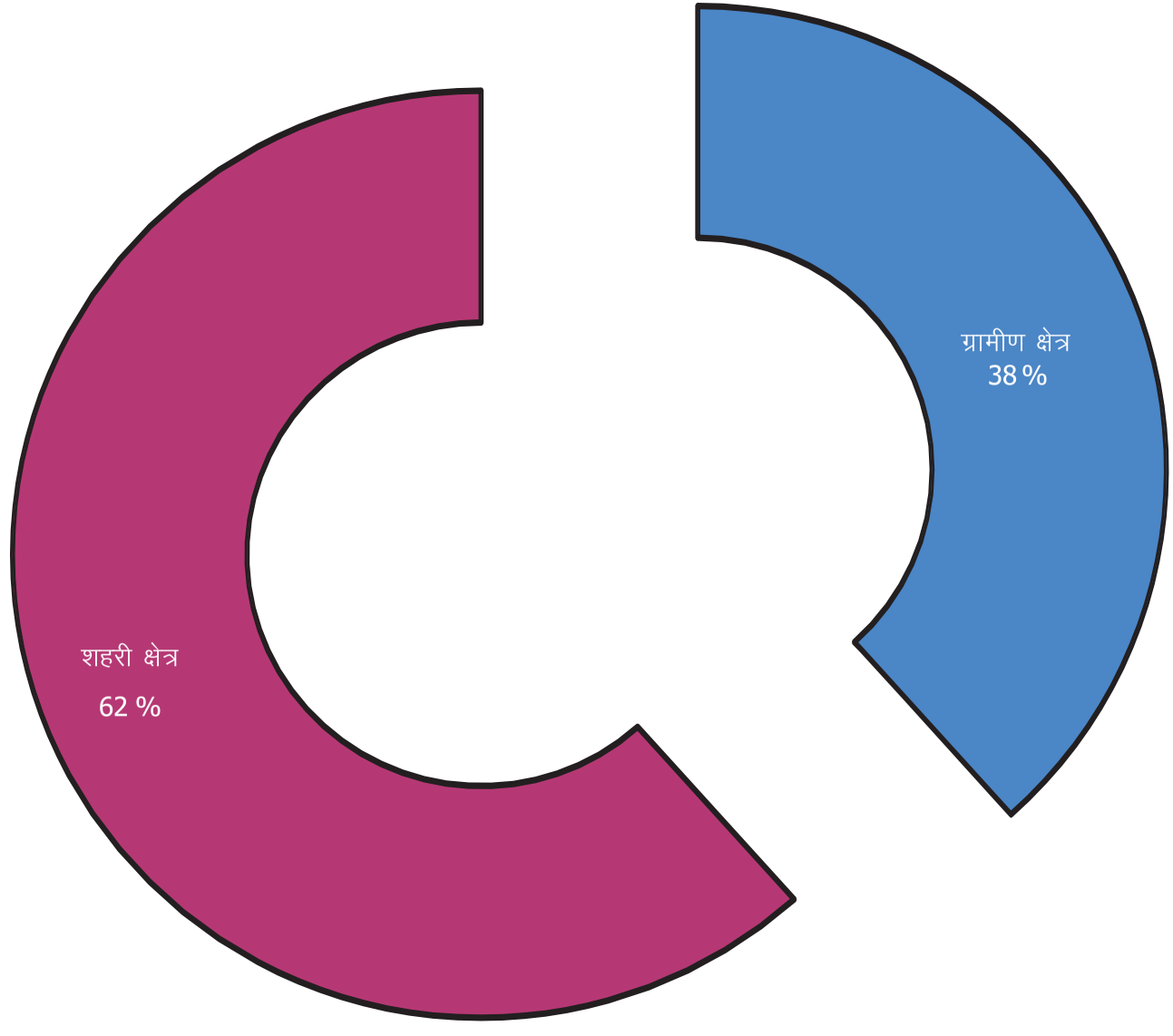

लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदनों का वर्षवार विवरण

क.	लोक प्राधिकारी / विभाग	प्राप्त आवेदन					
		2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि	49	192	129	419	483	369
2	पशुपालन	19	92	250	207	373	210
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	6	8	53	297	222	352
4	नागरिक उड्डयन	0	0	2	17	18	67
5	गोपन	4	4	6	23	30	61
6	सहकारिता	7	207	54	536	109	446
7	संस्कृति	4	46	42	118	121	38
8	डेयरी विकास	0	16	36	84	126	165
9	आपदा प्रबंधन	0	0	8	1	78	10
10	पेयजल	25	504	116	393	441	79
11	उच्च शिक्षा	29	146	246	811	624	776
12	विद्यालयी शिक्षा	43	2278	1277	3388	3861	4544
13	प्राविधिक शिक्षा	2	6	31	82	141	340
14	निर्वाचन	5	33	14	156	61	278
15	ऊर्जा	2	137	455	439	427	240
16	राज्य सम्पत्ति	2	2	22	28	160	161
17	सैनिक कल्याण	1	7	12	22	24	190
18	आबकारी	17	39	86	116	239	296
19	वित्त	34	349	501	898	1695	1625
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	8	275	407	53	211
21	वन	69	227	494	964	1344	369
22	सामान्य प्रशासन	23	2	4	0	0	136
23	चिकित्सा, स्वा. परि. कल्याण	21	97	179	716	404	260
24	गृह	68	566	1397	2729	3278	5449
25	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	1	176	430	819	1138	157
26	आवास	161	291	631	1360	1705	4589
27	उद्योग	25	122	154	241	286	321
28	सूचना प्रौद्योगिकी	2	4	16	10	25	11
29	सूचना	5	34	74	172	177	373
30	सिंचाई	23	492	2250	1019	781	1376
31	न्याय	0	11	26	60	25	14

32	श्रम एवं सेवायोजन	6	73	195	267	306	1014
33	चिकित्सा शिक्षा	4	52	193	203	239	339
34	लघु सिंचाई	13	51	104	193	308	199
35	पंचायती राज	1	96	260	313	854	517
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	0	0	2	2	6	30
37	कार्मिक	0	194	224	544	464	1029
38	नियोजन	1	1	9	9	21	26
39	प्रोटोकाल	0	2	1	2	5	1
40	लोक निर्माण विभाग	131	378	612	843	1184	2102
41	धर्मस्व	0	0	0	26	6	15
42	राजस्व	355	1620	2784	3417	1552	5184
43	ग्राम्य विकास	48	383	1029	722	695	2
44	सचिवालय प्रशासन	19	4	27	65	89	13
45	समाज कल्याण	15	162	138	195	634	552
46	खेल	4	17	4	9	117	66
47	राज्य पुनर्गठन	0	8	15	13	4	5
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	4	86	162	381	310	527
49	पर्यटन	20	84	109	139	106	77
50	परिवहन	13	115	222	843	1192	2131
51	शहरी विकास	94	190	57	2064	448	160
52	सतर्कता	0	0	2	19	24	66
53	जलागम प्रबंधन	5	24	26	40	67	28
54	महिला सशक्ति. बाल विकास	0	20	104	133	10	93
55	युवा कल्य. प्रांतीय रक्षक दल	3	15	11	60	30	118
56	राजभवन	0	6	26	48	74	95
57	विधान सभा	1	2	3	23	27	43
58	उच्च न्यायालय	0	12	4	13	9	3
59	अन्य	0	0	47	30	81	28
	योग	**1385**	**9691**	**15640**	**27148**	**27311**	**37976**

लोक प्राधिकारी / विभागवार मासिक प्रगति विवरण

वर्ष : 2010 – 11

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
											सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें											
											धारा 8 (1)								धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कृषि	369	369	0	55	39	0	6544													
2	पशुपालन एवं मत्स्य	210	210	0	22	22	0	4439													
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	352	352	0	23	23	0	3520													
4	नागरिक उड्डयन	67	66	0	0	0	0	90													
5	गोपन	61	61	0	0	0	0	610													
6	सहकारिता	446	446	0	119	117	0	9162													
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	38	38	0	5	5	0	180													
8	डेयरी विकास	165	165	0	10	14	0	7457													
9	आपदा प्रबंधन	10	10	0	0	0	0	20													
10	पेयजल	79	79	0	8	8	0	763													
11	उच्च शिक्षा	776	773	0	76	76	0	14757													
12	विद्यालयी शिक्षा	4544	4544	0	1546	1546	0	58260													
13	प्राविधिक शिक्षा	340	338	2	42	39	2	7280													
14	निर्वाचन	278	274	0	6	6	0	3653													
15	ऊर्जा	240	240	0	27	27	0	13589													
16	राज्य सम्पत्ति	161	161	0	2	2	0	2650													
17	सैनिक कल्याण	190	190	0	5	5	0	1116													
18	आबकारी	296	296	0	11	11	0	4331													

19	वित्त	1625	1264	350	115	115	28	35461															
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	211	211	0	0	0	0	8225															
21	वन	369	369	0	63	63	0	7168															
22	सामान्य प्रशासन	136	136	0	24	24	0	2636															
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	260	260	0	0	0	0	2322															
24	गृह	5449	5381	173	703	698	214	54299	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	94		
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	157	157	1	19	19	0	1369															
26	आवास	4589	4589	2	402	390	12	60368	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0		
27	उद्योग	321	321	0	17	17	0	15368															
28	सूचना प्रौद्योगिकी	11	11	0	1	1	0	100															
29	सूचना	373	373	0	78	86	0	11471															
30	सिंचाई	1376	1352	0	166	163	1	42119															
31	न्याय	14	14	0	2	2	0	10															
32	श्रम एवं सेवायोजन	1014	1014	0	142	142	0	11224															
33	चिकित्सा शिक्षा	339	339	0	35	35	0	4441															
34	लघु सिंचाई	199	199	0	28	28	0	14324															
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	517	517	0	4	4	0	3990															
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	30	30	0	0	0	0	0															
37	कार्मिक	1029	891	0	95	93	14	20917															
38	नियोजन	26	26	0	0	0	0	30															
39	प्रोटोकाल	1	1	0	0	0	0	10															
40	लोक निर्माण विभाग	2102	2059	0	240	236	0	28527															
41	धर्मस्व	15	15	0	0	0	0	150															
42	राजस्व	5184	5182	5	451	451	4	48172															
43	ग्राम्य विकास	2	2	0	2	2	0	20															
44	सचिवालय प्रशासन	13	13	0	3	3	0	130															
45	समाज कल्याण	552	547	0	40	40	0	4739															
46	खेल	66	66	0	1	1	0	1866															
47	राज्य पुनर्गठन	5	5	0	0	0	0	0															
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	527	527	0	7	7	0	11012															
49	पर्यटन	77	77	0	13	13	0	772															
50	परिवहन	2131	2123	0	120	117	21	42946															

51 शहरी विकास	160	160	0	10	10	0	660													
52 सतर्कता	66	65	3	3	3	0	515	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
53 जलागम प्रबंधन	28	28	0	1	0	0	326													
54 महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	93	93	0	15	15	0	1530													
55 युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल	118	118	0	4	4	0	1694													
56 राजभवन	95	95	0	32	32	0	3764													
57 विधान सभा	43	43	0	5	5	0	1572													
58 उच्च न्यायालय	3	3	0	0	0	0	30													
59 अन्य	28	28	0	2	2	0	310													
कुल योग	37976	37316	536	4800	4761	296	583008	0	0	0	1	1	1	2	2	0	2	0	0	94

लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सूचना देने से इंकार किये जाने का विवरण प्राप्त नहीं होना उचित नहीं है. लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यक है ताकि सही रिपोर्टिंग हो सके.

* * *

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

अध्याय : 4

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत स्व:प्रकटन की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) तथा धारा 4 के अंतर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosure) करने का प्राविधान है. अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से संबंधित सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके.

समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा जिन बिंदुओं पर मैनुअल तैयार किये जाने हैं, जैसा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

(i) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

(iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

(iv) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

(v) दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण

(vi) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण. साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठ कें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पंहुच होगी.

(vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ.

(viii) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एव उत्तरदायित्व के स्तर सहित).

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका.

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति.

(xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विरण की सूचना सहित).

(xii) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है.

(xiii) रयायतों, अनुज्ञा पत्रों तथ प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण.

(xiv) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक / नियम.

(xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे.

(xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण. किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण.

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये.

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की गअपप के अनुसार उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मैनुअलों का प्रतिवर्ष अद्यावधिकरण कराया जाना अनिवार्य है. परंतु लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त मैनुअलों का वार्षिक या तो अद्यावधिकरण नहीं किया जा रहा है अथवा वार्षिक रूप से नियत एक समयावधि के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है. शासन स्तर से इस समस्त लोक प्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है. वार्षिक अद्यावधिकरण के पश्चात समस्त ऐसे मैनुअलों को विभाग / जनपद / शासन की वैबसाईट / पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.

* * *

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार मैनुअलों की सूची

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग	
1	**कृषि विभाग**	
	1.1	कृषि निदेशालय
	1.2	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद
2	**पशुपालन विभाग**	
	2.1	पशुपालन निदेशालय
	2.2	मतस्य निदेशालय
	2.3	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड
3	**मुख्य मंत्री कार्यालय**	
4	**नागरिक उड्डयन**	
	4.1	नागरिक उड्डयन निदेशालय
5	**गोपन**	
6	**सहकारिता**	
	6.1	सहकारिता निदेशालय
7	**संस्कृति**	
	7.1	संस्कृति निदेशालय
8	**डेयरी विकास**	
	8.1	दुग्ध आयुक्त
9	**आपदा प्रबंधन**	
	9.1	आपदा प्रबंधन निदेशालय
10	**पेयजल**	
	10.1	स्वजल परियोजना
	10.2	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान
	10.3	उत्तराखण्ड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम
11	**उच्च शिक्षा**	
	11.1	कुमांऊ विश्वविद्यालय
	11.2	दून विश्वविद्यालय
	11.3	उच्च शिक्षा निदेशालय

12	**विद्यालयी शिक्षा**	
	12.1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय
	12.2	सर्व शिक्षा अभियान
13	**प्राविधिक शिक्षा**	
	13.1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
	13.2	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद
14	**निर्वाचन**	
	14.1	राज्य निर्वाचन आयोग
15	**ऊर्जा**	
	15.1	उरेडा
	15.2	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
	15.3	पिटकुल
	15.4	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.
16	**राज्य सम्पत्ति**	
	16.1	राज्य सम्पत्ति विभाग
17	**सैनिक कल्याण**	
	17.1	सैनिक कल्याण निदेशालय
18	**आबकारी विभाग**	
	18.1	आबकारी आयुक्त
19	**वित्त विभाग**	
	19.1	आयुक्त वाणिज्य कर
	19.2	निबंधक, फर्म सोसाईटी एवं चिट्स
	19.3	लेखा एवं हकदारी, निदेशालय
	19.4	मनोरंजन कर विभाग
20	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**	
	20.1	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
21	**वन**	
	21.1	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
	21.2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क
22	**सामान्य प्रशासन विभाग**	
23	**चिकित्सा एवं परिवार कल्याण**	
	23.1	ई.एम.आर.आई. सेवा
24	**गृह**	
	24.1	महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस
	24.2	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण
25	**उद्यान**	
	25.1	उद्यान निदेशालय

	25.2	रेशम निदेशालय
	25.3	भेषज विकास इकाई
26	**आवास**	
	26.1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
	26.2	हरिद्वार विकास प्राधिकरण
	26.3	वरिष्ठ नियोजक, शहरी एवं ग्राम विकास
27	**उद्योग**	
	27.1	उद्योग निदेशालय
28	**सूचना प्रोद्यौगिकी**	
	28.1	आई.टी.डी.ए.
	28.1	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग
29	**सूचना एवं लोक संपर्क**	
	29.1	सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय
30	**सिंचाई**	
	30.1	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)
31	**न्याय**	
	31.1	न्याय विभाग
32	**श्रम एवं सेवायोजन**	
	32.1	श्रम आयुक्त
33	**चिकित्सा शिक्षा**	
	33.1	होमयोपैथी निदेशालय
34	**लघु सिंचाई**	
	34.1	लघु सिंचाई
35	**पंचायती राज**	
	35.1	पंचायती राज निदेशालय
	35.2	मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
36	**विधायी**	
	36.1	विधायी विभाग
37	**कार्मिक**	
	37.1	कार्मिक विभाग
	37.2	लोक सेवा अधिकरण
	37.3	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
38	**नियोजन**	
	38.1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम
	38.2	भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण
	38.3	आर्थिक नियोजन निदेशालय

39	**प्रोटोकॉल**	
	39.1	प्रोटोकॉल
40	**लोक निर्माण विभाग**	
	40.1	लोक निर्माण विभाग सचिवालय स्तर
	40.2	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)
41	**धर्मस्व**	
	41.1	श्री बद्री केदार मंदिर समिति
42	**राजस्व**	
	42.1	राजस्व पुलिस
	42.2	मुख्य राजस्व आयुक्त
43	**ग्राम्य विकास**	
	43.1	आयुक्त, ग्राम्य विकास
	43.2	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान
44	**सचिवालय प्रशासन**	
	44.1	सचिवालय प्रशासन
45	**समाज कल्याण**	
	45.1	समाज कल्याण निदेशालय
	45.2	अन्य पिछड़ी जाति आयोग
	45.3	अनुसूचित जाति जनजाति आयोग
46	**खेल**	
	46.1	खेल निदेशालय
47	**पुनर्गठन**	
48	**गन्ना एवं चीनी**	
	48.1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी
49	**पर्यटन**	
	49.1	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
	49.2	कुमांऊ मण्डल विकास निगम
	49.3	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
	49.4	राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान
50	**परिवहन**	
	50.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम
51	**शहरी विकास**	
52	**सतर्कता**	
	52.1	सतर्कता ब्यूरो

53	**जलागम**	
	53.1	जलागम प्रबंध निदेशालय
54	**महिला एवं बाल विकास**	
	54.1	राज्य महिला आयोग
55	**युवा कल्यण**	
	55.1	युवा कल्याण निदेशालय
56	**राजभवन**	
	56.1	राजभवन
57	**विधान सभा**	
	57.1	विधान सभा
58	**उच्च न्यायालय**	
	58.1	उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड
	59.1	महाधिवक्ता कार्यालय

* * *

आयोग के
अंगीकृत संकल्प

दिनांक 15/09/2010 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की 26 वीं बैठक में पारित संकल्प

दिनांक : 15/09/2010

उपस्थिति :

1. डॉ. आर. एस टोलिया मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड

2. श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.

प्रस्ताव 1 : मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 310/पी.एस.–मु.स./2010 दिनांक : देहरादून, सितम्बर 10, 2010 जो मुख्य सूचना आयुक्त को पृष्ठांकित है, पर विचार.

मुख्य सचिव कार्यालय उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 310/पी.एस.–मु.स./2010 दिनांक : देहरादून, सितम्बर 10, 2010 आयोग को प्राप्त हुआ, जो निम्नवत है :

मुख्य सचिव कार्यालय में प्रथमतः आदेश संख्या 245/मु.स./नि.स./2006, दिनांक 25.11.2006 के द्वारा बिनी किसी सम्यक परीक्षण के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये गये थे. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मुख्य सचिव कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने के औचित्य के प्रश्न पर सम्यक परीक्षण एवं विचारोपारांत निम्न तथ्य उद्घाटित होते हैं :

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाली कोई भी ऐसी सूचना यथा – अभिलेख, दस्तावेज, मेमोज (Memos), ई–मेल्स, रायें, सलाहें, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक्स, संविदायें, रिपोटर्स, पेपर्स, नमूने, मॉडल्स आदि मुख्य सचिव कार्यालय में अभिरक्षित नहीं की जाती हैं जिस तक लोक पदाधिकारी के रूप में मुख्य सचिव की अथवा मुख्य सचिव कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो.

2. उत्तरांचल कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2006 तथा इस नियमावली के अंतर्गत निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 1093/XXXI(1)/2006, दिनांक 28.08.2006 के द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय को न तो कोई कार्य विनिर्दिष्ट किया गया है और न ही कोई विषय मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सीधे व्यवहृत होता है.

3. अप्रैल, 2007 में उत्तराखण्ड शासन के लोक सूचना अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित लोक प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपील प्राधिकारियों की निर्देशिका) में मुख्य सचिव को लोक प्राधिकारी एवं मुख्य सचिव कार्यालय के किसी भी अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी अधिसूचित नहीं किया गया है. अतः बिना शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा सम्यूकरूपेण अधिसूचित किये मुख्य सचिव को लोक प्राधिकारी माना जाना तथा मुख्य सचिव कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को नामांकित किया जाना उचित नहीं है.

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड

4. सूचना का अधिकार विषय से संबंधित प्रशासनिक विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 462/XXXI(13)G/2010 दिनांक 21.06.2010 में मा. मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के संबंध में यह उल्लेख किया गया है – "किसी भी मामले में निर्णय लिये जाने के पश्चात आदेश इत्यादि जारी करने के संबंध में कार्यवाही संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाती है एवं अभिलेख भी संरक्षित रखे जाते हैं. स्वभाविक तौर पर ऐसे मामलों में सूचना संबंधित प्रशासनिक विभाग के पास ही उपलब्ध होगी, न कि मुख्य मंत्री कार्यालय में. मुख्य सचिव कार्यालय भी सामान्यतः मुख्य मंत्री कार्यालय की भांति ही कार्य करता है. अतः इस दृष्टि से भी मुख्य सचिव कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को नामांकित किये जाने का औचित्य सिद्ध नहीं होता है.

5. व्यवहारिक रूप से भी यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि मुख्य सचिव कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगे जाने की स्थिति में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है क्योंकि मुख्य सचिव कार्यालय में सूचना उपलब्ध न होने के कारण सूचना हेतु प्राप्त आवेदन पत्र मुख्य सचिव कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अंतरित कर दिया जाता है. यदि आवेदक सीधे संबंधित लोक सूचना अधिकारी से सूचना की मांग करेगा तो उसे वांछित सूचना अपेक्षाकृत कम समय में उपलब्ध हो सकेगी.

उक्त तथ्यों के आलोक में मुख्य सचिव कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को नामांकित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है. अतः एतद्द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय में नामांकित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नामांकन आदेश निरस्त किये जाते हैं.

संकल्प : 1

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप पर विचार किया गया. इस संबंध में आयोग द्वारा निस्तारित अपील संख्या अ–962/2008, श्री सोहन लाल उनियाल बनाम लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन व अन्य में आयोग द्वारा अपना निर्णय 23.12.2008 को निर्गत किया जा चुका है जो कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत कार्यालय ज्ञाप से संबंधित बिन्दुओं पर ही है. सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत आयोग द्वारा अपील संख्या अ–962/2008 में लिया गया निर्णय अंतिम है तथा सभी लोक प्राधिकारियों पर बाध्यकारी है. उत्तराखण्ड शासन या अन्य कोई लोक प्राधिकारी उपरोक्त विषय पर अन्यथा निर्णय लेने के लिये विधिवत अधिकृत नहीं है. मुख्य सचिव कार्यालय से यह अपेक्षित था कि वे प्रश्नगत बिंदुओं पर अपना पक्ष अपील संख्या अ–962/2008 की सुनवाई के दौरान ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत करते. चूंकि आयोग द्वारा लिया गया उपरवर्णित निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी है. क्योंकि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप वैधानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है अतः इससे उत्पन्न किसी भी प्रकार के भ्रम का निराकरण किया जाना आवश्यक है.

आयोग द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को अधिकृत किया जाता है कि वे आयोग के इस संकल्प से सचिव, सामान्य प्रशासन, मुख्य सचिव कार्यालय तथा आयोग के यहाँ सूचीबद्ध प्रत्येक लोक प्राधिकारी को इस संकल्प की प्रति प्रेषित करेंगे जिससे इस विषय किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे. इस संकल्प की प्रति जनसामान्य की सूचना के लिये भी समुचित रूप से प्रचार–प्रसार के लिये पृष्ठांकित हो. आयोग का उक्त निर्णय आयोग की वैबसाईट http://uic.gov.in पर जन–सामान्य की जानकारी के लिए उपलब्ध है.

(विनोद नौटियाल)
राज्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड

प्रस्ताव : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम की 5वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों पर विचार.

संकल्प : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम की 5वीं वर्ष गांठ के संबंध में विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 12/10/2010 को सूचना का अधिकार अधिनियम की 5वीं वर्षगांठ मनायी जाये. सचिव, सूचना आयोग को निर्देशित किया गया कि वर्षगांठ आयोजन के संबंध में वे अपेक्षित कार्यवाही करें.

3. आदेशित किया गया कि उपरोक्त अनुमोदित संकल्प को बैठक की निर्धारित पंजिका में भी चस्पा किया जाना सुनिश्चित किया जाये.

(विनोद नौटियाल)
सूचना आयुक्त

(विनोद नौटियाल)
राज्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड

दिनांक 28/10/2010 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की 28 वीं बैठक का कार्यवृत्तः

दिनांक : 28/10/2010

उपस्थिति :

1. **श्री नृप सिंह नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.**
2. **श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.**
3. **श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.**
4. **श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड.**

1. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं माननीय राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा विचाराधीन वादों को सुने जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया :

1.1 माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के पत्र संख्या 8986 दिनांक 25.10.2010 के द्वारा जिन विभागों का आबंटन किया गया था उनके सभी वाद (पंचायत/विकास खण्ड/ जनपद/ मुख्यालय/ सचिवालय स्तर) पर मुख्य सूचना आयुक्त/सम्बन्धित आयुक्तों के द्वारा ही सुने जायेगें।

2. जिन वादों पर पूर्व में सुनवाई माननीय श्री नौटियाल जी द्वारा की गयी (Part heard) उन वादो की सुनवाई उन्हीं के द्वारा की जायेगी। यदि पूर्व में श्री नौटियाल द्वारा सुने गये प्रकरण को नव नियुक्त राज्य सूचना आयुक्तो के द्वारा सुन लिया गया है तो अग्रेतर सुनवाई भी उन्हीं नव नियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा की जायेगी. शेष सभी नये वाद (अपील एवं शिकायत) मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के पत्रांक 8986 के क्रम में नियत किया जायेगा।

2.1 आयोग एवं एन.आई.सी. (National Informatie Centre) के संयुक्त तत्वाधान में वीडियों कान्फ्रेसिंग किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया जिसमें एन.आई.सी. के निदेशक डा0 शुक्ला एवं श्री अरविन्द दधीचि द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

2.2 जिला मुख्यालयों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये उत्तराखण्ड सूचना आयोग कार्यालय में एक Land Line स्थापित की जायेगी।

2.3 आयोग द्वारा प्रमुख सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी से अनुरोध किया जायेगा कि वे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक सभी सुविधायें/उपकरण आयोग को उपलब्ध करायेगें।

2.4 सचिवालय स्थित N.I.C. परिसर में पूर्व स्थापित वीडयों कान्फ्रेन्सिंग को आयोग के समस्त राज्य सूचना आयुक्त अवलोकित करेंगे।

3. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्तों के शासकीय वाहनों पर लाल बत्ती लगाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में शासन से कृत पत्राचार का संज्ञान लिया गया एव यह निश्चित किया गया कि इस विषय पर परिवहन विभाग को इस आशय का एक संदर्भ तत्काल भेजा जाय कि महानुभावों की गाडियों पर लाल बत्ती लगाये जाने के सम्बन्ध में एक अधिसूचना तत्काल जारी करायी जाय।

4. राज्य सूचना आयोग में स्टाफ की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन को भेजे गये संदर्भ पर विचार –विमर्श हुआ। श्री प्रभात डबराल माननीय राज्य सूचना महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि इस विषय पर जो भी संदर्भ भेजा गया है कि इसकी प्रति उन्हें भी अवलोकित करायी जाय।

5. आयोग में तैनात विधि सलाहकार को संविदा पर रखे जाने की तिथि दिनांक 31.10.2010 को समाप्त होने के परिपेक्ष्य में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आयोग में विधिक सलाह हेतु अग्रेतर 6 माह का अनुबन्ध बढाया जाये।

6. सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिये राज्य के दूर –दराज के क्षेत्रों में भ्रमण किये जाने विषयक चर्चा की गयी एवं यह निम्नवत निर्णय लिये गये।

6.1 प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त द्वारा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाय. 15 दिन बाद अगली बैठक में इस विषय पर चर्चा की जायेगी।

6.2 सभी माननीय राज्य सूचना आयुक्त अपने–अपने क्षेत्रों में सूचना के अधिकार का प्रचार –प्रसार की व्यवस्था बढाये जाने हेतु स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगे।

6.3 माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम की जागरूकता में वृद्धि लाने हेतु शासन के स्तर पर क्या–क्या व्यवस्थायें की गयी है. उसकी जानकारी तत्काल आयोग को अवगत करा दी जाय।

7 माननीय आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समस्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को स्थानीय संवाद के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रत्येक दिन जन सम्पर्क अधिकारी को निर्देशित किया जायेगा एवं आयोग के जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट आदेशों का आलेख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अधिकृत पत्रकारों को उपलब्ध कराया जायेगा।

8 माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रभात डबराल द्वारा एक शाखा खोले जाने एवं एक सहायक नियुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी क्योकि सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियावन्यनता के सम्बन्ध में प्रतिदिन मानिंटरिंग किया जाना आवश्यक है।

8.1 माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री प्रभात डबराल द्वारा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर किये जा रहे निस्तारण पर यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराये जाने की दिशा में सुनिर्दिष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिये।

8.2 माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य राजस्व आयुक्त से उनके द्वारा अपनायी गयी अपीलीय अधिकारी स्तर पर लिये जाने वाले उत्तम व्यवहार (Best Practice) की रिपोर्ट की प्रति मॉगी जाये एवं तदनुसार समस्त लोक प्राधिकारियों को अवगत कराया जाय।

9. माननीय आयोग द्वारा सर्व सम्पत्ति से यह निर्णय लिया गया है कि सभी वादों पर पारित आदेश की प्रति पर ही आयोग की रजिस्ट्री द्वारा प्रेषण कर दिया जायेगा. पृथक से आमुख पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार शुभ दीपावली के अभिनन्दन कार्ड छपवाये जाने की संस्तुति की जाय।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(विनोद नौटियाल)	(प्रभात डबराल)	(अनिल कुमार शर्मा)	(नृप सिंह नपलच्याल)
राज्य सूचना आयुक्त,	राज्य सूचना आयुक्त,	राज्य सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त

* * *

आयोग की संस्तुतियां

अध्याय : 6

आयोग की संस्तुतियां

आयोग द्वारा इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को निम्नलिखित संस्तुतियां प्रेषित की जा रही हैं. इन संस्तुतियों को क्रियान्वित किये जाने से सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का लोक प्राधिकारियों तथा जनसामान्य के द्वारा सफल क्रियान्वयन में सहायता प्राप्त होगी।

संस्तुति : 1

वर्तमान में आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थापित है जिसमें पूरे प्रदेश से प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण मुख्य सूचना आयुक्त तथा तीन राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा किया जाता है. प्रदेश के पर्वतीय तथा दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों से अपनी अपीलों तथा शिकायतों की पैरवी करने तथा सुनवाई में उपस्थित होने के लिए लोगों को काफी समय एवं धन व्यय करना पड़ता है तथा दूरस्थ अंचलों से देहरादून तक आने जाने की कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है.

आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालयों को खालने के संबंध में दिनांक 14/03/06 को तत्कालीन मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप यदि कुमांऊ मण्डल में अल्मोड़ा तथा गढ़वाल मण्डल में श्रीनगर में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायें तो प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम अंचलों की जनता को अत्यंत सुविधा होगी तथा उनके निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में उनकी द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण किया जा सकेगा.

इस संबंध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आयोग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 22/02/07 तथा अग्रेतर अन्य तिथियों को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने एवं पद स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था परंतु इस पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है.

आयोग की संस्तुति है कि आयोग के उपरोक्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर शीघ्र निर्णय ले कर कार्यवाही की जाये.

संस्तुति : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यालय / ईकाई द्वारा अपने यहां प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोध पत्रों के नियमानुसार निस्तारण के लिए लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया जाना आवश्यक है. इसी क्रम में सचिवालय स्तर पर भी लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया भी गया है. आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय यह तथ्य परिलक्षित होता है कि सचिवालय के स्तर पर कई विभागों में समीक्षा अधिकारियों को भी लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जा रहा है जबकि अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए समीक्षा अधिकारियों को संबंधित अनुभाग अधिकारी / अनु सचिव के स्तर से सूचना प्राप्त करनी होती है तथा अनुमोदन लेना हेाता है. इससे जहां एक ओर परिहार्य समय व श्रम व्यर्थ होता है वहीं दूसरी ओर अनुरोधकर्ता को नियमानुसार समयांतर्गत सूचना उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं हो पाता है.

आयोग की यह संस्तुति है कि सचिवालय स्तर पर न्यूनतम अनु सचिव स्तर के अधिकारियों को ही लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जाये जिससे प्रार्थियों को नियमानुसार तथा समय से सूचना उपलब्ध करायी जा सके.

संस्तुति : 3

आयोग की संस्तुति है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आयोग के स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरे जाने के संबंध में आयोग की जो सेवा नियमावली तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी है उसका शासन स्तर पर अविलम्ब परीक्षण कर उसे स्वीकृत किया जाये जिसके उपरांत आयोग के स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरे जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके. इससे आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाना संभव हो सके.

संस्तुति 4

विभिन्न विभागों के प्रकरणों व विशेषकर राजस्व विभाग की सुनवाई के मध्य यह तथ्य संज्ञान में आया है कि राजस्व विभाग में अभिलेखों यहॉ तक कि विभिन्न बन्दोबस्तों, खतौनियों, नक्शों, खसरों आदि का कई वर्षों से विधिवत रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। कई प्रकरणों में देहरादून में राजस्व विभाग के तहसील स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्णित दाखिल खारिज के प्रकरणों में पत्रावलियॉ उपलब्ध नहीं हैं। यहॉ तक कि पिछले 2–3 वर्षों की उपलब्धता के बारे में तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है।

जाति प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों के रख–रखाव के सम्बन्ध में स्पष्ट नियमावली बने होने पर भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, राजस्व विभाग में उक्त अभिलेखों के सम्बन्ध में अब 2012 में एक शासनादेश निर्गत किया है। राजस्व व न्याय विभाग अकेला ऐसा विभाग है जिसकी अभिलेखों के रख–रखाव व विनिनिष्टीकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट नियमावलीयॉ बनी हुई हैं। लेकिन न्याय विभाग में अभिलेख तो व्यवस्थित होते हैं पर राजस्व विभाग के अभिलेख व पत्रावलियों में रख–रखाव आदि के सम्बन्ध में अधिकतर जनपदों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण ही प्राप्त नहीं है। राजस्व विभाग के लोक प्राधिकारियों को न्याय विभाग के अधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर अभिलेखों में विभिन्न स्तर न्यायालय, अभिलेखागार आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

संस्तुति 5

आयोग द्वारा विनिष्टीकरण नियमावली 1917 के अनुरूप विभिन्न लोक प्राधिकारी स्तर पर अभिलेखों के विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में पृथक–पृथक रूप से नियमॉवलियॉ बनाये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये थे लेकिन अभी तक अधिकतर लोक प्राधिकारियों द्वारा विभागों की विनिष्टीकरण नियमावलियॉ नहीं बनाई गयी है। आयोग का सुझाव है कि पूर्व में दिये गये निर्देश के क्रम में सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभागों की विनिष्टीकरण नियमावली बनाई जानी चाहिये।

* * *

वर्ष 2010 – 11
में आयोग द्वारा निर्गत
महत्वपूर्ण निर्देश

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

कार्यालय ज्ञाप : XXVI /2010

विषय : बारम्बार तथा प्रायः मांगी जाने वाली सूचना / अभिलेखों के संबंध में लोक प्राधिकारियों के स्तर पर कार्यवाही : (1) चिन्हीकरण, (2) प्राथमिकीकरण, (3) राज्य लोक प्राधिकारी स्तर पर लोक सूचना अधिकारी इत्यादि का नामांकन तथा (4) मासिक समीक्षा के माध्यम से उपरोक्त व्यवस्था का अनुश्रवण.

1 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा गत 4 वर्षों से अधिक समय से लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थित अनुमन्य सूचनाओं तथा अभिलेखों को निर्धारित समय के अंतर्गत उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक वर्ष जो समय–समय पर संस्तुतियाँ की गयी है ऐसी संस्तुतियों को या तो सूचना आयोग के प्रकाशनों के माध्यम से या कार्यालय ज्ञापों के माध्यम से सूचीबद्ध राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों को और उनके माध्यम से उनके अधीनस्थ राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाता रहा है. राज्य के सभी लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अनुमन्य सूचनाओं तथा अभिलेखों को उपलब्ध कराने के संबंध में नवीनतम प्रयास बाहय मूल्यांकन मई – जुलाई, 2009 की अवधि में कराया गया था और उपरोक्त बाहय मूल्यांकन समीक्षा समिति की रिपोर्ट; मूल्यांकन रिपोर्ट को सूचना आयोग प्रकाशन : 24/2009 के माध्यम से प्रकाशित करके समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों, प्रमुख सचिवों / सचिवों के अतिरिक्त समस्त मण्डलायुक्तों / जिलाधिकारियों को इस आशय से पृष्ठांकित किया गया था जिससे उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर उनके द्वारा अपने स्तर पर जो कमियां उक्त मूल्यांकन के आधार पर उद्घाटित की गयी थी उन पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जा सके. जहॉ तक राज्य सूचना आयोग का संबंध है अब तक प्रत्येक स्तर पर जो मूल्यांकन उक्त प्रथम बाहय मूल्यांकन समीक्षा समिति ; श्री नवीन शर्मा समिति के द्वारा किया गया था उसे ही राज्य स्तर पर लोक प्राधिकारी के सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के सापेक्ष तैयारी का स्तर विद्यमान माना जाता है. उपरोक्त बाहय समीक्षा के अतिरिक्त आयोग के अन्य प्रकाशनों से भी लोक प्राधिकारियों के स्तर पर अवरोही क्रम में प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या को भी संसूचित किया जा चुका है जिसके आधार पर संबंधित लोक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपने स्तर पर इन प्रार्थना पत्रों के समुचित समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रभावी कार्यवाही करें.

2. लगभग 5 वर्षों के दौरान आयोग में निस्तारित 6,000 से अधिक अपीलों और शिकायतों के निस्तारण के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर आयोग का यह स्पष्ट अभिमत है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा अपने–अपने स्तर पर ऐसी सूचनाओं तथा अभिलेखों के संबंध में स्वतः ही ऐसी पूर्व तैयारियां कर ली जानी चाहिए जिन्हें बारम्बार और प्रायः मांगा जा रहा हो. यदि इस प्रकार से बारम्बार और प्रायः मांगे जाने वाली सूचनाओं और अभिलेखों का चिन्हीकरण लोक प्राधिकारियों के स्तर पर पहले से ही कर लिया जाता है तो स्वतः ही ऐसी सूचनाओं और अभिलेखों को उपलब्ध कराने में स्वतः ही वर्तमान की अपेक्षा कहीं कम समय और श्रम लगेगा.

3. प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर पर अब तक यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो चुका होगा कि किसी भी सूचना या अभिलेख के एक बार सृजित होने के उपरांत ऐसी सूचना स्वतः ही सार्वजनिक क्षेत्र (public domain) में आ जाती हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधान केवल उन परिस्थितियों को ही मर्यादित करते हैं जिनके आधार पर इस प्रकार से अस्तित्व में आयी सूचना और अभिलेखों को केवल सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लिखित विशेष परिस्थितियों में ही

सार्वजनिक पहुंच (public access) से बाहर रखा जा सकता है. अब तक यह भी स्पष्ट हो चुका होगा कि एक बार सृजित ऐसी सूचना और अभिलेखों को, यदि उनका सार्वजनिक महत्व किसी व्यक्ति–समूह विशेष के द्वारा संरक्षित हितों से अधिक है, तब सूचना का अधिकार अधिनियम के ऐसे प्राविधान जो सार्वजनिक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करते हैं तब उन्हें भी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता. जो सूचनायें और अभिलेख भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकारों के हनन से संबंधित हैं, या होनी सम्भाव्य हों ऐसी सूचनाओं और अभिलेखों को न केवल समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है बल्कि उपरोक्त दोनों (भ्रष्टाचार व मानव अधिकारों का हनन) परिस्थितियों में ऐसे संगठनों जिन्हें अनुलग्नक 2 व अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत छूट दी भी गयी है वह छूटें भी प्रभावी नहीं रहती. अतः कहा जा सकता है कि कोई भी सूचना या अभिलेख जब एक बार सृजित होकर अस्तित्व में आ जाता है तब वह विशेष परिस्थितियों में, जिनका उल्लेख किया गया है, उद्घाटित किया ही जा सकता है और इस प्रकार हर प्रकार कर संरक्षित सूचना या अभिलेख सार्वजनिक पहुंच के दायरे में आ जाता है. लोक प्राधिकारियों के स्तर पर यह पूर्णतयः स्पष्ट होना चाहिए कि उनके संरक्षण में उपलब्ध कोई भी सूचना या अभिलेख, उपरोक्त विवेचना के आधार पर, पूर्ण रूप से सार्वजनिक पहुंच से बाहर नहीं है और इसका विनिश्चय सूचना आयोग के स्तर पर ही अंततोगत्वा किया जाना है कि सार्वजनिक पहुंच से बाहर रखने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम के कोई प्राविधान लागू होते हैं अथवा नहीं. इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अंततोगत्वा कोई भी सूचना या अभिलेख एक बार सृजित होने के उपरांत पूर्ण रूप से सार्वजनिक पहुंच से बाहर नहीं है. फलतः यह प्रत्येक लोक प्राधिकारी का प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने द्वारा सृजित सूचना और अभिलेखों को सदैव इस प्रकार से व्यवस्थित रखें जिससे विशेष परिस्थितियों में, सक्षम स्तर से निर्देश होने पर निर्धारित समय और प्राविधानों के अंतर्गत, वह सार्वजनिक पहुंच के लिये उपलब्ध रहे.

4. लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने किसी अधिनियम, नियम या प्राविधान के अंतर्गत अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों से नियमित रूप से, सामयिक परिलेखों (periodical return) के रूप में, सूचनायें / अभिलेख संप्रेषित करने के लिये यदि व्यवस्थायें निर्धारित की गयी हैं तब ऐसी स्थिति में ऐसे लोक प्राधिकारियों का यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसी निर्धारित सूचनाओं और अभिलेखों को स्वयं अपने द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत और समय के अन्दर प्राप्त करें. चूंकि स्वयं लोक प्राधिकारियों के ही द्वारा ऐसी सूचना / अभिलेखों के सम्प्रेषण के लिये निर्देश दिये गये हैं अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार यह ऐसे लोक प्राधिकारियों का स्वयं उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह ऐसी नियत व निर्धारित सूचना और अभिलेखों को वह निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्राप्त कर उसे उपलब्ध रखें. सूचना का अधिकार अधिनियम की उद्देशिका में लोक प्राधिकारियों से एक पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की गयी है. उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार में स्वयं अपने द्वारा निर्धारित सूचना और अभिलेख को निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त कर संरक्षित रखना भी स्वतः ही सम्मिलित है.

5. इस कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से ऐसी कुछ सूचनाओं और अभिलेखों को आयोग के द्वारा समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के माध्यम से उनके अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकारियों से ऐसी सूचनाओं और अभिलेखों के संबंध में पूर्व तैयारी, और पूर्व तैयारी का निरन्तर अनुश्रवण करने, की अपेक्षा की जा रही है जिससे सभी लोक प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसी सूचनाओं और अभिलेखों को उपलब्ध कराने में निर्धारित समय सीमा से अपेक्षाकृत कहीं कम समय और श्रम लगे.

6. बारम्बार तथा प्रायः मांगी जाने वाली सूचनाओं और अभिलेखों को मुख्यतयः निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(I) **लोक सेवकों से संबंधित सूचनायें** (information related to public servants) :

6.1 लोक सेवकों के विरूद्ध की गयी जांचें, जांच आख्यायें, जांच आख्या उपरांत की गयी कार्यवाहियॉ.

6.2 लोक सेवकों / राजकीय कर्मचारियों के संबंध में उन पर लागू आचार संहिता के अनुपालन में राज्य सरकार और उन सक्षम लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने लोक सेवकों से सेवा में पहली तैनाती के समय तथा तदोपरान्त प्राप्त की जाने वाली अनिवार्य सूचनायें और अभिलेख, जिनमें अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्राविधानों के अंतर्गत सेवा में तैनात होते समय लोक सेवकों से उनकी चल–अचल संपत्ति के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर विवरण और कालान्तर में ऐसी घोषणाओं के सापेक्ष परिवर्तन और कुछ वर्षों के समयांतर्गत अद्यावधिक सूचनायें.

6.3 लोक सेवकों के कार्य मूल्यांकन के संबधं में वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टियों, जिन्हें वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां, भी कहा जाता है. यह प्रविष्टियां वर्ष के अन्त में अनिवार्य रूप से एक सुनिश्चित व्यवस्था के अंतर्गत लोक सेवकों का मूल्यांकन करते हुए सक्षम स्तर से अंकित की जाती है और उन्हें संबंधित लोक सेवकों की व्यक्तिगत पत्रावलियां के साथ निर्धारित स्तर पर सुरक्षित रखा जाता है और जिनके आधार पर ही लोक प्राधिकारियों के स्तर पर होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नतियॉ भी की जाती हैं.

6.4 लोक सेवकें के संबंध में रखी जाने वाली सेवा पुस्तिकायें, व्यक्तिगत पंजिकायें जिनमें लोक सेवकों के सेवा संबंधी विवरण होते हैं और उनके सक्रिय कार्यकाल के दौरान उनके संबंध में हुये पत्राचार भी संरक्षित रहते हैं.

6.5 लोक सेवकों द्वारा लिये गये अवकाशों, विदेश भ्रमणों इत्यादि का पूर्ण विवरण.

(II) विकास कार्य (development works)

6.6 विकास कार्यों के आगणन (Estimates) जिनमें किये जाने वाले कार्य के माप और अन्य विवरण तथा विवरण प्रस्तुत होते हैं, उनका सक्षम स्तर पर परीक्षण किया जाता है और तदोपरान्त उनकी स्वीकृति ली जाती है और स्वीकृति के उपरांत उन्हें तब तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक की ऐसे कार्यों के तकनीकी व भुगतान के सापेक्ष वित्तीय सम्प्रेक्षण न हो गये हों व जो निर्माण कार्यों के शर्तों के अनुसार बाहय तकनीकी परीक्षण या उनके अनुरक्षण की शर्तों से मर्यादित होती हो.

6.7 विभिन्न निर्माण कार्यों के संबंध में मानचित्र (नक्शा) जिनमें निर्माण कार्यों के नक्शों में प्रस्तावित कार्यों का परिचिन्हन और जिस क्षेत्र से उपरोक्त विकास कार्य आच्छादित किया गया उनके उक्त नक्शे में स्पष्ट रूप से प्रदर्शन और उसका रेखांकन.

6.8 विकास कार्य से संबंधित और निर्माण कार्यों का सक्षम स्तर द्वारा निरीक्षण और ऐसे निरीक्षण का प्रतिवेदन आख्या.

6.9 विकास कार्यों और निर्माण कार्यों की शिकायत पर जांच और जांच से संबंधित जांच रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही के विवरण.

(III) प्रमाण पत्र (Certificate) तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificates) :

6.10 विभिन्न लोक प्राधिकारियों को संवैधानिक रूप से आवंटित कार्यों के सापेक्ष उनके अधीनस्थ सक्षम अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं जिसका संबंध नागरिकों की स्थानीयता, जाति, शैक्षिक योग्यता, तैनाती में विभिन्न प्रकार की छूटें / रियायतें, निवास इत्यादि से संबंधित होती हैं और जिनका उपयोग नागरिकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सेवा में नियुक्ति या नियुक्ति की शर्तों में छूट प्राप्त करने अथवा विभिन्न प्रकार की राजकीय सुविधायें, अनुदानों, ऋणों इत्यादि को प्राप्त करने के लिये किया जाता है. यह सभी प्रमाण पत्र और ऐसे प्रमाण पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया जो प्रार्थी को किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से जीवन पर्यन्त लाभान्वित करता है. चूंकि ऐसे निर्गत सभी प्रमाण पत्र और ऐसे प्रमाण पत्रों को जारी करने से संबंधित सभी अभिलेख जिनमें प्रमाण पत्र के लिये प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ लगाये गये अभिलेख, प्रार्थना पत्र की जांच, जांच का परीक्षण और जांच के आधार पर दी गयी स्वीकृति ऐसे प्रमाण पत्र के ही अनिवार्य भाग हैं अतः ऐसे जारी प्रमाण पत्रों और प्रमाण पत्रों को जारी करने से पूर्व सृजत सभी अभिलेखों को आयोग द्वारा स्थायी अभिलेख की परिभाषा में रखा गया है. प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रत्येक लोक प्राधिकारी का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे जारी प्रमाण पत्रों और प्रमाण पत्रों को जारी करने से संबंधित समस्त अभिलेखों को अपने संरक्षण में इस प्रकार से संरक्षित रखे जिससे स्थायी अभिलेख के रूप में उन तक नागरिकों की कभी भी सार्वजनिक पहुंच सुलभ हो सके. यह स्थिति विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा निर्गत किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में भी लागू है और ऐसे जारी प्रत्येक अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में भी लोक प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में भी समस्त अभिलेखों को स्थायी अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाना अनिवार्य है.

यहॉ यह कहना समीचीन होगा कि गत 5 वर्षों में आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में कई लोक प्राधिकारियों के स्तर पर गंभीर अनियमिततायें और कमियॉ पायी गयी हैं और जिनके संबंध में आयोग के द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही करने के अतिरिक्त खोये गये / गायब कराये गये ऐसे प्रमाण पत्रों और उनके अनुषांगिक अभिलेखों को पुनः सृजित करके प्रार्थी को उपलब्ध कराने और उन्हें तदोपरांत संरक्षित रखने के संबधं में विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं.

6.11 प्रमाण पत्रों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों को निर्गत किये जाने के संबंध में लोक प्राधिकारी के द्वारा जो शासनादेश या कार्यालयादेश निर्गत किये जाते हैं उनमें भी आयोग द्वारा विसंगतियां पाये जाने पर अनेकों शासनादेशों के स्थान पर प्रत्येक विषय पर एक संकलित शासनादेश या कार्यालयादेश निर्गत करने के आदेश दिये गये हैं और प्रत्येक प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप, प्रमाण पत्र को निर्गत करने से पूर्व जांच की व्यवस्था, सक्षम अधिकारी का स्तर जो प्रमाण पत्र को निर्गत करने के लिये अधिकृत हो उसको भी स्पष्ट रूप से शासनादेश या कार्यालयादेश में इंगित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं. अतः प्रत्येक लोक प्राधिकारियों के स्तर पर निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में प्रवृत्त शासनादेश स्वतः स्पष्ट, प्रमाण पत्र प्रारूप सहित होना आवश्यक है. सूचना का अधिकार अधिनियम के पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण के परिप्रेक्ष्य में प्रमाण पत्रों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर से व्यवहृत की जाने वाली प्रक्रिया को उपरोक्त स्तर पर चूंकि स्पष्ट होना आवश्यक है उन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में उनके संरक्षण और रख–रखाव की व्यवस्था में भी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है. इसी क्रम में इन प्रमाण पत्रों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होने और प्रमाण पत्रों या अनापत्ति प्रमाण पत्रों के निर्गत होने के संबंध में भी अधिकृत पंजिकाओं को निर्धारित किया जाना, लोक प्राधिकारियों के स्तर पर एक अनिवार्य बाध्यता है. ऐसी पंजिकाओं के प्रारूप भी लोक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किये जाने हैं तथा यह पंजिकायें भी प्रमाण पत्रों के साथ–साथ स्थायी अभिलेखों का ही एक भाग हैं.

6.12 यह व्यवस्था बारम्बार मांगे जाने वाले शासनादेशों / कार्यालयादेशों के परिप्रेक्ष्य में की जानी है और आयोग द्वारा किसी विषय विशेष पर शासनादेश के उपलब्ध होने या न होने संबंधी विवाद पर निर्णय अपील संख्या अ–1543/2009 में दिये गये आदेश के क्रम में 2 खण्डों में निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों के संग्रह के आधार पर ही निर्धारित किया जायेगा. यदि उपरोक्त शासनादेश संग्रह लोक प्राधिकारियों के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है तब शासनादेश के लिये अनुरोध की गयी प्रार्थना को अनधिकृत रूप से पहुंच में बाधा के समतुल्य मानते हुए आयोग के द्वारा प्रसंज्ञान लिया जायेगा. प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त 2 खण्डों में संकलित प्रवृत्त किये जा रहे शासनादेशों का संकलन एक अनिवार्य अभिलेख है और जिसकी प्रति अधिनियम की धारा 4(1)(ख) अंतर्गत डिजिटाईज्ड रूप में भी प्रत्येक नागरिक के लिये उपलब्ध करायी जानी भी अनिवार्य है.

(IV) खोये हुये / गायब कर दिये गये / गायब कराये गये अभिलेख :

6.13 आयोग ने अपने समक्ष प्रस्तुत अपीलों में कई ऐसे प्रकरणों का प्रसंज्ञान लिया है जिसमे यह प्रकट हुआ कि लोक प्राधिकारियों के स्तर पर कुछ ऐसे अभिलेख / रिकॉर्ड भी परिचिन्हित रहते हैं जिनके अस्तित्व में होने के प्रमाण के उपरांत भी भौतिक रूप से लम्बे समय से अनुपलब्ध रहने के कारण लोक प्राधिकारी के स्तर पर या अन्य लोक प्राधिकारियों के साथ लम्बे समय से पत्राचार चल रहा होता है. सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थित अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित है. यदि प्रार्थित अभिलेख के संबंध में लोक प्राधिकारी के स्तर पर यह पहले से ही यह तथ्य ज्ञात था कि प्रश्नगत अभिलेख के अस्तित्व में रहने के उपरांत भी वह लम्बे समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या गायब कर दिया गया है / गायब हो गया है तब लोक प्राधिकारी के स्तर पर तात्कालिक रूप से ऐसे गायब हुये अभिलेखों के संबंध में पुलिस में प्राथमिकी, अंतिम रूप से उत्तरदायी लोक सेवक के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त ऐसे अनुपलब्ध अभिलेखों को पुनः सृजित (re-constitute) कर अपीलकर्ता को उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कार्यवाही कराने के संबंध में कई अपीलों में आदेशित किया जा चुका है. प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर पर ऐसे परिचिन्हित अभिलेख जो खो गये हैं / लम्बे समय से अनुपलब्ध हैं / गायब कर दिये गये हैं / गायब करा दिये गये हैं और जिनके संबंध में पत्राचार चल रहा है और उन्हें तत्काल सूचीबद्ध कर लिया जाना चाहिये, साथ ही सूचना आयोग के द्वारा इस संबंध में जो तीन–प्रकार की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं उसे इस प्रकार से प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लेना चाहिए जिससे ऐसे अभिलेखों के संबंध में प्रार्थना प्राप्त होते ही पुनर्गठित अभिलेख की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जा सके और साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाये कि उपलब्ध कराये गये अभिलेख अनुपलब्ध / गायब करा दिये गये / गायब करा

दिये गये अभिलेखों के सापेक्ष अधिकृत रूप से पुनः सृजित कर उपलब्ध कराया गया है. आयोग के द्वारा कभी अस्तित्व में रहे अभिलेख, जो अब अनुपलब्ध है / खो गये हैं / गायब करा दिये गये हैं, के संबंध में गंभीरतम प्रसंज्ञान लिया जाता है और प्रत्येक लोक प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अनुपलब्ध / गायब करा दिये गये अभिलेखों के संबंध में अपने स्तर पर भी कठोरतम प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे.

(V) समितियों / उपसमितियों के कार्यवृत्त (proceedings) :

6.14 लोक प्राधिकारियों के स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां समितियों / उप समितियों, जांच आयोगों इत्यादि के माध्यम से भी संपन्न की जाती है और उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही को कार्यवृत्तों (Proceedings) के रूप में सुरक्षित रखा जाता है. इसी प्रकार प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, पंजीकृत संस्थाओं इत्यादि का कार्य संचालन भी, जिसमें नीतिगत निर्णय भी सम्मिलित होते / हो सकते है, ऐसे कार्यवृत्तों के माध्यम से किया जाता है. समितियों, संगठनों के ये कार्यवृत्त भी महत्वपूर्ण स्थायी अभिलेख हैं और यह प्रत्येक लोक प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है कि अपने द्वारा व्यवहृत किये जा रहे और पूर्ववर्ती अधिनियमों / नियमों और अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जहॉ–कहीं भी नीति और प्रक्रिया संबंधी निर्णय ऐसे कार्यवृत्तों के माध्यम से लिये गये हों. इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे ऐसे समस्त कार्यवृत्तों के मूल अभिलेख सुरक्षित रखने के अतिरिक्त उनका डिजिटाईजेशन कर इस प्रकार से सुरक्षित रखा जाये जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रार्थना किये जाने पर वे तत्परता से उपलब्ध हो सके. कई अधिनियमों और नियमों में ये व्यवस्था है कि ऐसे कार्यवृत्तों को एक निर्धारित समय के अंतर्गत किसी सक्षम स्तर को या सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा अतः जहॉ कहीं भी ऐसी व्यवस्थायें विद्यमान हैं तब वहॉ दोनों लोक प्राधिकारियों, अर्थात कार्य वृत्त निर्गत करने वाले लोक प्राधिकारी और कार्य वृत्त को निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकारी, के स्तर पर इस व्यवस्था को भी क्रियान्वित किया जाना है जिससे जिस किसी भी लोक प्राधिकारी के स्तर पर इस प्रकार के कार्य वृत्त उपलब्ध हों, वह उपलब्ध कराये जा सकें.

6.15 यह भी यहॉ स्पष्ट किया जाता है कि अभिलेखों का सृजन होने की परिभाषा में ऐसे सभी अभिलेख भी स्वतः ही आ जाते हैं जिन्हें किसी नियम और व्यवस्था के अनुसार सृजित होना अनिवार्य था किन्तु वस्तुतः वे सृजित ही नहीं हुये या उनके सृजित होने के संबंध में अधिकृत / पुष्ट जानकारी विद्यमान नहीं है. अतः ऐसी स्थिति में यदि किसी लोक प्राधिकारी के स्तर पर किसी सूचना या अभिलेख के सृजन की व्यवस्था किसी अधिनियम या नियम के अंतर्गत सृजित होना अनिवार्य था किन्तु वह सृजित नहीं हुआ अथवा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट / पुष्ट नही है, तब ऐसी स्थिति में उस लोक प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षित होगा कि वे इसे अभिव्यक्त रूप से प्रमाणित करेंगे कि यद्यपि सूचना सृजित होना आवश्यक या अनिवार्य था किन्तु प्रश्नगत सूचना सृजित न होने के कारण लोक प्राधिकारी के अभिरक्षण में नहीं है. मात्र ''शून्य'' सूचना देना या कोई भी सूचना न देना एक भ्रामक सूचना देने के समतुल्य होगा. आयोग द्वारा पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत एक पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण की प्रत्येक लोक प्राधिकारी से अपेक्षा की गयी है अतः सूचना / अभिलेख की प्रार्थना प्राप्त होने पर लोक प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि चूंकि वह सृजित सूचना या अभिलेख के उपलब्ध होने पर उसे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें वहीं सूचना या अभिलेख जो प्राविधानानुसार सृजित होने थे किन्तु उसके सृजन न होने की दशा में या इसकी पुष्टि के अभाव में वह अभिव्यक्त रूप से प्रार्थी को स्पष्ट करेंगे कि निर्धारित सूचना या अभिलेख जो नियमानुसार सृजित और उपलब्ध होने थे वह सृजित और उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं. सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रार्थना पत्रों को मात्र तकनीकी रूप से निस्तारित किया जाना अभीष्ट नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि उपलब्ध करायी गयी सूचना पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी.

(VI) लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी का नामांकन :

6.16 आयोग के स्तर पर निर्गत प्रकाशनों के माध्यम से ऐसे लोक प्राधिकारियों को समय–समय पर चिन्हित किया जाता है जहॉ प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है. ऐसे चिन्हित लोक प्राधिकारियों के राज्य स्तरीय मुख्यालय के स्तर पर सूचना का अधिकार कोष्ठक बनाने की भी संस्तुति प्रथम बाहय समीक्षा समिति के द्वारा की गयी है और आयोग द्वारा भी इसकी संस्तुति की गयी है कि ऐसे लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार कोष्ठक को स्थापित किया

जाये. राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के स्तर पर चूंकि प्राप्त होने वाली प्रार्थनायें सामान्यतयः अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण अभिलेखों के संबंध में होती है जिनमें प्रायः लोक प्राधिकारी के उच्चतम स्तर पर प्रायः मार्गदर्शन और नीतिगत निर्णय लेने की भी आवश्यकता पड़ती है, अतः राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के स्तर पर जो लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी नामांकित किये जाते हैं उन पर राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी के विभागाध्यक्ष और सचिवालय स्तर के प्रमुख सचिव / सचिव स्तर पर भी स्पष्ट निर्णय लिया जाना आवश्यक है. राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के स्तर पर जो लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी नामांकित किये जाते हैं वे न केवल विभाग में उपलब्ध वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक हों बल्कि उनको अनुभवी, विज्ञ और कुशलतम होने के साथ–साथ उनकी पृष्ठभूमि भी इस प्रकार की होनी अभीष्ट है जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत मांगे जाने वाली प्रार्थनाओं में यदि स्वयं इन नामांकित लोक सेवकों के संबंध में भी सूचनायें मांगी जाती हैं तब अनुमन्य होने की दशा में वे उसे सहजता से उपलब्ध करा सके. आयोग के प्रसंज्ञान में ऐसे कुछ प्रकरण आये हैं जहॉ पर राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसे लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सावधानीपूर्ण नामांकन न होने के कारण स्वयं लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी के संबंध में सूचनायें मांगे जाने पर उनके द्वारा जानबूझकर या तो सूचना तक पहुंच में अवरोध करने का प्रयास किया गया अथवा वास्तविक तथ्यों को छिपाने का असफल प्रयास किया गया. यह स्थिति प्रश्नगत लोक प्राधिकारी की ख्याति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के साथ–साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन है. राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी के स्तर पर लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी के नामांकन को स्वयं विभागाध्यक्ष के स्तर पर और विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव के स्तर पर भी विशेष परीक्षण के उपरांत ही निश्चित किया जाना अभीष्ट होगा. कुछ प्रकरणों में यह भी आयोग के प्रसंज्ञान में आया है कि जहॉ पर राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों के स्तर पर लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी अन्य लोक प्राधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं वहॉ पर भी ऐसे नामांकित लोक सेवकों के ही संबंध में मांगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराने में परिहार्य विलम्ब और अवरोध उत्पन्न करने का परिहार्य प्रयास किया गया है. सूचना आयोग द्वारा ऐसी स्थितियों का गंभीरता से प्रसंज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही के लिये सक्षम स्तर का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया है. आयोग का स्पष्ट अभिमत है कि राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी के स्तर पर जो भी लोक सूचना अधिकारी या विभागीय अपीलीय अधिकारी नामांकित किये जाते हैं उनका लोक प्राधिकारी के मुख्यालय स्तर पर सत्य निष्ठापूर्ण, अनुभवी होने के अतिरिक्त वे ऐसे अधिकारी होने चाहिये जो मूल रूप से उसी विभाग के कर्मी हों और यथा सभव प्रतिनियुक्ति पर तैनात लोक सेवकों को लोक सूचना अधिकारी या विभागीय अपीलीय अधिकारी के पदों पर लोक प्राधिकारी मुख्यालय पर नामांकित नहीं किया जाना चाहिए.

7. लोक प्राधिकारियों के स्तर पर बार–बार और प्रायः मांगे जााने वाली सूचनाओं और अभिलेखों को अपने अभिरक्षण में स्थित सूचनाओं और अभिलेखों को कैसे परिचिन्हित कर उनका प्राथमिकीकरण करके, मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सावधानी–पूर्वक नामांकन से प्रार्थना पत्रों के आकार में वृहद होने पर भी सरलतापूर्वक निर्धारित समयावधि में ही पहुंच सुलभ करायी जा सकती है. इसे स्पष्ट किया गया है. बार–बार और प्रायः मांगे जाने वाली सूचनाओं के संबंध में इस प्रकार की प्रभावी कार्यवाही के संबंध में विभागाध्यक्षों द्वारा सचिवालय स्तर पर विभागीय समीक्षा के समय भी समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिये और इस प्रकार की सूचनाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में जो 16 निर्धारित मैनुअल हैं उनमें भी डिज्टिाईज्ड करके उपलब्ध कराने से प्रार्थना पत्रों की संख्या में प्रभावी कमी लायी जा सकती है. सूचना या अभिलेख विशेष को बार–बार मांगे जाने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम मे ंन तो कोई प्रतिबन्ध है और न ही किसी प्रकार के प्रतिबन्धों की परिकल्पना भविष्य में ही की जानी चाहिये. सूचनाओं को बार–बार मांगे जाने से ही किसी लोक प्राधिकारी के स्तर पर जो सूचना / अभिलेखों के रख–रखाव की व्यवस्था है उसकी सत्यता पुष्ट व प्रमाणित होती है. अतः यह आलोचना कि किसी सूचना या अभिलेख विशेष को बार–बार मांगा जा रहा है न तो तर्कपूर्ण है और न ही सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप. वस्तुतः बार–बार और प्रायः मांगे जाने वाली सूचनाओं के संबंध में यदि लोक प्राधिकारी के स्तर पर पर्याप्त दूरगामी तैयारी पूर्ववर्ती प्रस्तरों के अनुसार कर ली जाती है तब ऐसी बार–बार या प्रायः मांगे जाने वाली सूचनायें निर्धारित 30 दिन की समयावधि से कहीं पहले न केवल नागरिकों को प्राप्त हो सकती है बल्कि उन्हें स्वतः ही सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के 16 मैनुअलों के माध्यम से जनसामान्य को उपलब्ध कराया जा सकता है.

8. सूचना आयोग के द्वारा गत 4 वर्षों से अधिक समय में अपने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से जिस प्रकार की तैयारियॉ पूरी कर लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत सरलता से और निर्धारित समय के

अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं उसी क्रम में इस कार्यालय आदेश के माध्यम से भी लोक प्राधिकारियों को बार–बार और प्रायः मांगे जाने वाली सूचनाओं के संबंध में जो पूर्व तैयारी अपने स्तर पर की जानी चाहिये उसके संबंध में ऐसी सूचनाओं और अभिलेखों को प्राथमिकता से चिन्हित करने, प्राथमिकता से तैयार रखने के अतिरिक्त अन्य अनुषांगिक संस्तुतियाँ भी की जा रही हैं. प्रत्येक संस्तुति आयोग के द्वारा पारित विभिन्न शिकायतों व अपीलों में दिये गये निर्णयों तथा आयोग की कार्यवाहियों के दौरान प्रसंज्ञान में लिये गये प्रकरणों पर भी आधारित है. यह अपेक्षा की जाती है कि चरण–बद्ध रूप से कार्यवाही करने से प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण में आशातीत गति प्राप्त होगी.

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 6420 / उ.सू.आ. / 2010 दिनांक : अगस्त 31, 2010

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ व अनुश्रवणार्थ पृष्ठांकित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
2. अवर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
3. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
4. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय, देहरादून.
4. रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल.
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून.

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

* * *

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10 डिफैंस कालोनी, देहरादून. दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779

कार्यालय आदेश : संख्या : XXVIII/2010

विषय : लोक प्राधिकारियों की बाध्यतायें : सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश –आयोग द्वारा शिकायतों पर कार्यवाही

1. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 उपधारा 1 के द्वारा समस्त लोक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के खण्ड ख में उल्लिखित 17 विषयों पर प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित (indexed) और अनुक्रमणिकाबद्ध (catalogued) करते हुये इस प्रकार से रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुफर बनाता है तथा लोक प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुये, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके. अधिनियम की धारा 4(1) के खण्ड ख में 17 विषयों को इंगित किया गया है तथ जिसे अधिनियम के प्रख्यापन के 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना था और इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यावधिक भी किया जाना था.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ग) में यह अपेक्षा की गयी है कि जब भी लोक प्राधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित किया जायेगा तथा खण्ड घ में प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराने की बाध्यता रखी गयी है.

3. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी से यह भी अपेक्षा की गयी है वह स्वतः ही उपरोक्त सूचना को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनमें इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलम्बन लेना पड़े.

4. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 में यह भी अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जायेगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो तथा धारा 4 की उपधारा 4 के अनुसार उपरोक्त सभी सामग्री को लागत, प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुये प्रसारित किया जायेगा तथा उक्त सूचना को लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाय, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी अपेक्षित है.

5. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 की उपरोक्त 4 उप–धाराओं के क्रम में यह देखते हुये कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रख्यापन को अब पांच वर्ष का समय पूर्ण होने को किसी भी लोक प्राधिकारी के स्तर से यह अपेक्षित नहीं है कि अब वह अपने प्रमुख उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर न हो और आयोग की दृष्टि में इतने लम्बे अंतराल के उपरांत लोक

प्राधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत दी गयी सूचनाओं को इलैक्ट्रानिक तथा इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध न कराया जा सके.

6. प्रत्येक लोक प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह अब सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के उपबंधों का अक्षरश पालन कर यह भी सुनिश्चित करे कि लोक प्राधिकारी मुख्यालय में जितने भी प्रकार की सूचना सार्वजनिक क्षेत्र (public domain)में अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती है वह वास्तव में उपलब्ध है तथा उसे जनसामान्य के द्वारा इलैक्ट्रानिक तथा इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है तथा किया जा सकता है. प्रत्येक लोक प्राधिकारी को यह प्रथम उत्तरदायित्व है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा 1 से 4 के बीच वर्णित बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करे तथा आयोग द्वारा भी इन बाध्यताओं के परिपालन का मूल्यांकन ही समीक्षा बैठकों के मूल्यांकन का प्रमुख आधार होंगी.

7. उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा दिनांक 05 अगस्त 2010 से प्रारंभ की गयी लोक प्राधिकारी समीक्षा के माध्यम से जो भी कार्यवृत्त लोक प्राधिकारियों को निर्गत किये जायेंगे उनमें इस कार्यालय ज्ञाप को यथावत सम्मिलित मानते हुये प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने – अपने स्तर इस पर कार्यालय ज्ञाप में निर्देशित की गयी कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपनी – अपनी समीक्षा तिथि के एक माह के अंदर विभागीय अनुपालन आख्या आयोग को प्रस्तुत की जायेगी.

मैनुअल संख्या I से XVI

8. लोक प्राधिकारियों द्वारा मैनुअल संख्या 1 से 16 तक जो विषय दिये गये हैं उनके विषयों पर विषयवार 16 मैनुअलों की संकलित हार्ड प्रति, (Hard Copy) जो विभिन्न खण्डों / भागों में, जैसा पूर्व समीक्षा में निर्देशित किया गया था, व्यवस्थित कर ली गयी हैं, उन्हें अब राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी द्वारा पूरे संगठन के लिए समस्त सूचना इन 16 मैनुअलों में विषयवार एकजायी रूप में संकलित की जायेगी अर्थात लोक प्राधिकारी मुख्यालय द्वारा मैनुअल संख्या 1 से 16 को इस प्रकार से तैयार किया जायेगा जिससे उनके अधीनस्थ कार्यालयों की भी किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य न करना पड़े. लोक प्राधिकारी मुख्यालय द्वारा ही समस्त विवरणों के सेट को, अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों की जानकारी के साथ, अपने प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय को सुलभ कराया जायेगा. इस प्रकार से लोक प्राधिकारी द्वारा अपने पूरे संगठन की सूचना को मैनुअल 1 से 16 में हार्ड प्रति के रूप में अपने ऐसे प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय को पुहंचाना सुनिश्चित किया जायेगा जिनमें कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) के रूप में कोई अधिकारी कार्यरत रहता हो.

9. उपरोक्त हार्ड प्रति का एक सैट उपरोक्त प्रकार से प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के पहुंचाने के उपरांत भविष्य में जब – जब किसी विषय पर अतिरिक्त सूचना जोड़ी अथवा संशोधित की जायेगी या उसमें किसी प्रकार से परिमार्जन किया जायेगा तब इस अतिरिक्त तथा नई सूचना को लोक प्राधिकारी मुख्यालय द्वारा एक आवरण पत्र (Covering Letter) के साथ संलग्न कर अपने प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय को आवश्यक निर्देश के साथ प्रेषित किया जायेगा. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार से सम्प्रेषित सूचना प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय को पहुंच जाये. इस आवरण पत्र में स्पष्ट निर्देश होंगे कि उपरोक्त नई / अतिरिक्त सूचना को पूर्व प्रेषित किस मैनुअल संख्या के किस पृष्ठ/पृष्ठों के बीच रखा जाना है. यह प्रक्रिया उसी प्रकार की होगी जैसे पूर्व में Manual of Government Orders या विभागीय मैनुअलों में संशोधन किये जाने पर नई सूचना को मैनुअल में सम्मिलित किये जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश के साथ सम्प्रेषित की जाती रही है.

10. प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने अधीनस्थ प्रत्येक कार्यालय, जिसमें कार्यालयाध्यक्ष के रूप में अधिकारी कार्यरत हैं, में उपरोक्त मैनुअल 1 से 16 की एक हार्ड प्रति जनसामान्य के अवलोकन के लिए भी रखी जायेगी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित उत्तम व्यवहार संस्तुतियों के माध्यम से निर्देशित सूचना पट्ट भी सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपील अधिकारी के नाम / पदनाम के साथ जनसामान्य की जानकारी के लिए ऐसे प्रत्येक कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

11. मैनुअलवार जो अभिलेख लोक प्राधिकारी द्वारा अपने समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के लिए तैयार कर प्रेषित किये हैं उनमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसमें कोई भी ऐसी सामग्री संकलित नहीं है जो scanned form में हो. प्रत्येक सूचना को टंकित कर डिजिटाईज़ड रूप में ही तैयार कर सम्मिलित किया जायेगा. भविष्य में यदि आयोग को इन मैनुअलों कS scanned होने संबंधी शिकायत प्राप्त होती है तब आयोग द्वारा ऐसी शिकायतों पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 सह धारा 20(1) तथा 20(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है.

12. प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर पर अब यह निरंतर विभागीय समीक्षा के माध्यम से उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिससे मुख्यालय तथा सचिवालय स्तर पर ऐसी कोई भी सूचना, जो विभाग से संबंधित हो, वह इन 16 मैनुअलों के बाहर यथासंभव न रह पाये. ऐसी समस्त सूचना को डिजिटाईज़ड कर इन 16 मैनुअलों में सूचीपत्रित (indexed) और अनुक्रमणिकाबद्ध (catalogued) रूप में रखा जायेगा. हार्ड प्रति तथा साफ्ट् कापी के प्रथम पृष्ठ परं लोक प्राधिकारी द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि उपरोक्त मैनुअल किस तिथि तक अद्यतन है. सामान्यतः सरकार में वित्तीय वर्ष को वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है. अतः प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन अर्थात 01 अप्रैल या अन्य काई भी ऐसी तिथि को निश्चित किया जायेगा जब तब सूचना को अद्यतन कर मैनुअल के प्रथम पृष्ठ में अंकित किया जायेगा. जैसा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में प्राविधानित है, इस प्रकार से तैयार मैनुअलों को वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाना प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये अनिवार्य होगा.

13. इन मैनुअलों में किस प्रकार से सम्मिलित सूचना को अद्यावधिक किया जायेगा इसके कुछ उदाहरण अग्रेतर प्रस्तरों में दिये जा रहे हैं. इसी प्रकार की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर इसकी, निरन्तर समीक्षा की जायेगी कि अन्य किस–किस प्रकार की सूचनायें मैनुअल संख्या 1 से 16 में विषय–वार सम्मिलित की जा सकती है.

14. आयोग द्वारा, विभिन्न अपीलों में पारित आदेश द्वारा प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर पर, लोक प्राधिकारी के द्वारा व्यवहृत किये जा रहे विषयों पर प्रवृत्त समस्त शासनादेशों के संकलन दो खण्डों में सूचीबद्ध तथा श्रेणीबद्ध करने के निर्देश दिये गये थे. इस शासनादेश –संकलन के प्रथम खण्ड में उत्तर प्रदेश काल में प्रख्यापित किंतु नये राज्य में अभी भी प्रवृत्त शासनादेशों का संकलन तथा द्वितीय खण्ड में 09 नवम्बर 2000 के उपरांत जारी शासनादेशों का संकलन सूचीपत्रित (indexed) और अनुक्रमणिकाबद्ध (catalogued) कर उन्हें डिजिटाईज़ कर सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे. अधिकांश विभागों द्वारा इस कार्य को पूर्ण कर भी लिया गया है. दो खण्डों में संकलित शासनादेशों के संग्रह को अब सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअल संख्या 3 में यथावत सम्मिलित कर लिया जाना है. ज्ञातव्य है कि मैनुअल 3 में विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है, को संचित कर उपलब्ध कराया जाना है. चूंकि शासनादेश उक्त परिभाषा के अंतर्गत आने वाले अभिलेख हैं अतः शासनादेशों के इस संग्रह को मैनुअल संख्या 3 में सम्मिलित किया जायेगा.

15. इसी श्रेणी में प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उनके द्वारा व्यवहृत किये जाने वाले विषयों के संबंध में जो मंत्रिपरिषद के निर्णय होते हैं, वे भी आते हैं. इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होन के उपरांत सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के अनुसार जिसमें मंत्रिमण्डल के कागज–पत्र जिसमें मंत्रि परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक विभाग के द्वारा सचिवालय में उनके अनुभाग से संबंधित और निदेशालय में मंत्रिपरिषद के ऐसे निर्णयों से संबंधित जो भी अभिलेख उपलब्ध हों उन्हें भी सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध रूप से डिजिटाईज्ड फॉर्म में मैनुअल संख्या 3 में सम्मिलित किया जाना है. अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के प्राविधानों के अनुसार केवल ऐसे मंत्रिमण्डल के कागज–पत्र सम्मिलित नहीं किये जाने है जिन पर मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरांत भी अभी कार्यवाही किन्हीं कारणों से पूर्ण न हो सकी हो, और निर्णय के उपरांत भी कार्यालयादेश निर्गत न हुआ हो. इस प्रक्रिया को पूरा करते समय यह भी स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगा कि किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा राज्य के मंत्रिपरिषद के निर्णय के उपरांत भी ऐसे कितने निर्णयों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, जबकि मत्री– परिषद के निर्णय के उपरान्त सामान्यतः एक निर्धारित समयावधि के अंतर्गत क्रियान्वित कर लिया जाना चाहिये था और समीक्षा के उपरांत लोक प्राधिकारियों को इस प्रक्रिया में यह भी अवसर मिलेगा कि वे ऐसे समस्त मंत्रिपरिषद के निर्णयों की समीक्षा कर सकेंगे जिन पर राज्य की सर्वोच्च नीति निर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत निर्णय होने के उपरांत भी क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता परिलक्षित होती हो. सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत विद्यमान व्यवस्था से स्पष्ट है कि अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन से प्रशासनिक सुधार के ऐसे अनेकों अवसर प्रत्येक लोक प्राधिकारी को प्राप्त होते हैं जो कि अन्य किसी भी व्यवस्था या अधिनियम के अनुपालन से नहीं होते हैं.

16. अधिकांश लोक प्राधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में जो व्यवस्था की गयी है उसमें कर्तव्य के संबंध में जो व्यवस्था की गयी है उसमें कर्तव्य सूची (duty chart) जिस प्रकार से निर्धारित होना चाहिये था. उसका सामान्यतः अभाव पाया गया है. इस मैनुअल संख्या 2 में विस्तृत समीक्षा करके सम्मिलित किया जाना

चाहिये. कई विभागों में और लोक प्राधिकारियों में विनिश्चय की प्रक्रिया के सामान्य रूप में कार्यवृत्त जारी किये जाते हैं जैसे परिषदों, निगमों इत्यादि द्वारा मैनुअल संख्या 3 में ऐसे प्राधिकारी के द्वारा जिनमें अपनी प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के द्वारा लोक प्राधिकारी के विनिश्चय करते हुए निर्णय लिये जाते हैं उनको भी सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध तरीके से डिजिटाईज्ड करते हुए मैनुअल संख्या 3 में सम्मिलित किया जाना चाहिये. यह कार्य भी अधिकांश निगमों, प्राधिकरणों के स्तर पर अभी भी बडी मात्रा में अवशेष पाया गया है, और जिसे अब एक अभियान के रूप में डिजिटाईज्ड करते हुये मैनुअल संख्या 3 में सम्मिलित कर आयोग को अनुपालन के माध्यम से निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अवगत कराया जायेगा.

17. मैनुअल संख्या 5 में अपने को आबंटित विषयों से संबंधित केन्द्रीय व राज्य अधिनियम, नियम, विनियम, मैनुअल के अतिरिक्त अब सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रख्यापित नियमों, कार्यालय ज्ञापों इत्यादि का भी समावेश मैनुअल संख्या 5 में यथा स्थान किया जाना होगा.

18. किसी भी नयी नीति या निर्णय के किये जाने से पूर्व जो जनसामान्य से परामर्श लेने की एक पारदर्शी तथा प्रतिभागी व्यवस्था अधिकांश लोक प्राधिकारियों /मंत्रालयों द्वारा प्रारंभ की गयी है, जिसका अधिकांशतः केन्द्रीय मंत्रालयों के स्तर पर अनुपालन किया जाता है प्रस्तावित नीति के प्रख्यापन के उपरांत नीति को अंतिम करते समय जो प्रकिया बनायी गयी हो उसको भी समावेशित करते हुए जो भी नीति अंतिम की जाती है उसको भी मैनुअल संख्या 7 (सात) में लोक प्राधिकारी द्वारा स्थान दिया जाना चाहिये.

19. 8 में लोक प्राधिकारी के अधीनस्थ समस्त बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जो कार्यवृत्त निर्गत हुए हों उनको भी सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध करते हुए मैनुअल संख्या 8 में सम्मिलित किया जाना चाहिये.

20. मैनुअल संख्या 9 में न केवल अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका को पूरे संगठन के लिये डिजिटाईज्ड कर प्रख्यापित करना चाहिये बल्कि इसी क्रम में जो अधिकृत वरिष्ठता सूची हो उसको भी सम्मिलित करना चाहिये और यदि यह वरिष्ठता सूची किसी न्यायालय के निर्णय के अधीन है तब उसमें भी अभिव्यक्त रूप से रिट याचिका इत्यादि का उल्लेख देते हुए, जो भी न्यायालय के निर्देश हों उसको स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिये. मैनुअल संख्या 9 में ही जो भारत सरकार कें द्वारा विभिन्न प्रकार के आरक्षण संबंधी रोस्टर, जिनमें अनुसूचित जाति, जन जाति के रोस्टर, निर्धारित किये गये हों, उनको भी विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर के स्तर से प्रमाणित करते हुए मैनुअल संख्या 9 का ही भाग बनाया जाना चाहिये.

21. मैनुअल संख्या 10 में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का उल्लेख किया जाना है, और उसमें जब भी कोई संशोधन होता है तब उस संशोधन को भी सम्मिलित किया जाना वांछित है. अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों में मैनुअल संख्या 13 की ओर प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देते हुए लोक प्राधिकारी के द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की रियायतों, अनुज्ञा पत्रों और प्राधिकारियों के लाभकर्ताओं का विवरण भी सम्मिलित कर डिजिटाईज्ड किया जाना चाहिये. ग्राम–वार, विकासखण्ड–वार, बी.पी.एल सूची, एपीएल सूची, विभिन्न छात्रवृत्तियों, राशन–कार्डों इत्यादि के विवरणों को भी मैनुअल संख्या 13 में सम्मिलित किये जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जानी चाहिये और इसको अनिवार्य रूप से न केवल प्रख्यापित किया जाना चाहिये बल्कि समय–समय पर जो संशोधन होते है उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिये. आयोग ने अपने कई निर्णयों में फर्जी राशन कार्डों, फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में आदेश देते हुए उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित भी किया है. ऐसी स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकारियों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि राज्य सरकार के माध्यम से जो भी रियायत या सुविधायें जनसामान्य को प्राप्त होती हैं उनको भी पारदर्शी और समयावधि के साथ मैनुअल संख्या 13 में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये.

मैनुअल संख्या XVII

22. मैनुअल संख्या 17 एक ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसमें पूर्ववर्ती 16 मैनुअलों में जो भी उपयोगी सूचना लोक प्राधिकारी के स्तर पर संकलित कर सूचिबद्ध व अनुक्रमणिकाबद्ध होने से अवशेष रह जाती है ऐसी समस्त महत्वपूर्ण व उपयोगी सूचना को मैनुअल 17 का लाभ देते हुए समावेशित कर लिया जाना चाहिये. कई लोक प्राधिकारियों द्वारा मैनुअल संख्या 17 का उपयोगी और अनुकरणीय लाभ उठाया गया है. उदाहरण के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में अपने द्वारा निर्मित सभी सड़कों, भवनों, पुलों इत्यादि का विस्तृत विवरण और सूचियॉ सम्मिलित की गयी है. इसी प्रकार से सिंचाई विभाग द्वारा अपने

द्वारा निर्मित सभी सिंचाई योजनाओं के विवरण मैनुअल संख्या 17 में सम्मिलित कर लिये गये हैं. अब यह प्रत्येक लोक प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वह मैनुअल संख्या 17 के प्राविधान का लाभ लेते हुए पूर्ववर्ती 16 मैनुअलों में सम्मिलित होने से जो भी सूचना अवशेष रह गयी हो और जो स्वयं उनके व नागरिकों की दृष्टि से उपयोगी हो, जिसे जनता द्वारा बार–बार मांगा जा सकता हो उसको भी सम्मिलित करते हुए उसे सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध कर मैनुअल संख्या 17 में संकलित करते हुए उसे डिजिटाईज्ड भी किया जायेगा.

23. पूर्ववर्ती प्रस्तरों में मैनुअल संख्या 1 से 16 और विशेषतयः मैनुअल संख्या 17 के संबंध में विस्तृत निर्देश इस आशय से निर्गत किये जा रहे हैं जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(2) में उल्लिखित उस लक्ष्य को इण्टरनैट तथा अन्य माध्यम से प्राप्त किया जा सकें जिसमें यह अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा स्वप्रेरणा से जनता को इतनी अधिक सूचना उपलब्ध करा दी जाये जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का न्यूनतम अवलम्बन लेना पड़े. इसी क्रम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा जो अपने अधीनस्थ कार्यालयों से समय–समय पर सूचना प्राप्त करने के लिये मासिक, त्रैमासिक, अर्ध–वार्षिक और वार्षिक सूचनायें निर्धारित परिलेखों के माध्यम से मांगी जाती हैं उन सूचनाओं को भी वह निर्धारित 17 मैनुअलों में संकलित कर अद्यावधिक रखते हुए सूचना उपलब्ध करा सकते हैं. इसी प्रकार से लोक प्राधिकारी के द्वारा अब तक प्रकाशित समस्त वार्षिक प्रतिवेदनों, अधिकृत प्रकाशनों, पुस्तकों और एनआईसी के माध्यम से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले विकासात्मक आंकड़ों को भी मैनुअल संख्या 17 में इस प्रकार से स्थान दिया जा सकता है जिससे राज्य में स्थित कोई भी लोक सूचना अधिकारी मात्र 4(1)(ख) की उपरोक्त व्यवस्था अंतर्गत हर प्रकार की सूचना को सहज रूप में प्रार्थी को उपलब्ध करा सकते है. आयोग के स्तर से अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन की इस कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से जो अपेक्षा की जा रही है उससे न केवल जनसामान्य को ही लाभ मिलेगा बल्कि लोक प्राधिकारी के अधीनस्थ प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी भी इससे स्वतः ही लाभान्वित होंगे. अधिनियम की धारा 8 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होगा कि केवल इंटैलीजेन्स सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंध रखने वाले विभागों को छोड़कर जो भी सामान्यतयः सूचना अधीनस्थ विभागों द्वारा संकलित की जाती है वह सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना में सम्मिलित हो जाती है. ऐसी स्थिति में राज्य स्तर पर अधिकांश लोक प्राधिकारियों द्वारा जो भी सूचनायें अधिकृत रूप से कभी भी संकलित की गयी हों वह सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत स्वतः ही प्रकटनीय है. ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती प्रस्तरों में जो निर्देश दिये गये हैं उसके क्रम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी के विभागाध्यक्ष और प्रमुख सचिव, सचिव का यह प्रथम उत्तरदायित्व बनता है कि वे अपने धारा 4 में दिये गये उत्तरदायित्व का अनुपालन इस प्रकार से करेंगे जिससे धारा 8 के प्रयोग की आवश्यकता ही न पड़े. आयोग के द्वारा जो विभिन्न लोक प्राधिकारियों की समीक्षा की जा रही है उसमें धारा 4 के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअलों की समीक्षा करते समय प्रत्येक लोक प्राधिकारी के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणियॉ की गयी हैं उसके क्रम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि समीक्षा के साथ–साथ वे इस कार्यालयादेश में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपनी अनुपालन आख्या आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

24. इस कार्यालय–आदेश में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड अपडेट में भी जो विभिन्न अवसरों पर धारा 4 के प्राविधानों के संबंध में पत्र / कार्यालय – आदेश निर्गत किये गये हैं उस ओर भी लोक प्राधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराया जाता है.

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 7412 / उ.सू.आ. / 2010 दिनांक : अगस्त 28, 2010

प्रतिलिपि :

1. समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष (मानक सूची के अनुसार), उत्तराखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ.
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अनश्रवणार्थ.
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
4. गार्ड फाईल.

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी—10 डिफैंस कालोनी, देहरादून. दूरभाष : 0135 — 2666778, 2666779

कार्यालय आदेश : XXIX/2010

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग को प्रेषित की जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट का लोक प्राधिकारी स्तर पर संकलन तथा आयोग को प्रेषण.

1. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यालय आदेश संख्या 36 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक 28 / 11 / 2005 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग को पांच बिदुओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक प्रेषित की जाती है. इसी प्रकार भिन्न — भिन्न बिंदुओं पर भी लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग को प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित किये जाते हैं.

2. लोक प्राधिकारियों के स्तर से उक्त मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को आयोग को प्रेषित करने के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में भी यह निर्देश दिये गये थे कि समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों से उक्त रिपोर्ट को प्राप्त कर संकलित रूप से आयोग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा. किंतु आयोग में प्राप्त हो रही मासिक प्रगति रिपोर्ट के अध्ययन से यह तथ्य आयोग के संज्ञान में आया है कि अब भी कुछ लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को संकलित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है तथा लोक प्राधिकारियों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पृथक — पृथक मासिक रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जा रही है.

3. उपरोक्त के क्रम में आयोग द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि आयोग के निर्देशों के अनुपालन में लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग को प्रेषित की जाने वाली समस्त मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को समस्त राज्य स्तरीय लाके प्राधिकारियों द्वारा अपने समस्त अधीनस्थ कार्यालयों से संबधित सूचना प्राप्त कर आयोग को संकलित रिपोर्ट प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

4. सचिवालय स्तर की सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा संबंधित निदेशालयों को प्रेषित की जायेगी जिनके द्वारा संकलित सूचना आयोग को प्रेषित की जायेंगी. सचिवालय स्तर पर ऐसे विभागों की सूचना, जिनके निदेशालय नहीं हैं अथवा जिनके विभागाध्यक्ष कोई प्रमुख सचिव / सचिव हैं, को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में संकलित किया जायेगा तथा संकलित सूचना को आयोग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या :7423 / उ.सू.आ. / 2010

दिनांक : अगस्त 30, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1. समस्त विभागाध्यक्ष (सूची के अनुसार)
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
4. सचिव, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779, ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्ंया :9299 / उ.सू.आ. / 2010 दिनांक : अक्टूबर 30, 2010

अपर निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
नरेन्द्र नगर

विषय :राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 में सूचना का अधिकार अधिनियम को पाठ्यक्रम में जोड़ने संबंधी.

सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुये अब पांच वर्ष का समय हो चुका है. इन पांच वर्षों में सूचना का अधिकार अधिनियम का राज्य के नागरिकों द्वारा प्रयोग, आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों आदि के अनुभवों के आधार पर आयोग की दृष्टि में यह उपयुक्त पाया गया है कि राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी प्रचार – प्रसार तथा उपयोग के लिए सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी विद्यालयी पाठ्यक्रम में माध्यम से दिया जाना श्रेयस्कर होगा तथा इससे जनसामान्य में इसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी।

उपरोक्त के क्रम में कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 के पाठ्यक्रम में अगले शैक्षणिक सत्र से जोड़ने के लिए यथावश्यक कार्यवाही कर आयोग को अवगत करायें.

एन.एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
2. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, जनपद नैनीताल.

एन.एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779
http://uic.gov.in

पत्रांक : 1956 / उ.सू.आ. / 2011
दिनांक : 08 / 03 / 2011

प्रिय सुभाष,

आयोग में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष यह तथ्य आये हैं कि कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने पद तथा उनको प्राप्त शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये सूचना आवेदनकर्ताओं को उत्पीड़ित कर हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह तथ्य आयोग में आपके साथ बैठक के समय में इंगित किया गया था।

2. आयोग के समक्ष प्रस्तुत ऐसे प्रकरणों में से कुछ को मैं आपके संज्ञान मे लाना चाहूंगा.

2.1 आयोग में योजित द्वितीय अपील संख्या A(D)-3721 / 2010 श्री एल.पी. जुयाल बनाम लोक सूचना अधिकारी / थानाध्यक्ष, बंसत विहार, देहरादून व अन्य में शिकायत की गई है कि उपनिरीक्षक, जय प्रकाश कोहली, चौकी इंचार्ज, इंदिरा नगर, देहरादून द्वारा आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पर तथा उससे संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिये गये अनुरोध पत्र की जांच के क्रम में आवेदक के ही विरूद्ध सीआरपीसी 107 / 116 की कार्यवाही कर दी गयी. यह कार्यवाही आवेदक द्वारा की गयी शिकायत तथा सूचना आवेदन पत्र की प्रतिक्रिया के रूप में की गयी है.

2.2 आयोग में योजित द्वितीय अपील संख्या A(D)–3900 / 2010 डॉ. सम्राट शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी / प्राचार्य, बी. एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूड़की, जिला हरिद्वार व अन्य में शिकायत की गई है कि प्राचार्य, बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनकी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में अंकन किया गया. यह कार्यवाही आवेदक द्वारा की गयी शिकायत तथा सूचना आवेदन पत्र की प्रतिक्रिया के रूप में की गयी है.

2.3 आयोग में योजित शिकायत संख्या 3874 / सी–18(2)(1105) / 2010 मौ0 मुरसलीन कुरैशी बनाम लोक सूचना अधिकारी / कोतवाली प्रभारी निरीक्षक, ज्वालापुर जिला हरिद्वार व अन्य में शिकायत की गई है कि प्रभारी निरीक्षक, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा आवेदक के सूचना के अनुरोध पत्र को फाड़कर उसके साथ मारपीट कर उसे बन्द कर दिया गया। यह उत्पीड़न आवेदक द्वारा सूचना हेतु अनुरोध पत्र दिये जाने की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया है.

2.4 आयोग में योजित शिकायत संख्या 3748 / 18(2) / 2010 श्री मोहन सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी / जिलाधिकारी, चमोली व अन्य में शिकायत की गई है कि नायब तहसीलदार, घाट जिला चमोली, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उन पर शान्ति भंग करने का आरोप लगाकर नायब तहसीलदार को एक झूठा शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप उप जिला मजिस्ट्रेट, चमोली ने धारा 107 / 116 सी.आर.पी.सी. के तहत चालान किया। यह कार्यवाही आवेदक द्वारा की गयी शिकायत तथा सूचना आवेदन पत्र की प्रतिक्रिया के रूप में की गयी है.

3. आयोग द्वारा इन समस्त प्रकरणों को अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है तथा सम्बन्धित उत्पीड़नकर्ताओं के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही करने की संस्तुति दी गयी है /दी जा रही है। सूचनार्थियों को लोकप्राधिकारियों अथवा लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा सूचना मांगने के आधार पर या प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पीड़ित किया जाना नितान्त आपत्तिजनक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सूचना के अधिकार की मूल भावना पर ही कुठाराघात होता है जो किसी भी प्रकार सहनीय नहीं है।

4. अतः आपसे अनुरोध है, कि शासन के समस्त प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों, मण्डल आयुक्तों एंव जिला अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि लोकप्राधिकारियों के रूप में वह सुनिश्चित करें कि किसी भी अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा सूचनार्थियों का किसी प्रकार का उत्पीड़न न किया जाये तथा उत्पीड़न किये जाने का संज्ञान होने पर ऐसे अधिकारियों/प्राधिकारियों के विरूद्ध अत्यन्त कठोर कार्यवाही की जाये।

5. यह भी अनुरोध है, कि राज्य सरकार की ओर से कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को यह संस्तुति प्रेषित की जाये कि उत्पीड़न के ऐसे कृत्यों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में लाकर उत्पीड़नकर्ता के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा योजित करने का विधिक प्रावधान अधिनियम में संशोधन द्वारा किया जाये।

6. कृपया शासन स्तर से उपरोक्त बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की सूचना आयोग को भी यथाशीघ्र देने का कष्ट करें। कृपया इस गम्भीर प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ,

एन. एस. नपलच्याल

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

प्रतिलिपिः— श्री राजीव चन्द्र, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

* * *

वर्ष 2010 – 11 में
आयोग द्वारा
द्वितीय अपीलों / शिकायतों
में आरोपित शास्तियां
तथा अंकित आदेशों
का सार

क्र सं.	शिकायत / अपील संख्या	दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट पेटिशन संख्या तथा दिनांक	अभ्युक्ति
1	अ–2182	16-Mar-10	श्री सगीर मियां अंसार पुत्र स्व0 श्री हबीब अहमद, वार्ड नं. 8, निकट उर्वशी सिनेमा, किच्छा जिला उधम सिंह नगर प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किच्छा 2.विभागी अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी, रूद्रपुर उधम सिह नगर	लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस के दिये जाने के बाद भी अनुमन्य सूचना तक पहुंच मै अवरोध करने का प्रमाणित मानते हुए उन पर 5000 – रू0 का आर्थिक दण्ड दण्ड आरोपित कर उनके अगले माह के वेतन से काटते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के राजस्व मद में जमा किया जायेगा। प्रथम विभागीय अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता प्रार्थी द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये क्षतिपूर्ति के विवरण के अनुसार लोक प्रधीकारी के रूप मे उपजिलाधिकारी, रूद्रपुर उधम सिह नगर कार्यालय पर 4200 –रू0 की क्षतिपूर्ति आरोपित किया जाता है ।	The operation of the impugned order dt. 16.3.10 Passed by the CIC Uttarakhand shall remain stayed.	
2	अ–2200	16-Mar-10	श्री आजाद सिह पुत्र नकली सिंह, ग्राम महेसरा, पोस्ट गोधनुपर, तहसील लक्सर , खानपुर, जिला हरिद्वार प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी थानाध्यक्ष, थाना खानपुर, जिला हरिद्वार 2. विभागी अपीलीय अधिकारी क्षेत्राधिकारी, लक्सर जिला हरिद्वार।	लोक सूचना अधिकारी पर अनुमन्य सूचना तक पहुंच में अवरोध उत्पन्न करने को प्रमाणित मानते हुए उन पर 5000 – रू0 का आर्थिक दण्ड आरोपित करते हुए उनके नियंत्रक अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को उन पर लागू विभागीय सेवानियमावली के अन्तर्गत उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है ।		कार्यवाही चल रही है ।

3	अ–2024	9-Mar-10	श्री कोमल, मकान नं0–279, आवास विकास कालोनी, रूड़की हरिद्वार प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी डी0ए0बी0 (पी0जी0) कालेज देहरादून 2. विभागी अपीलीय अधिकारी डी0ए0बी0 (पी0जी0) कालेज देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस के सापेक्ष कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया । लोक प्राधिकारी डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज देहरादून पर अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु 2000 रू. की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की गयी है ।		कार्यवाही चल रही है ।
4	अ–1990	15-Mar-10	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, 104, ईश्वर विहार, फेस–2, रायपुर रोड, देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी जिला सूचना अधिकारी, देहरादून 2. विभागी अपीलीय अधिकारी जिला अधिकारी देहरादून	लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस के तहत सूचना तथ्यों पर आधारित न होने तथा त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक होने के कारण लोक सूचना अधिकारी पर 5000 रू. का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है ।	The operation of the impugned order dt 15.3.10 annexed as annexure No.1 to the Writ Petition Shall Remain Stayed.	
5	अ–2160	15-Mar-10	श्री दीपक आजाद, 855 2, इन्दिरा नगर, देहरादून प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी अनु सचिव, कार्मिक अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून 2. विभागी अपीलीय अधिकारी कार्मिक अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन देहरादूना	लोक सूचना अधिकारी पर 10000 रू. का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है ।		माननीय उच्च न्यायाल द्वारा पारित आदेश की प्रति शासन के पत्र संख्या 66/2011–54 दिनांक 3.2.2011 के द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है ।

6	अ–2171	10-3-2-10	श्री किशोर मैठाणी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड एडीटर्स एसोसियेशन, नटराज चौक, ऋषिकेश, देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, पौड़ी 2. विभागी अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी	लोक प्राधीकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी पर 1000 रू. का अपीलार्थी के क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है ।		बैक ड्राफट संख्या 640746 दिनांक 21.4.2011 द्वारा अपीलकर्ता को प्रेषित कर दिया गया है ।
7	अ–2152	8-Mar-10	सभासद कान्ता कुकरेती, डोईवाला, देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी, डोईवाला नगर पालिका परिषद जिला देहरादून। 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिला अधिकारी देहरादून	लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी डोईवाला नगर पालिका परिषद जिला देहरादून पर 10000 रू. का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है ।		मसूरी देहरादून विकास प्रधीकरण देहरादून एवं नगर पालिका परिषद में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन कोषागार से आहरित होने के कारण कोषागार स्तर से काई कार्यवाही न होने के कारण मूल रूप में वापस किया गया है ।
8	अ–2097	10-Mar-10	श्री किशोर मैठाणी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड एडीटर्स एसोसियेशन, नटराज चौक ऋषिकेश, देहरादून प्रतिवादी 2. लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, यमकेश्वर, जिला पौड़ी 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी।	लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी यमकेश्वर पौड़ी पर 1000 रू. का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है ।		दिनांक 13.10.10 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति के रूप में 1000/– की धनराशि चैक संख्या 698307 दिनांक 30.10.10 की धनराशि पंजीकृत पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है ।

9	अ–2220	11-Mar-10	श्री रमेश सिंह बोरा पुत्र श्री कृष्ण सिंह बोरा, ग्राम मल्लाखोली, पोस्ट सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी प्राचार्य आम्रपाली संस्थान लामाचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी कुलपति कुमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी पर 250 – रू0 प्रतिदिन के हिसाब से 10000 रू. की शास्ति आरोपित कर दी जाय ।		कार्यवाही चल रही है ।
10	अ–2065	15-Mar-10	श्री राम रतन रवि, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय दलित साहित्य अकादमी, उत्तराखण्ड, 75–रतन–रागिनी भवन, नालापानी रोड, देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार सदर, देहरादून 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी तहसीलदार सदर देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार सदर देहरादून पर 2500 रू. की शास्ति आरोपित की गयी		कार्यवाही चल रही है ।
11	अ–2088	2-Mar-10	श्री मुकेश कुमार एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, चम्बर नं 251, प्रथम मंजिल रोशनाबाद, हरिद्वार, उत्तराखण्ड प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय हरिद्वारा 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल, मण्डल पौड़ी	लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय हरिद्वार पर 10,000 रू. का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।		वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वारा द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.3.2010, द्वारा अवगत कराया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निर्गत अगले माह के वेतन से कटौती करने हेतु लिखा गया है.

12	अ–2110	8-Mar-10	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, 104, ईश्वर विहार, फेस–2, रायपुर रोड, देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी अपर निदेशक शहरी विकास, निदेशालय माता मन्दिर रोड देहरादून ।	विभागीय अपीलीय अधिकारी शहरी विकास निदेशालय पर अपीलकर्ता प्रार्थी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से लेकर राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के वास्तविक व्यय के आधार पर 3100 – रू. का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।		पत्र संख्या 1375 दिनांक 17.11.2010 चैक संख्या 017817 द्वारा जमा कर लिया गया है ।
13	अ–1748	2-Mar-10	श्री हरदीप शर्मा, पत्रकार, श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर के पास, बसन्त विहार गिरीताल काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, काशीपुर 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला विकास अधिकारी, उधम सिंह नगर	लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, काशीपुर पर 10,000 रू. का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।		अनुपालन कर लिया गया है। अप्रैल 2010 के वेतन से रू.10000 – लेखा शीर्षक 0070 अर्थदण्ड में जमा किये जाने के आदेश पारित कर दिया गया है।
14	अ–2061	2-Mar-10	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, 236–एल, नागेश्वर डाकरा बाजार, देहरादून, उत्तराखण्ड प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला अधिकारी देहरादून	लोक सूचना अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी पर 5,000 रू. का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।		कार्यवाही चल रही है ।

15	अ–2268	8-Mar-10	श्री कुलदीप भण्डारी, एडवोकेट, एडवोकेट चैम्बर नं.–77, नई बिल्डिंग, प्रथम तल, बार एसोसियेशन के सामने, कोट कम्पाउण्ड, देहरादून प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, प्रीतम रोड देहरादून 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधीकरण, प्रीतम रोड, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी पर 15,000 रू. का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।		रिट संख्या 684/2010 में माननीय उच्च न्यायाल नैनीताल में पिचाराधीन है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।
16	अ–2198	10-Mar-10	श्री ए कुमार, 21 14 साह निवास, ई0सी0 रोड, देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी समन्वयक, वित्त एवं प्रशासन, आई0टी0डी0ए0,93 फेस ।। बसन्त विहार, देहरादून 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।	लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को समय पर सूचना न देने के कारण अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 – रू0 का अर्थ दण्ड आरोपित किया है ।		आई0टी0डी0ए0 के पत्रांक 152 दिनांक 15.6.2010 के माध्यम से चेक संख्या 558422 दिनांक 14.6.2010 द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित कर दिया गया है
17	अ–2061	8-Mar-10	श्री प्रवेश कुमार मौर्य पुत्र श्री राम दरश सिंह, ग्राम भगचुड़ी, पोस्ट जमौर, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खटीमा उधम सिंह नगर 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय नवाबी रोड हल्द्वानी, जिला नैनीताल	लोक प्राधिकारी हे.न. बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा,जिला उधम सिंह नगर पर 2000 रू. का क्षतिपूर्ति राशि अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु आरोपित किया जाता है ।		प्रा0 (से.नि.) राजकीय महाविद्यालय खटीमा के प्रत्रांक दिनांक 25.3.2010 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि क्षतिपूर्ति राशि 2000 – रू0 डाफ्ट संख्या 366596 के माध्यम से अनुपालन कर लिया गया है।

18	अ–2340	8-Mar-10	श्री कुलदीप सिंह भण्डारी, एडवोकेट, चैम्बर नं. 77, नई बिल्डिंग, प्रथम तल, बार एसोसियेशन के सामने, कोर्ट कम्पाण्ड,देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, प्रीतम रोड, देहरादून 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, प्रीतम रोड, देहरादून।	लोक सूचना अधिकारी पर 15000 – रू. का आर्थिक दण्ड आरोपित किया जाता है ।	WP No. M/S 684/10 Adjourned on 21.5.2010	कार्यवाही चल रही है।
19		16-4-2010	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, 104 ईश्वर विहार, फेस –2, रायपुर रोड देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अनुभाग –1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी उप सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।	लोक सूचना अधिकारी पर 5000 – रू. का आर्थिक दण्ड आरोपित किया या है ।	Operation of the impugned order dt. 16.4.2010 WP shall remain stayed.	कार्यवाही चल रही है।
20	अ–2472	15-Apr-10	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, 104 ईश्वर विहार, फेस –2, रायपुर रोड देहरादून प्रतिवादी 1.लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार 2.विभागीय अपीलीय अधिकारी अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।	विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय पौड़ी पर 4200–रू0 की क्षतिपूर्ति तथा लोक सूचना अधिकारी पर 25000 – रू. का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया है ।		कार्यवाही चल रही है।
21	अ–2129	16-Apr-10	श्री लखन लाल चौहान पुत्र श्री खुशी राम 28, भीमगोड़ा हरिद्वार प्रतिवादी 1. लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी।	लोक प्राधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार पर अपीलकर्ता को 5000 – रू. की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित किया गया है ।		कार्यवाही चल रही है।

आयोग द्वारा धारा 25
के अंतर्गत की गयी
अनुश्रवणात्मक कार्यवाही

अध्याय : 9

आयोग द्वारा धारा 25 के अंतर्गत की गयी अनुश्रवणात्मक कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के द्वारा राज्य सूचना आयोग को मॉनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व प्रदत्त है. सूचना का अधिनियम की धारा 25(5) के अनुसार :

''यदि राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो वह उस प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा।''

अधिनियम की उक्त धारा के प्राविधान के अनुरूप आयोग द्वारा विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों के आदेशों में ऐसे उपाय लोक प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किये जाते हैं जिनसे समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों तथा भावनाओं के क्रियान्वयन में अनुभव की जा रही शिथिलताओं का प्रभावी निराकरण कर सकें.

वर्ष 2010 – 11 में आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों को की गयी ऐसी सिफारिशों का सार इस वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा रहा है. तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि आयोग की सिफारिशों पर अधिकतर लोक प्राधिकारियों के स्तर पर कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है.

अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत की गयी अनुश्रवणात्क कार्यवाही का सार

वर्ष 2010 – 11

क्रम स0	अपील / शिकायत संख्या	वादी / प्रतिवादी	आदेश दिनांक	आयोग द्वारा प्रस्तावित उपाय	कृत कार्यवाही
2	अ–1976	संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री सी. आर. सिंह बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी / तहसीलदार, काशीपुर, उधमसिंहनगर. 2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / उप जिला अधिकारी, काशीपुर, उधमसिंहनगर	29.12.2010	आदेश की एक प्रति राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग और न्याय विभाग को इस आशय से प्रेषित की जाये कि आयोग द्वारा शिकायत संख्या 2007 / सी 18(2) : 638 / 2009 श्री रामनाथ साह बनाम लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल व अन्य में राजस्व गांवों के नगरीय क्षेत्र में आमेलित हो जाने के सबधं में दिये गये निर्देश के क्रम में आदेश निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर अपनी स्थिति स्पष्ट कर आयोग को वस्तु–स्थिति से अवगत कराया जायेगा। चूंकि इस प्रकरण पर काफी बड़ी संख्या में राज्य सूचना आयोग को प्रार्थना पत्र प्राप्त हो सकते हैं और आयोग द्वारा उसी क्रम में भविष्य में आदेश किये जाने हैं अतः इस अपील के क्रम में भी उक्त बिन्दुओं पर प्रमुख सचिव, राजस्व, सचिव, नगर विकास और सचिव, न्याय के स्तर पर स्थिति अगले 15 दिन के अन्दर स्पष्ट की जायेगी। इसके आधार पर यदि कोई संगत शासनादेश भी दोनों विभागों अर्थात शहरी विकास विभाग और राजस्व विभाग द्वारा लागू होने या न होने की स्थिति के संबंध में भी अभिलेखों के अभिरक्षण और इसमें किसी प्रकार के अंतरण के संबंध में में जो भी न्यायिक स्थिति हो उसे स्पष्ट किया जाये।	

3	अ–2328	श्री फरियाद अली बनाम 1. लो0 सू0 अ0/ उपनिदेशक, आयुवैर्दिक एवं यूनानी सेवायें शास्त्रीनगर, देहरादून. 2. वि. अ.अ./मुख्य विकास अधिकारी, कार्यालय रोशनाबाद, हरिद्वार.	15.04.2010	विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र संख्या 14196 दिनांक 04/01/2010 के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी हैं और सूचना प्रेषण करने में जो विलम्ब हुआ है उसके लिए कैशियर को कठोर चेतावनी दी गयी है विलम्ब का जो कारण दिया गया है उसे पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता है. स्पष्ट किया जाता है कि कैशियर के स्तर पर जो विलम्ब किया गया बताया गया है यह लोक प्राधिकारी के स्तर पर अपना आंतरिक प्रकरण है क्योकि अब सचना का अधिकार अधिनियम, कार्य आवंटन नियमावली का भाग बन गया है लोक प्राधिकारी द्वारा संबधित के संबंध में जो कार्यवाही की जायेगी उससे आयागे को भी अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत अवगत कराया जायेगा।	
4	अ–2316	श्री विक्रान्त मलिक बनाम 1. लो. सू. अ./ मुख्य विकास अधिकारी, कार्यालय रोशनाबाद, हरिद्वार 2. ग्राम्य विकास आयुक्त, कार्यालय, पौडी	12.04.2010	सचिव, सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत निदेशक, पंचायती राज द्वारा सचिव, पंचायती राज को लिखे गये पत्र पर अनुश्रवणात्मक कार्यवाही कर कृत अनुपालन से सूचना आयोग को भी अवगत कराया जायेगा।	
5	अ– 2037	श्री मांगेराम बनाम 1. लो. सू. अ./संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून. 2. वि. अ. अ./मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार	30.04.2010	सचिव, सूचना आयोग द्वारा इस अपील में आयोग द्वारा दिये गये अतंरिम आदेश दिनांक 06/04/2010 का अधिनियम की धारा 25(5) अंतर्गत लोक प्राधिकारियों से अनुश्रवण कराते हुए कृत अनुपालन से आयोग को अवगत कराया जायेगा।	
6	अ–2341	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम 1. लो. सू. अ./ संयुक्त निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, ई0सी0 रोड, देहरादून. 2. वि. अ. अ./ निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, ई0सी0 रोड,	03.05.2010	सचिव, सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में दिये गये मौखिक कथन के क्रम में अनुश्रवणात्मक कार्यवाही कराते हुए कृत अनुपालन से आयोग को अवगत कराया जाऐगा. लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो प्रस्ताव जो शासन को भेजा जायेगा उसकी एक प्रति अपीलकर्ता/प्रार्थी व सूचना आयोग को भी पृष्ठांकित की जायेगी।	

7	अ–2125	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम 1. लो. सू. अ. /अनुसचिव, गोपन विभाग, उ0 शा0 देहरादून 2. वि. अ. अ./अपर सचिव गोपन विभाग, उ0 शा0 देहदरादून	05.05.2010	लोक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आदेश निर्गत होने के 1 माह अन्दर जो अग्रेतर कार्यवाही की जानी है उसे लोक प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण किया जायेगा तथा उपरोक्त को धारा 4(1)(ख) अंतर्गत बनाये गये मैनुअलों में भी संकलित किया जायेगा सचिव, सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी से उपरोक्त कार्यवाही अनुश्रवणात्मक रूप में कराते हुए कृत अनुपालन से आयोग को भी अवगत कराया जायेगा.	
8	अ–2568	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल बनाम 1. लो.सू. अ./उपसचिव चिकित्सा अुनभाग–1 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून. 2.वि.अ.अ./अपर सचिव चिकित्सा अुनभाग–1 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	24.06.2010	लोक प्राधिकारी के द्वारा आयोग के अंतरिम आदेश दिनांक 30/05/2010 का एक माह के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालन से आयोग को अवगत कराया जाये गा. इस प्रकरण का सूचना आयोग के द्वारा अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत अनुश्रवण किया जायेगा।	

आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें

अध्याय : 10

आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें

उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने एक सरल एवं सुगम्य व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी स्थापना के प्रारंभिक काल से ही विभिन्न जनपद मुख्यालयों, विकास खण्डों तथा तहसीलों में लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती रही हैं तथा विभिन्न स्तरों पर आयोजित कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग किया है. इन समीक्षा बैठकों के साथ ही, उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा जन सुनवाई / प्रैस वार्ता आयोजित की जाती रही हैं. इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन के लिए स्थापित व्यवस्था की समीक्षा; लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के अनुपालन की प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है. जन सुनवाईयों / प्रैस वार्ताओं के माध्यम से जनसामान्य को सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के उपयोग की जानकारी दी जाती है तथा अधिनियम का प्रचार प्रसार भी किया जाता है. इन बैठकों में आयोग द्वारा प्रकाशित सामग्री भी लोक प्राधिकारियों तथा जनसामान्य के उपयोगार्थ भी बांटी जाती हैं.

वर्ष 2010 – 11 में आयोग द्वारा की गयी कुछ प्रमुख समीक्षा बैठकों एवं जन सुनवाईयों / प्रैस वार्ताओं के कार्यवृत्त इस अध्याय में दिये जा रहे हैं.

उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा आयोग मुख्यालय में भी समय – समय पर लोक प्राधिकारियों की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं. इसी क्रम में प्रदेश के समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों द्वारा मुख्यालय स्तर तथा फील्ड स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन की एक वृहद समीक्षा 05/08/10 से 22/09/10 तक प्रत्येक कार्य दिवस में विभिन्न लोक प्राधिकारीवार कुल 117 लोक प्राधिकारियों की समीक्षा आयोग मुख्यालय में की गयी. इस वृहद समीक्षा को निम्नलिखित आठ बिंदुओं पर केंद्रित किया गया :

1. लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत 17 मैनुअलों का प्रकाशन, अद्यतन तथा उनकी डिजिटाईज़ट प्रतियों को आयोग की वैबसाईट में अपलोड किया जाना तथा उनकी मैनुअलवार समीक्षा.

2 राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ, क्षेत्रीय /संभागीय, मण्डलीय, जनपदीय, उप–मण्डल/उप जनपद, तहसील व खण्ड स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअलों की उपलब्धता की स्थिति.

3 लोक प्राधिकारियों द्वारा पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्य में जारी शासनादेशों का पृथक – पृथक संकलन.

4 आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के क्रम में लोक प्राधिकारियों को अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन.

5 आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के क्रम में लोक प्राधिकारियों को अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आरोपित दण्ड / शास्तियों संबंधी कार्यवाही का अनुपालन.

6 प्रथम वाह्य अनुश्रवण समीक्षा के सुझावों का अनुपालन व प्रगति समीक्षा.

7 लोक प्राधिकारियों के स्तर पर प्रचलित विनिष्टिकरण नियमावली तथा प्रतिलिपिकरण नियम.

8. आयोग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा आयुक्त पद पर नियुक्त होने के उपरान्त मुख्य सूचना आयुक्त के साथ विचार विमर्श के उपरान्त प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय पर दो गोष्ठियां जिनमें एक गोष्ठी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त विभागीय अपीलीय अधिकारियों एवं लोक सूचना अधिकारियों से संबधित है तथा दूसरी गोष्ठी जन सामान्य जागरूकता हेतु विभिन्न नागरिक संगठनों (जैसे ब्यापार मंडल, छात्र संगठन, बार एसोसियेशन, पत्रकार संघ, महिला मंगल दल , विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों आदि) से संबंधित है आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के क्रम में दिनांक 11.01.2010 को प्रथम गोष्ठी का जिला मुख्यालय पौड़ी में प्रातः 11:00 बजे से आयोजित की गई जिसकी सूचना जिला अधिकारी पौड़ी को आयोग के पंत्राक 6334/उ.सू.आ./मा0सू0आ0/2009 दिनांक 24.12.2009 द्वारा दी गई (**संलग्नक–1**). जिसके उत्तर में उप जिलाधिकारी(सदर) पौड़ी का पत्र 485/43–लो0सू0अ0–2009–2010 दिनांक जनवरी, 7–2010 प्राप्त हुआ जिसमें गोश्ठी के आयोजन स्थल एवं गोश्ठी के सफल कियान्वयन हेतु जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी को समन्वयक अधिकारी नामित किया गया (**संलग्नक–2**).

मा0 सूचना आयुक्त महोदय ने दिनांक 10.01.2010 को मुख्यालय देहरादून से जनपद पौड़ी के जिला मुख्यालय के लिये अपने स्टाफ के साथ प्रस्थान किया एवं में सर्किट हाउस गोष्ठी पहुचे। सर्किट हाउस में उनकी आगवानी उप जिलाधिकारी (सदर), पौड़ी द्वारा की गई। उप जिलाधिकारी पौड़ी के साथ दिनांक 11.01.2010 को होने वाली गोष्ठी के बारे में विचार विमर्श किया। मा0 सूचना आयुक्त महोदय ने रात्रि विश्राम पौड़ी जनपद मुख्यालय पर किया।

दिनांक 11.01.2010 मा0 सूचना आयुक्त महोदय जिला अधिकारी पौड़ी गढ़वाल श्री दिलीप जावलकर के साथ गोष्ठी के आयोजन स्थल प्रेक्षागृह (आडोटोरियम) पौड़ी में प्रातः 11:00 बजे पहुचें। आयोजन स्थल पर जनपद पौड़ी के जनपद में स्थित विभिन्न विभागों के कुल 104 विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम जनपद पौड़ी के जिला अधिकारी श्री दिलीप जावलकर द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी का राज्य सूचना आयुक्त बनने पर बधाई देते हुए उनका जनपद के प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया। उनके द्वारा गोष्ठी के आयोजन के उद्देश्य के बारे में विस्तार से उपस्थित विभागीय अपीलीय अधिकारियों एवं लोक सूचना अधिकारियों को बताया। गोष्ठी का संचालन श्री बी0 एल0 खाली, प्रधानाचार्य, जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पौड़ी द्वारा किया गया। उनके द्वारा मा0 सूचना आयुक्त का जीवन परिचय भी उपस्थित विभागीय अपीलीय अधिकारियों एवं लोक सूचना अधिकारियों के सामने रखा। गोष्ठी में जनपद पौड़ी के विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान भी अत्यधिक संख्या में उपस्थित थें। श्री खाली द्वारा उपस्थित विभागीय अपीलीय अधिकारियों एवं लोक सूचना अधिकारियों को अपने–अपने विभाग से संबंधित गोष्ठी के लिये निर्धारित निम्न 3 बिन्दुओं पर अपने विचार रखने हेतु आग्रह किया गया :

1. सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत सूचना के स्व–प्रकटीकरण हेतु वर्ष 2005 से अब तक विभागीय अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

2. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2005 से अब तक विभागीय अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों को वर्ष वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये है एवं उनके स्तर से कितने आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया है।

3. सूचना अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु विभागीय अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों के सुझाव एवे उनको आ रही कठिनाइयाँ।

जिला शिक्षा अधिकारीः

सर्व प्रथम शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अपने विचार 3 बिन्दुओं पर रखे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले मैनुअल तैयार है जिनके अद्यतन की कार्यवाही प्रगति पर है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अब तक उनके कार्यालय में कुल 806 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है जिनमें से 791 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गई है एवं शेष 15 आवेदन पत्रों पर भी समय रहते कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उनके पास अब तक 36 अपील प्राप्त हुई हैं जिनमें से सभी का निस्तारण किया जा चुका है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम को बहुत अधिक प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता है।

इसी कम में अपर शिक्षा निदेशक, गढत्रवाल मण्डल पौड़ी द्वारा ने भी अवगत कराया कि उनके स्तर अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत बनने वाले विभागीय मैनुअल तैयार है । उनके कार्यालय में अब तक कुल 303 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से सभी का निस्तारण कर लिया गया है। प्रथम विभागीय अपीलों की स्थिति के बारे में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में अब तक कुल 326 प्रथम विभागीय अपील प्राप्त हुई हैं जिनमें से 305 का निस्तारण किया जा चुका है, शेष का निस्तारण समयान्तर्गत कर लिया जायेगा। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरोध कर्ता द्वारा सूचना व्यवस्थित, बिन्दुवार न मांगकर विवरण शब्द लिखकर डांक द्वारा मांगी जाती हैं। इस स्थिति में स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किस प्रकार का विवरण दिया जाना है और यह स्थिति अपील का कारण बनती है, जिससे शासकीय श्रम व समय व्यय होता है और अनावश्यक रूप से शोध एवं संकलन कार्य किया जाता है। इसके लिये मा0 आयोग द्वारा समाचार पत्र–पत्रिकाओं में व्यापक प्रचार प्रसर करवाया जाना वंछनीय होगा और यह स्थिति जनसामान्य के लिये विश्वसनीय होगी। सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना दिये जाने की बाध्यता है किनतु कार्यालयों में इस कार्य के निष्पादन हेतु अतिरिक्त जन शक्ति का सृजन नहीं किया गया है, इससे कार्याधिक हो गया है सूचना दिये जाने में विलम्ब होना स्वाभाविक है, साथ ही कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। उनका यह भी सुझाव था कि सूचना अधिकार में पंजीकरण शुल्क अत्यधिक न्यून रख गया है, जिसके द्वारा केवल साधारण डॉक ही प्रेषित की जा सकती है, जबकि सूचना अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसे पंजीकृत डॉक से प्रेशित किया जाना अनिवार्य है और पंजीकृत डॉक का न्यूनतम प्रेशण शुल्क रू0 22.00 मात्र है तथा सटेशनीरी व्यय अतिरिक्त है। बजट आबंटन पूर्व की भांति किया जाता है और इस हेतु अतिरिक्त धन आबंटित नहीं किया जाता है। सूचना अधिकार का न्यूनतम पंजीकरण शुल्क रू0 100.00 होना आवश्यक है तथा बी0पी0एल0 कार्ड धारक को यह सुविधा दी गयी है, जिसका दुरपयोग सक्षम व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है जिस रोका जाना चाहिये। मा0 आयोग द्वारा कतिपय प्रकरणों में सूचना अधिकार में क्षतिपूर्ति एवं दण्ड के रूप में धनराशि लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से लिये जाने का प्राविधान है, जबकि इस प्रकार की कार्यवाही दोशियों के विरूद्व की जानी वांछनीय होगी।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण :

लोक सूचना अधिकारी परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय मैनुअल तैयार कर सुव्यवस्थित रखे गये हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कुल 62 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से सभी अनुरोध पत्रों का निस्तारण किया गया है।

जिला विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रथम अपील में आधार के रूप में यह बताना आवश्यक होना चाहिये कि आवेदनकर्ता किस सूचना से संतुश्ट नही है। जब भी कोई अपीलकत्र प्रथम अपील के लिये आवेदन करता है तो आवेदन पत्र एवं लोक सूचना अधिकारी के उत्तर को शामिल करना आवश्यक होना चाहिये। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत हस्तान्तरण के लिये दिनों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये। अपीलीय अधिकारियों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये।

ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय पौड़ी:

आयुक्त कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग में म्नुअल तैयार है । मैनुअलस की हार्डकापी तथा सी.डी. कार्यालय में उपलब्ध है एवं उन्हें अद्यतन करने की कार्यवाही गतिमान है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग में अब तक कुल 92 अपील प्राप्त हुई हैं जिन सभी का निस्तारण किया जा चुका है। सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उनके कार्यालय में कुल 60 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं जिन सभी का निस्तारण किया जा चुका है। उनका सुझाव था कि प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यों को सम्पादित करने हेतु प्रथक से एक डाटा एण्ट्री आपरेटर एवं एक अनुसेवाक के पद का सृजन होना चाहिए।

राजस्व विभाग:

राज्सव विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में उप जिलाधिकारी (सदर) पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना के स्व प्रकटीकरण हेतु विभागीय मैनुअल 17 बिन्दुओं पर तैयार किया गया है जिन्हैं अपडेट कर लिया गया है। मैनुअल आम जनता के लिये कार्यालय में स्थापित सूचना कक्ष में रखे गये हैं। इन्हैं एन.आई.सी. की वैबसाइट पर भी अपलोड कराया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक कुल 988 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 980 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया एवं 8 आवदेन पत्र पर कार्यवाही गतिमान है। इसी कम में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में अब तक कुल 43 प्रथम विभागीय अपील प्राप्त हुई हैं जिनमें से सभी का निस्तारण किया जा चुका है। उनके द्वारा सुझाव दिये गये कि सूचना के आवेदन पत्र के लिये निर्धारित शुल्क में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। बी.पी.एल. कार्ड धारक को अधिकतम 50 पृष्ठों तक की सूचना ही निःशुल्क देने का प्राविधान होना चाहिए। विभाग के स्टेशनरी मद में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। अतिरिक्त पदों का सृजन सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यों के सम्पादन हेतु किया जाना चाहिए।

राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी बारहस्यूं पौड़ी ने अवगत कराया कि सूचना अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत स्व प्रकटीकरण हेतु वर्ष 2005 से अब तक समय समय पर मिले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने अवगत कराया कि वर्ष 2005 से अब तक कुल 59 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके सापेक्ष सभी 59 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। अपीलीय अधिकारी के रूप में उनके कार्यालय में अब तक 12 अपील प्राप्त हुई हैं जिन सभी अपीलों का निस्तारण किया जा चुका है। उनका सुझाव था कि अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु तहसील में पृथक से स्टाफ व कक्ष स्थापित हो।

उनके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया कि एक ही प्रकार की सूचनायें बार बार मांगी जा रही है तथा एक आवेदन पत्र पर बृहद सूचना मांगी जा रही हैं।

उप जिला अधिकारी श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया कि उन्हें अपीलीय अधिकारी के रूप में वर्ष 2005 से अब तक कुल 10 अपील प्राप्त हुई जिनका निस्तारण किया जा चुका है एवं वर्ष 2005 से अब तक लोक सूचना अधिकारी के रूप में 59 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन सभी आवेदन पत्रों के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराते हुए उनका निस्तारण किया गया है।

उप जिला अधिकारी थलीसैण गढ़वाल द्वारा अवगत कराया कि उन्हें वर्ष 2005 से अब तक लोक सूचना अधिकारी के रूप में 18 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन सभी आवेदन पत्रों के सापेक्ष सूचना उपलब्ध कराते हुए उनका निस्तारण किया गया है।

पंचायती राज विभागः

जिला पंचायती राज अधिकारी, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले 17 बिन्दुओं पर मैनुअलस तैयार हैं। इन मैनुअलों की सूचनाओं को प्रतयेक वर्ष अद्यतन किया जाता है। उनके कार्यालय में वर्श 2005 स अब तक कुल 71 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 22 आवेदन पत्रों का सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्य लोक प्राधिकारियों को हस्तान्तरित किये गये हैं तथा शेष सभी 49 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

इसी कम में पंचास्थानी चुनवालय की सूचनायें भी उनके द्वारा दी गई तथा अवगत कराया कि उनके कार्यालय में वर्ष 2005 से अब तक कुल 50 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें कुल 12 आवेदन पत्रों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया गया है जबकि शेष सभी 38 आवेदन पत्रो का उनके कार्यालय द्वारा निस्तारण किया गया। उनका सुझाव था कि एक अनुरोध पत्र पर केवल एक ही प्रकार की सूचना मांगे जाने का प्राविधान किया जाय। उनके द्वारा एक अन्य सुझाव भी दिया गया कि सूचना के अपुरोध के लिये निर्धारित शुल्क को 10.00 रू0 से बढ़ाकर कम से कम 50.00 रू0 कर दिया जाय।

ग्राम्य विकास विभागः

खण्ड विकास अधिकारी कल्जीखाल द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले मैनुअल उनके कार्यालय में उपलब्ध है। वर्ष 2005 से अब तक कुल 4 आवेदन पत्र एवें 1 प्रथम अपील प्राप्त हुई हैं जिनमें से 2 आवेदन पत्रों का एवं 1 अपील का निस्तारण किया जा चुका है एवं 2 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाना अवशेष है।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारीखाल द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले मैनुअल उनके कार्यालय में उपलब्ध है। वर्ष 2005 से अब तक कुल 65 आवेदन पत्र एवें 12 प्रथम अपील प्राप्त हुई हैं जिनमें से 64 आवेदन पत्रों का एवं 11 अपील का निस्तारण किया जा चुका है एवं 1 आवेदन पत्र एवं 1 प्रथम अपील का निस्तारण किया जाना शेष है। उनका सुझाव है कि सूचना के अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना अपने से सम्बन्धित निजी जानकारी / कार्यों एवं विभागीय योजनाओं से सम्बंधी ली जानी चाहिए। अनावश्यक एवं अत्यधिक सूचनाओं को मांगकर विभागीय धन एवं समय का

दुरपयोग नहीं किया जाना चाहिये। उनका यह भी सुझाव था कि यदि कोई बी.पी.एल. परिवार का सदस्य अपने से संबंधित सूचना प्रापत करना चाहता है तो उससे शुल्क नहीं लिया जाय यदि वह अत्यधिक एवं अनावश्यक सूचना लेना चाहता है तो किसी सीमा के पश्चात उससे शुलक लेने का प्राविधान रखा जाना चाहिये।

खण्ड विकास अधिकारी थलीसैण द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले मैनुअल उनके कार्यालय में उपलब्ध है जिनका जन सामान्य द्वारा अवलोकन किया जाता है। वर्ष 2005 से अब तक कुल 22 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 22 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है । उनका सुझाव है कि सूचना के अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना जिस विभाग / उपकम से सम्बन्धित हो उसी स्तर से सूचना मांगी जानी चाहिए अथवा दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण की अवधि 5 दिन से बढ़ाकर 15 दिन होनी चाहिए। हसतान्तरित अनुरोध पत्र प्रायः बिलम्ब से प्राप्त होते हैं। जिसमें अनुरोधकर्ता प्रायः शिकायत करते हैं कि सूचना बिलम्ब से भेजी गई है जिस कारण अनुरोधकर्ता को समझाान में अनावश्यक पत्राचार/विलम्ब होता है।

खण्ड विकास अधिकारी कोट गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में वर्ष 2005 से अब तक कुल 39 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष उनके द्वारा 38 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है शेष एक आवेदन पत्र पर कार्यवाही जारी है। उनका सुझाव था कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए सूचना देने की समयावधि को बढ़ाया जाय। उनका एक अन्य सुझाव था कि ग्राम पचांयत में लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत प्रधान हैं, लेकिन अधिकांश प्रधान निरक्षर एवं कम पड़े लिखे होने के कारण उन्हे उक्त सम्बन्ध में न्यून जानकारी रहती है(विशेषकर महिलायें) उनको सूचना अधिकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। सूचना के अधिकार के तहत अलग से कन्टेजेन्सी की व्यवस्था करने का भी उनके द्वारा सुझाव दिया गया है।

खण्ड विकास अधिकारी दुगड्डा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में वर्ष 2005 से अब तक कुल 93 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष उनके द्वारा सभी 93 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है । उन्होनें अवगत कराया कि अभी तक उन्हें मात्र 2 अपील प्राप्त हुई हैं एवं उनका उनके द्वारा निस्तारण किया जा चुका है। उनका सुझाव था कि सूचना चाहने वाले व्यक्ति का आवेदन पत्र में टेलीफोन नम्बर का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।

खण्ड विकास अधिकारी पौडत्री द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में वर्ष 2005 से अब तक कुल 37 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष उनके द्वारा सभी 37 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है । उन्होनें अवगत कराया कि अभी तक उन्हें मात्र 1 अपील प्राप्त हुई है एवं उसका उनके द्वारा निस्तारण किया जा चुका है। उनका सुझाव था कि पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्गम / अतिदुर्गम क्षेत्रों में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् पत्राचार करने में बिलम्ब होने की सम्भावनायें रहती हैं जिससे अनुरोध कर्ता को पत्र समय से उपलब्ध होना सम्भव नही होता है।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी गढ़वाल के प्राधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) ख के अन्तर्गत सूचना से सम्बन्धी स्व प्रकटीकरण हेतु प्रत्येक वर्ष प्रसा प्रशिक्षण केन्द्र की 17 बिन्दुओं की पुस्तिकायें प्रत्येक वर्श तैयार की जाती हैं तथा जिसकी प्रति विभागीय अध्यक्ष आुक्त ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड को प्रेषित की जाती है एवं एक प्रति कार्यालय में अवलोकनार्थ रखी गई है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक कुल 40 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन सबका निस्तारण किया जा चुका है। उन्होने अवगत कराया कि उन्हें अब तक किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है।

वन विभागः

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम पौड़ी ने अवगत कराया कि उनके कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कुल 3 अपील प्राप्त हुई हैं जिन सभी का निस्तारण किया जा चुका है।

प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अवगत कराया कि उनके कार्यालय मैनुअल उपलब्ध है। वर्ष 2005 से अब तक कुल 6 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका निस्तारण किया जा चुका है। उनका सुझाव था कि अधिनियम के विषय में प्रचार एवं प्रसार की अभी भी बहुत आवश्यकता है।

प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके वन प्रभाग में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत 17 मैनुअलों का अपडेट किय गया है। उन्होने अवगत कराया कि अब तक उन्हें 25 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका निस्तारण किया जा चुका है।

प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत विभाग द्वारा जितने भी वार्षिक आंकड़ें तैयार किये जाते हैं उनका समावेश 17 मेनुअलों में कर दिया गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2005 से अब तक कुल 67 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं जिनका निस्तारण किया जा चुका है। उनका सुझाव है कि सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रेषण का कार्य सामान्य कार्य के अतिरिक्त है अतः एक तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मी की अतिरिक्त आवश्यकता है। यदि आवेदक सूचना मांगता है और सूचना देने हेतु निर्धारित दर पर धनराशि की मांग की जाती है किन्तु आवेदक घनराशि जमा नहीं करता है तो उस पर भी अर्थदण्ड की ब्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि सरकारी कार्य प्रभावित होता है। जो भी सूचना मांगी जाती है व पांच वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिये क्योंकि कोटद्वार जैसे स्थान पर पांच वर्ष से पुराने अभिलेखों को सुरक्षित रख जाना असम्भव है क्योंकि यहाँ पर दीमक अभिलेखों का खा जाती है। दीमकमार दवा छिडत्रकने के उपरान्त भी अथीलेख सुरक्षित नहीं रह पाते हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी , भूमि संरक्षण वन संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन ने अवगत कराया कि अभी तक उनके कार्यालय में कुल 13 आवेदन पत्र सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुए है जिनके सापेक्ष 12 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। उनका सुझाव था कि सूचना पंजीकृत डाक से भेजने के निर्देश हैं अतः शुल्क में पंजीकरण की धनराशि की वसूली की जानी चाहिये।

वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी ने अवगत कराया कि उनके कार्यालय में मैनुअल उपलब्ध हैं एवं वर्ष 2005 से 2009 तक कुल 18 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका निस्तारण किया जा चुका है। अभी तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उनके कार्यालय में 3 अपील प्राप्त हुई हैं जिनका भी निस्तारण किया जा चुका है। उनके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कुछ कठिनाइयों के बारे में बताया जैसे बहुत पुरानी सूचना जो 10 वर्ष से पुरानी होती हैं उन्हें देन में कठिनाई होती है जबकि उन्हें समय सारिणी के अनुसार वीडआउट कर दिया जाता है। कार्यालयों में काफी समय से नियुक्तियां नहीं हुई हैं और कुशल एवं अनुभवी स्टाफ न होने के कारण कार्यों के संचालन में कठिनाई आ रही है।अतः प्राथमिकता के आधार पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की नियुक्ति होनी अतिआवश्यक है। उनका सुझाव है कि आवेदन शुल्क रू0 10.00 बहुत कम है इस बढ़ाकर रू0 50.00 किया जाना चाहिये।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,पौड़ी:

जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी श्री डी0 एस0 पुण्डीर द्वारा सूचना विभाग से संबधित जानकारी देते हुए अवगत कराया कि उनके कार्यालय में सूचना अधिकार अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले मैनुअल उपलब्ध है तथा उसकी एक प्रति जन सामान्य के उपयोग के लिये जिला कार्यालय में भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होने अवगत कराया कि वर्ष 2005 से अब तब कुल 38 अुनरोध पत्र प्राप्त हुए है जिनमें से 16 अनुरोध पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है एवं 22 अनुरोध पत्रों को संम्बधित विभागों का अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया है। उनका सुझाव है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी देने के लिये इसके प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता है एवं समय–समय पर गोष्ठी / कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

जिला आबकारी अधिकारी, पौड़ी:

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में वर्ष 2005 से अब तक मात्र 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका निस्तारण किया जा चुका है। उनका सुझाव था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचना पर शुल्क बहुत कम रखा गया है, जिसको बढ़ाया जाना चाहिये।

निबंधन विभाग, पौड़ी:

निबंधन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में वर्ष 2005 से अब तक मात्र 2 अपील प्राप्त हुई है जिनमें 2 अपीलों का निस्तारण किया ज चुका है एवं लोक सूचना अधिकारी के रूप में उप निबंधक, पौड़ी के पास 10 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से सभी का निस्तारण किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी:

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी ने बताया कि उनके विभाग में मैनुअल उपलब्ध हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक उनके कार्यालय में कुल 67 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमे से 66 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। उनका कहना है कि अभी तक उनसे जो भी सूचनायें मांगी गई हैं उनको देने में उन्हे किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है।

अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, पौड़ी (गढ़वाल) द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग में अब तक 19 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन सभी का निसतारण किया जा चुका है।

गृह विभाग(पुलिस) :

लोक सूचना अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यालय स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तैयार होने वाले मैनुअल बनाये गये हैं जिन्हें समय समय पर अपडेट किया जाता है। जनपद में भी मैनुअल तैयार हैं ओर उन्हें समय समय पर अपडेट किया जाता है। वर्ष 2005 से अब तक कुल 146 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 115 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। 1 आवेदन पत्र अस्वीकार एवं 4 आवेदन पत्रों को अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया गया है। 26 आवेदन पत्र ऐसे थे जिनमें अतिरिक्त शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया था परन्तु आवदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया। उनके कार्यालय में अब तक कुल 1

अपील प्राप्त हुई है जिसका निस्तारण किया जा चुका है। उनका सुझाव है कि सूचना शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क की राशि बढाई जाये। डॉक व्यय भी आवेदनकर्ता से लिया जाना चाहिये। उन्होने बताया गया कि अनुरोधकर्ताओं द्वारा कभी कभी अतिश्रिकत शुल्क की मांग करने पर कोई शुल्क जमा नही कराया जाता है जिसमें अत्यधिक समय एवं स्टेशनरी का प्रयोग होता है।

अभियोजन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सूचना जनपद स्तर पर अभियोजन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराया गया मैनुअल रखा गया है। उन्होने अवगत कराया है कि उनके कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कोई आवेदन पत्र न प्राप्त होने के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है।

उद्यान विभागः

उद्यान विभाग के लोक सूचना अधिकारी / फल सरंक्षण अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि उनके कार्यालय से अभी तक किसी भी आवेदनकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना की मांग नहीं की गई है।

जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ीः

जनपद में जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में कुल 44 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हें जिनमें से 43 का निस्तारण किया जा चुका है। विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में 2 अपील प्राप्तु हुई है जिनमें से 1 अपील का निस्तारण किया जा चुका है।

पशुपालन विभागः

उप निदेशक पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ने बताया कि उनके कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले 17 बिन्दुओं पर मैनुअल रखे गये हैं। जिनका समय समय पर अद्यतनीकरण किया जाता है। अभी तक उनके कार्यालय में कुल 41 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 38 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है एवं 3 आवेदन पत्रों का निसतारण किया जाना अवशेष है। विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में कुल 11 अपील प्राप्त हुई है जिनमें से 6 अपीलों का निस्तारण किया जा चुका है और शेष सभी 5 अपीलों को भी समयान्तर्गत निस्तारित कर लिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी के रूप में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी के कार्यालय में कुल 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 12 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। 3 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होना अवशेष है। स्टाफ की कमी के कारण सूचना देने में कठिनाई हो रही है। लेखन सामाग्री में अतिरिक्त बजट का प्राविधान होना चाहिये। आवेदन शुल्क एवं प्रतिलिपीकरण शुल्क काफी कम है जिसे बढ़ाया जाना चाहिये।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को अब तक कुल 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 12 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

जिला आर्युवैदिक एवं यूनानी अधिकारी, पौड़ीः

जिला आर्युवैदिक एवं यूनानी अधिकारी, पौड़ी ने अवगत कराया कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत सूचना के स्वप्रकटीकरण के सम्बन्ध में विभागीय लोक प्राधिकारी निदेशक आर्युवैदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर से विभागीय मैनुअल(17 बिन्दुओं) पर तैयार

किये गये हैं जिन्हें कार्यालय में रखा गया है। उन्होंने अवगत कराया कि उन्हे अब तक 9 आवेदन पत्र प्रापत हुए हैं एवं सूचना के अधिकार अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत 32 आवेदन पत्रों को विभिन्न विभागों का हस्तान्तरित किया गया। उनका सुझाव था कि प्रत्येक कार्यालय स्तर पर रिकार्ड कीपर की नियुक्ति अलग से की जाए। अभिलेखों के रख रखाव हेतु अलग से भण्डार की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभिलेख विनष्टीकरण का शासनादेश शीघ्र जारी हो ताकि अनावश्यक अभिलेखों को नश्ट किया जा सके। सूचना अनुरोध आवेदन पत्र में निर्धारित सीमा तक सूचना प्राप्त करने की ब्यवस्था की जाए। प्रथम अपील के समय आवेदन कर्ता की उपस्थिति अनिवार्य की जाए ताकि विभागीय स्तर पर वांछित सूचना का पूर्ण निस्तारण किया जा सके।

क्षेत्रीय पूरातत्व अधिकारी, पौड़ी :

क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गयी कि वर्श 2005 से अब तक कुल 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन सभी का निश्पादन किया जा चुका है। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान तक लोक सूचना अधिकारी / क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी कार्यालय पौडी को सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं हुई है। इसी कम में प्रभारी अधिकारी संस्कृति भवन(प्रेक्षागृह) पौड़ी ने अवगत कराया कि उनके कार्यालय से अभी तक किसी एक भी आवेदन पत्र सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हुआ हे। प्रधानाचार्य भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय को अब तक मात्र 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसका निस्तारण किया जा चुका है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग पौड़ी :

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग पौड़ी ने अवगत कराया है कि उनके कार्यालय में विभागीय मैनुअल उपलब्ध हैं जिसमें विभाग की समस्त सूचनाओं का समावेश किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2005 से अब तक कुल 85 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका निस्तारण किया जा चुका है। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में अभी तक उन्हे मात्र 3 विभागीय अपील प्राप्त हुई हैं जिनका निस्तारण कर लिये गया है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी :

जिला समाज कल्याण अधिकारी , पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी के रूप में अब तक कुल 108 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन सबका समय से निस्तारण किया जा चुका है। अपीलीय अधिकारी के रूप उन्हें केवल वर्तमान वर्ष में ही प्रथम अपील प्राप्त हुई हैं जिनकी संख्या 2 हैं और उनका निस्तारण किया जा चुका है।

ऊर्जा विभाग :

ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि विद्युत वितरण खण्ड पौड़ी की स्थापना वर्ष 2007 में हुई एवं वर्ष 2007 से अब तक उन्हें कुल 50 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके सापेक्ष सभी का निस्तारण किया जा चुका है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी पौड़ी गढ़वाल :

जिला कार्यक्रम अधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में वर्ष 2005 से अब तक कुल 28 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके सापेक्ष 26 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में अभी तक उन्हे 1 अपील प्राप्त हुई है एवं उसका उनके स्तर से निस्तारण किया जा चुका है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणः

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , जिला चिकित्सालय पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में वर्ष 2005 से अब तक कुल 67 अनुरोध पत्र प्राप्तु हुए हैं जिनमें से सभी 67 अनुरोधों का निस्तारण किया जा चुका है एवं 1 विभागीय अपील प्राप्त हुई है। जिला महिला चिकित्सालय पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कि उनके कार्यालय में 40 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 1 प्रथम विभागीय अपील है तथ शेष सभी 39 अनुरोधों का निस्तारण किया जा चुका है।

लोक निर्माण विभाग, पौड़ीः

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) ख का अनुपालन कर लिया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि उनके कार्यालय में अब तक कुल 109 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से सभी 109 अनुरोध पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रथम विभागीय अपील के रूप में कार्यालय में कुल 3 अपील प्राप्त हुई हैं जिनका निस्तारण किया जा चुका है।

अधीक्षण अभ्यिन्ता , 12वां वृत्त

वित्त विभागः

कोषागार पौड़ी गढ़वाल से सूचना प्राप्त हुई है कि उनके विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले विभागीय मैनुअलों को अपडेट कर लिया गया है एवं अपडेटेड मैनुअलों को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया गतिशील है। उन्होनें अवगत कराया है कि उन्हें अब तक 48 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके सापेक्ष 45 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है एवं 2 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही चल रही है 1 आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया है। उनका सुझाव है कि आवेदनकर्ता सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करते हुए एक ही प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सूचनायें एक ही आवेदन में प्राप्त करें ताकि पटल सहायक को सूचना उपलब्ध कराने के साथ–साथ अपने दैनिक कार्य निष्पादन करने में कोई व्यवधान न पैदा हो। उनका यह भी सुझाव थ कि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले आवेदनकर्ताओं के लिये सूचना शुल्क धनराशि बढ़ाई जानी चाहिये ताकि जरूरत मंद ही इस अधिकार का उपयोग कर सकें ।

कोषाधिकारी कोटद्वार ने अवगत कराया है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उन्हे कुल 10 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं जिन सभी का उनके स्तर से निस्तारण किया जा चुका है। उनका सुझाव है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु समय–समय पर सेमीनार/ गोष्ठियां/ इलेक्ट्रानिक मीडिया से भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय ताकि जनता को इसकी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। कोषाधिकारी लैन्सडाउन ने अवगत कराया है कि उन्हें कुल 8 आवेदन पत्र अब तक प्राप्तु हुये हें उन सभी का निस्तारण किया जा चुका है।

जिला अधिकारी,पौड़ीः

सभी विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने विभाग से संबधित जानकारी, उनको सूचना के अधिकार अधिनियम के कियान्वयन में आर रही कठिनाईयों एवं अपने–अपने सुझाव देने के उपरान्त जनपद पौड़ी के जिला अधिकारी श्री दीलीप जावलकर जी ने सभी उपस्थित विभागीय अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों एवं उपस्थित ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को जनपद पौड़ी में सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिये राज्य सूचना आयुक्त मा0 श्री विनोद नौटियाल जी का उन्हें पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उन्हों मा0 राज्य सूचना आयुक्त के सामने सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वन में आ रही कठिनाईयों से अवगत कराते हुए कहा कि कतिपय अनुरोधकर्ताओं द्वारा सूचनाओं का अपने द्वारा निर्मित फारमेट बनाकर मांगी जाती है। उन्होने अवगत कराया कि अपीलकर्ता के प्रथम विभागीय अपील के निस्तारण के समय उपस्थित न होने से अपील के निस्तारण में देरी होती है। उन्होने मा. राज्य सूचना आयुक्त को अवगत कराया कि अभी भी बहुत से विभागों में वीडींग रूल्स की जानकारी का अभाव है। उन्होनं सुझाव दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम इतना महत्वपूर्ण अधिनियम है कि इसके प्राविधानों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिये। उन्हेने यह भी सुझाव दिया कि इसके आवेदन शुल्क में बढोत्तरी की जानी चाहिए। उन्होने अवगत कराया कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत बनने वाले मैनुअलों का अपडेट करने के कार्य को बहुत गम्भीरता से लिया जाता है। उनका सुझाव था कि सभी विभागों में ई–गर्वनेन्स को लागू करने से सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं को देने में गति मिलेगी अतः इस प्रक्रिया को सभी विभागों में लागू किया जाना चाहिये। उन्होने अवगत कराया कि सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद सरकारी कार्य में पादर्शितस बढ़ रही है । इसके लिये एक बहुत ही उपयोगी साफ्टवेयर तैयार कर इसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

मा0 राज्य सूचना आयुक्तः

मा0 राज्य सूचना आयुक्त ने अंत में सभागार में उपस्थित सभी विभागीय अपीलीय अधिकारियों/ लोक सूचना अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों का गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का लागू होना हमारे देश के लिये एक बहुत बड़ी उपलधि है। उन्होनें कहा कि इसको लागू हुय अभी मात्र 4 वर्ष का समय हुआ है और जो लोकप्रियता इस अधिनियम ने प्राप्त की है वह अभी तक इतने कम समय में किसी और अधिनियम ने नहीं प्राप्त की है। उन्होनें बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल भारतीय नागरिक ही सूचना प्राप्त कर सकता है अतः यदि लाक सूचना अधिकारी को सामान्य तौर पर यह पता है कि अनुरोधकर्ता भारतीय नागरिक है उसे सूचना दी जा सकती है। उन्होंन अपने सम्बोधन में कहा कि अनुरोधकर्ताओं को अपडेटेड सूचना उपलब्ध कराना प्रत्येक लोक प्राधिकारी ईकाई का दायित्व है। उन्होने लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सुझाव कि शुल्क में बृद्वि होनी चाहिये के सम्बन्ध में कहा कि यह एक लोक कल्याणकारी अधिनियम है और लोकहित में इन बातों के लिये कोई स्थान नहीं है कि इसको लागू करने में कितना व्यय हो रहा है। उन्होने सरकारी अस्पतालों का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार द्वारा सरकारी अस्पताल लोकहित के लिये खाले जाते हैं इनको खोलते समय केवल लाकेहित का ध्यान रखा जाता है सरकारी व्यय का नहीं ठीक उसी प्रकार इस लोक कल्याणकारी अधिनियम को लागू करने के लिये भी केवल लोकहित को ध्यान में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होनें उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वार प्रकट की गई दिक्कतों के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे और कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में सभी

विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी होने के बावजूद सबके द्वारा अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है इसके लिये सभी अधिक्रारी और कर्मचारी साधूवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि छोटे–छोटे सुझाव भी कभी कभी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होनें उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों औ विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आश्वस्त किया कि उचित मचं पर उनको आ रही कठिनाइरूों और उनसे प्राप्त हुए सुझावों को उनके द्वारा रखा जायेगा।

अंत में मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सभी को धन्यवाद दिया एवं गोष्ठी के समापन की आज्ञा दी।

* * *

मा॰नीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 23.04.2010 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को जनपद चम्पावत के जिला सभागार में लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के साथ हुई गोष्ठी का कार्यवृत्त

सर्वप्रथम माननीय सूचना आयुक्त द्वारा दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी का शुभारम्भ किया गया तत्पश्चात मुख्य विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी, द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त का जनपद चम्पावत में स्वागत किया गया।

गोष्ठी के प्रारम्भ में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन में आ रही कठिनिाईयों, अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में सुझाव देने की अपेक्षा की गयी :

1. इस कम सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत आवेदकों द्वारा एक ही सूचना के अनुरोध पत्र पर अनेको विषयों से सम्बन्धित सूचनायें मांगी जा रही है तथा एक ही अनुरोध पत्र पर अनेकों विभागों से सम्बन्धित सूचनायें मांगी जा रही है , जिस पर एक ही अनुरोध पत्र को अनेको लोक सूचना अधिकारियों को हस्तान्तरित किया जा रहा है , जिसमें काफी समय एवं सरकारी धन का दुरूपयोंग हो रहा है जबकि आवेदक द्वारा 10(दस) रूपये जमा किया जा रहा है , उचित होगा कि एक अनुरोध पर पर एक ही विषय/ विभाग से सम्बन्धित सूचनायें प्रदान करने का प्राविधान किया जाय।

2. विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा शुल्क बढाये जाने पुरानी व जटिल सूचनायें मांगे जाने, सूचनाओं को तैयार करने मे अत्यधिक व्यय होने, स्टाफ की कमी, स्टाफ प्रशिक्षित न होने, विभाग में उपलब्ध सूचना के अतिरिक्त भी सूचनायें मांगे जाने, सूचना देने हेतु समय सीमा बढाये जाने, सूचना मांगते समय गरीबी की रेखा से नीचे के कार्ड की प्रति अनुरोध पत्रों के साथ संलग्न न किये जाने, सूचना तैयार करने के उपरान्त सूचना के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग किये जाने पर शुल्क जमा करने आदि मांगें/कठिनाईयां मा0 सूचना आयुक्त के सम्मुख रखी गयी।

3. उप जिलाधिकारी द्वारा जिज्ञासा कि गयी कि अनुरोध पत्रों के साथ उपलब्ध कराये गये फोटो स्टेट अभिलेखों को अंन्य अनुराधकर्ताओं को प्रामाणित कर उपलब्ध कराया जा सकता है अथवा नहीं।

4. विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों द्वारा आयोग को सुझाव दिया गया कि विभागों में स्टाफ की अत्यअधिक कमी होने के कारण अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराये जाने में परेशानियॉ उत्पन्न हो रही है। अतः सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए विभागों में अलग से स्टाफ नियुक्ति किया जाय।

5. लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों द्वारा आयोग को सुझाव दिया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम का ग्राम स्तर तक प्रचार –प्रसार किया जाना चाहिए जिससे ग्राम पंचायत स्तर तक सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी हो सके।

6. माननीय आयोग के समक्ष अपील के निस्तारण मे यदि कोई अपील अनावश्यक एवं गलत तथ्यो पर दायर किया जाना स्पष्ट हो तो सम्बन्धित अपीलकर्ता का भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए लोक

सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी एवं आयोग द्वारा किये गये व्यय की वसूली की जानी चाहिये।

7. लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय मे एक सूचना लिपिक का पद सृजित किया जाना चाहिए तथा लोक सूचना के अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद में धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए , जिससे सम्बन्धित अनुरोधकर्ता को सूचना पंजीकृत डाक से उपलब्ध कराये जाने में सुविधा होगी।

उपरोक्त जिज्ञासाओं के सापेक्ष मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि भारत लोक कल्याणकारी देश है और इसी भावना के अनुरूप सूचना के अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया है। अतः अधिनियम की भावना के अनुरूप लाभ–हानि पर ध्यान न देकर सूचनाओं को प्रदान किया जाना है अतः इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इस संबंध में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि किसी अभिलेखीय सूचना सम्बन्धी विभाग में कोई निर्धारित प्रारूप है तो उस पर अन्यथा अनुरोधकर्ता द्वारा दिये गये प्रारूप पर चाही गयी सूचना उपलब्ध करायी जायें। सूचना प्राप्त करने वाला भारत का नागरिक हो व उसका पता सही हो और मांगी गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लिखित प्रतिबन्धों से प्रतिबन्धित न हो तो सूचना उपलब्ध करा दी जानी चाहिएं।

लोक सूचना अधिकारी /ग्राम प्रधान को सूचना देने में स्टेशनरी व्यय का प्राविधान न होने सम्बन्धी बिन्दु पर मा0 सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक प्रधान को रू0 5000/– तक की धनराशि आबंटित किये जाने हेतु शासन के पंचायती राज विभाग से कार्यवाही गतिमान है। मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया गया कि राजकीय कार्यालयों में अभिलेख व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जा रहे है, कई मामलों में यह देखने में आया है कि महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाय व कर्मचारियों /अभिलेखों के स्थानान्तरण की स्थिति में चार्ज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्राविधानों का कठोरता से पालन किया जाये उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि कार्यालयाध्यक्षों /विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य का समय – समय पर स्वयं निरीक्षण कर यह अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाये।

पुलिस विभाग से संबंधित मामलों पर चर्चा के दौरान मा0 सूचना आयुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिनियम की धारा 4 (1) ख के प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार मैनुअलों के सन्दर्भ में सभी स्तरों पर पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार शासनादेशों का संकलन करते हुए मैनुअलों को भी अद्यतन किया जाय।

गोष्ठी के अन्त में मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा मा0 सूचना आयुक्त महोदय का अधिनियम के प्राविधानों पर विस्तार से दी गयी जानकारी पर उनका आभार व्यक्त किया गया।

* * *

जन सामान्य के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में हुई गोष्ठी का कार्यवृत्त

दिनांक 23–04–2010 को आयोजित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की गोष्ठी/बैठक की अध्यक्षता मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा की गयी जिसमें जनपद चम्पावत के समस्त विभागाध्यक्ष एवं जन प्रतिनिधियें, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी का शुभारम्भ मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तत्पश्चात उपस्थित जनप्रतिनिधिगणों, पत्रकारों/समाजसेवी/विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा परिचय दिया गया ।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा गोष्ठी मे उपस्थित अधिकारियों /विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों/समाज सेंवियो/पत्रकारों एवं जन सामान्य को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी और सूचनाऐ प्राप्त करनें में तथा सूचनायें उपलब्ध करानें में संबंधित विभिन्न विभागों का संज्ञान लिया गया। मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा कतिपय विभागों द्धारा सूचना उपलब्ध न करानें के संबंध में जानकारी ली गयी और निर्देर्शित किया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का कडाई से पालन किया जाए। प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सामान्य द्वारा मांगी जा रही सूचनाओं को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करने हेतु तत्परता से कार्य करें । गोष्ठी के प्रारम्भ में मा0 सूचना आयुक्त द्धारा जन सामान्य से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों, अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में सुझाव देने की अपेक्षा की गयी :

1. बार एसोसियसन ओर से श्री जगदीश वर्मा जी द्धारा जानना चाहा कि क्या सूचना अधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त परिवेक्षण किया जा सकता है।

2. जनप्रतिनिधियों द्धारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि जनपद में जो स्वंय सेवी संस्थायें हैं उनके लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी कौन होते है इस संबंध में जानकारी नहीं रहती है और सूचना प्राप्त नहीं होती है।

3. जनप्रतिनिधियों द्धारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय विभाग सूचना समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती तथा अधिकांस सूचना नहीं मिल पाती हैं।

4. लोक सूचना अधिकारियों द्धारा जानना चाहा कि क्या प्रश्न उत्तर के रूप में सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

5. जनप्रतिनिधियों द्धारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार–प्रसार को गॉव–गॉव तक गोष्ठियों के माध्यम से कराने के सबंध में सुझाव दिया गया।

6. जनप्रतिनिधियों द्धारा सुझाव दिया गया कि इस प्रकार की बैठकें प्रत्येक दो–तीन माह में यदि यह गोष्ठि उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में होती रहे जिसमें आयोग के प्रतिनिधि भी उपस्थित हो तो उसे जन प्रतिनिधियों, लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

मा0 .ज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि बी0पी0एल0 कार्ड धारको को सूचनाऐं निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अन्यथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचना न दियें जानें अथवा सूचना देनें से इन्कार करनें पर अथवा लोक सूचना अधिकारियों द्वारा भ्रामक सूचना देनें पर आयोग द्वारा संबंधित के खिलाफ शास्ति जैसी कठोर कार्यवाही करनें को वाध्य है। किसी भी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करनें हेतु वयक्तिगत रूप से उपस्थित होनें की किसी भी स्तर पर वाध्यता नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में सही –सही सूचना दी जानी चाहिए। यदि सूचना उस विभाग /अधिष्ठान से संबंधित न हो तो सूचना उपलब्ध करानें हेतु तीसरे पक्ष को लिखित रूप में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सूचना अन्तरित कर दी जानी चाहिए ताकि सूचना समय से उपलब्ध करायी जा सके अथवा सूचना देने वाले को वापस किया जा सकता है कि सूचना दूसरे विभाग से संबंधित है उसी विभाग से सूचना प्राप्त की जा सकती है।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क समय से जमा नही किया जाता या विलम्ब से शुल्क जमा किया जाता हैं तो आवेदक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने में अक्षम माना जाता है। उसमें समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं होता हैं। मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक जनपद में केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जनपद में केन्द्रीय सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी होते है। उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है या केन्द्रीय सूचना आयोग को भी लिखने का अधिकार है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्न उत्तर के रूप में सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकती है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि धारा–18 के अन्तर्गत तृतीय पक्ष ज्वाईट मुआवना करवा सकतरा है तथा उस पर प्रयोग की गई सामग्री का भी परीक्षण करवा सकता है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्धारा अवगत कराया गया कि जिन विभागों द्वारा स्वंय सेवी संस्थाओं का वित्तीय सहायता दी जाती है उन्ही के अधिकारी संस्था के सहायक लोक सूचना अधिकारी /लोक सूचना अधिकारी होते है। मा0 आयुक्त महोदय द्धारा बताया गया कि सूचना आयेाग के समक्ष अभी तक तीन लाख लोगों द्धारा सूचनाऐं प्राप्त करनें हेतु अवेदन किया गया तथा पॉच हजार से अधिक अपीलें प्राप्त हुयी है जिसका निस्तारण किया जा चुका है। जनपद चम्पावत की अभी तक कुल 12 अपीलें सूचना आयुक्त के स्तर पर है। जनपद की अधिकांश सूचनाऐं लोक सूचना अधिकारी स्तर से निस्तारित हुयी है और आवेदक वॉछित सेूचनायें प्राप्त कर लाभान्वित हुए है।

अन्त में परियोजना निदेशक /नोडल अधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम –2005 द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दी गयी आर0टी0आई0 विषय वस्तु की अनुपम जानकारी एवं बैठक में पूछी गयी समस्याओं एवं उनका निदान /निस्तारण एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत किये जाने संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु आभार प्रकट किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया ।

* * *

मननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.2010 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय स्थित युवा भवन रुद्रपुर में लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के साथ हुई गोष्ठी का कार्यवृत्त

*सर्वप्रथम माननीय सूचना आयुक्त द्वारा गोष्ठी का शुभारम्भ किया गया तत्पश्चात जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त का जनपद **ऊधमसिंह नगर** में स्वागत किया गया। पहुचें। आयोजन स्थल पर जनपद रूद्रप्रयाग के जनपद में स्थित विभिन्न विभागों के कुल 350 विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित थे।*

गोष्ठी के प्रारम्भ में माननीय सूचना आयुक्त द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन में आ रही कठिनिाईयों, अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में सुझाव देने की अपेक्षा की गयी :

लोक सूचना अधिकारीयों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारीयों द्वारा दिये गये सुझाव एवं सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत आ रही कठनाईयॉ

उप जिलाधिकारी/लोक सूचना अधिकारी
सितारगंज जिला उधम सिह नगर

सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत आवेदकों द्वारा एक ही सूचना के अनुरोध पत्र पर अनेको विषयों से सम्बन्धित सूचनायें मांगी जा रही है तथा एक ही अनुरोध पत्र पर अनेकों विभागों से सम्बन्धित सूचनायें मांगी जा रही है , जिस पर एक ही अनुरोध पत्र को अनेको लोक सूचना अधिकारियों को हस्तान्तरित किया जा रहा है , जिसमें काफी समय एवं सरकारी धन का दुरूपयोंग हो रहा है जबकि आवेदक द्वारा 10(दस) रूपये जमा किया जा रहा है , उचित होगा कि एक अनुरोध पर पर एक ही विषय/ विभाग से सम्बन्धित सूचनायें प्रदान करने का प्राविधान किया जाय।

आवेदको द्वारा सूचना को अभिलेखों /दस्तावेजों के रूप से न मांगकर तर्क वितर्क एवं विश्लेषण के आधार पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है तथा कतिपय प्रकरणों में आवेदक तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना आपसी द्वेष भावना के कारण भी मांग रहे है , जो उचित प्रतीत नही होता है।

कतिपय अपीलार्थी सूचना उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् भी अनावश्यक अपील आयोग के समक्ष दायर कर रहे है एवं आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी /अपीलीय अधिकारी का पक्ष सुने बिना उनको व्यक्तिगत रूप से तलब किया जा रहा है , जिससे लोक सूचना अधिकारी /अपीलीय अधिकारियों को कार्यालय छोडकर आयोग के सम्मुख उपस्थित होना पड़ रहा है एवं सरकारी धन का दुरूपयोग हो रहा है। इस सम्बन्ध मे उचित होगा कि किसी अपील के दायर होने पर सर्वप्रथम लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी से उसका जवाब ले लिया जाय एवं यदि आवश्यक हो तो लोक सूचना अधिकारी /अपीलीय अधिकारी को अपरिहार्य परिस्थितयों मे ही तलब किया जाय।

माननीय आयोग के समक्ष अपील के निस्तारण मे यदि कोई अपील अनावश्यक एवं गलत तथ्यो पर दायर किया जाना स्पष्ट हो तो सम्बन्धित अपीलकर्ता का भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी एवं आयोग द्वारा किये गये व्यय की वसूली की जानी चाहिये।

उप जिलाधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदों का भी अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है , जबकि अधिशासी अधिकारियों पर उप जिलाधिकारी का सीधा नियंत्रण नही है जिस कारण नगर पालिका /नगर पंचायतों की अपीलों के निस्तारण में कठिनाई हो रही है। उचित होगा कि अधिशासी अधिकारियों के अपीलीय अधिकारी आवास अनुभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया जाय।

लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय मे एक सूचना लिपिक का पद सृजित किया जाना चाहिए तथा लोक सूचना के अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद में धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए , जिससे सम्बन्धित अनुरोधकर्ता को सूचना पंजीकृत डाक से उपलब्ध कराये जाने में सुविधा होगी।

खण्ड विकास अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी
रूद्रपुर(उधमसिहंनगर)

सूचना अधिकार के कार्यो हेतु एक लिपिक व कम्प्यूटर,प्रिन्टर,स्केनर तथा पर्याप्त मात्रा में लेखन सामग्री हेतु वजट उपलब्ध कराया जाय। तथा एक कक्ष अलग से वनाया जाय।

ए.के.रोहतगी
अधियासी निदेयक/लोक सूचना अधिकारी
किच्छा युगर कम्पनी लि0, किच्छा, ऊधमसिंह नगर
(उत्तराखंड सरकार का उपक्रम)

लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में प्रत्येक क्षेत्र में अनुभवी अधिकारियों/कर्मचारियों का एक सेल गठित किया जाना उचित होगा ताकि उनके अनुभव का लाभ इस अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सामान्य जनता को प्राप्त हो सके।

आवेदन कर्ता को कोई सूचना जिस रूप में अभिलेखों में उपलब्ध है केवल उसी रूप में दी जानी है अथवा आवेदनकर्ता द्वारा यथा अपेक्षित पुनर्संरंचित रूप में देनी होगी, स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में पथ प्रदर्यन अपेक्षित है।

लोक सूचना अधिकार से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों में मांगी गई सूचनाओं की एक सीमा निर्धारित किया जाना उचित होगा। किसी भी दशा में एक आवेदन में तीन या चार से अधिक सूचनाएं वांछित न हों एवं कोई भी आवेदक यदि संस्था को परेशान करने की नियत से सूचना मांग रहा हो तो उस पर भी नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए।

यहां यह भी अवगत कराना है कि किसी संस्थान को मात्र परेयान करने की नीयत से आवेदक छद्म नामों से सूचना न प्राप्त कर सकें, इस पर नियंत्रण हेतु आवेदन के साथ निर्वाचन परिचय पत्र की छायाप्रति की अनिवार्यता भी वांछनीय है।

एक माह में मांगी जाने वाली सूचनाओं सम्बन्धी आवेदन पत्रों की भी सीमा निर्धारित होनी चाहिये जैसे एक माह में एक ही संस्था से एक आवेदक हेतु 3–4 आवेदन पत्रों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

आवेदक की पूर्व में उस संस्था से ली गई सूचनाओं की संख्या की जानकारी भी आवेदन पत्र में देनी चाहिये।

पायः यह देखा जा रहा है कि आवेदक द्वारा सूचना के स्थान पर केवल लोक सूचना अधिकारी का मत जानने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें अधिकांश बिन्दु विधिक राय से सम्बन्धित होते हैं, इस पर भी स्थित स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रषासन)
उधमसिंह नगर।

कतिपय मामलों में अनौचित्यपूर्ण सूचनायें मॉगने पर कर्मचारियों का समय खराब होता है तथा कठिनाईयॉ उत्पन्न होती है। अस्पष्ट आवेदनों से स्पष्ट सूचनायें निर्गत करने में कठिनाईयॉ होती है। कर्मचारियों की कमी के कारण कई बार सूचनायें तैयार करने में व्यवहारिक दिक्कतें आती है। कतिपय मामलों में स्टेषनरी/टिकट आदि पर्याप्त उपलब्ध न होने/बजट की कमी के कारण सूचना समय पर भेजने में व्यवहारिक दिक्कतें आती है। लोक सूचना प्रकोष्ठ अलग से गठित किया जाय तथा दो कर्मचारी तृतीय श्रेणी व एक कर्मचारी , चतुर्थ श्रेणी एक डाक पत्राचार हेतु डाक टिकट व लेखन सामग्री का बजट अलग से आंवटित होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में कार्य की अधिकता के सापेक्ष स्टाफ की कमी है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्दीय वन प्रभाग

सूचना के अधिकार विषयक आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रषासनिक अधिकारी के कक्ष में प्रस्तुत किये जायें तथा यह भी सूचित किया जाता है कि प्रत्येक सूचना के प्रथम पृष्ठ का शुल्क 10/– रूपया एवं इसके अतिरिक्त पृष्ठ होने पर प्रत्येक पृष्ठ 2/– रूपया शुल्क प्रति पृष्ठ अतिरिक्त देय होगा।

विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों द्वारा आयोग को सुझाव दिया गया कि विभागों में स्टाफ की अत्यअधिक कमी होने के कारण अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराये जाने में परेशानियॉ उत्पन्न हो रही है। अतः सूचना अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के लिए विभागों में अलग से स्टाफ नियुक्ति किया जाय।

समस्त विभागो के सुझााव

अन्त मे सभी विभागों के द्वारा अतिरिक्त शुल्क के विषय में तथा सूचना मागनें के 10 रूपये शुल्क को वृद्धि के साथ–साथ विभागों में सूचना अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के लिए सभी विभागों में अलग से स्टाफ की नियुक्ति की जाय। सूचना के तैयार होने के पश्चात यदि आवेदक सूचना लेने में रूचि नहीं रखता है तो आवेदक पर भी कानूनी कार्यवाही का प्राविधान अपेक्षित है। जनसामान्य के मध्य उक्त अधिनियम को लोकप्रिय करने हेतु सरल भाषा में प्रसार–प्रचार आवष्यक है। प्रशासनिक कार्यो में पारदर्षिता लाने हेतु अधिकतम आवष्यक सूचनायें मैनुअल, बोर्ड, इन्टरनेट साईट आदि के माध्यम से जनसामान्य को सुलभ होनी चाहिए। .आवेदकों को सूचना के सम्बन्ध में स्पष्ट आवेदन किये जाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। भाषा की अस्पष्टता या अधूरे विवरणों के कारण कई बार अस्पष्ट आवेदन कार्यालय में कर्मचारियों को कठिनाई पैदा करते है।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)वाणिज्य कर खटीमा ।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 में दिये गये मैनुवलों को अध्यावधिक कर विभागीय वैवसाइड पर अपलोड किया जाना चाहिए । अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम 2005 की चर्चा की जाय तथा भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम शासनादेशों के जानकारी प्रसारित की जानी चाहिए ।जन सामन्य को सूचना के अधिकार अधिनियम से होने वाले लाभ की जानकारी दी जाय तथा उन्हें अधिकार को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाय एवं जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर का कियान्वन किया जाना चाहिए ।महत्वपूर्ण सर्कुलरों व विज्ञप्तियों को उद्योगों से सम्बन्धित संगठनों को समय –समय पर प्रेषित किया जाना चाहिए ।

माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा जिज्ञासासाओं के सापेक्ष स्पष्टता

उपरोक्त जिज्ञासाओं के सापेक्ष मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि भारत लोक कल्याणकारी देश है और इसी भावना के अनुरूप सूचना के अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया है। अतः अधिनियम की भावना के अनुरूप लाभ–हानि पर ध्यान न देकर सूचनाओं को प्रदान किया जाना है अतः इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि किसी अभिलेखीय सूचना सम्बन्धी विभाग में कोई निर्धारित प्रारूप है तो उस पर अन्यथा अनुरोधकर्ता द्धारा दिये गये प्रारूप पर चाही गयी सूचना उपलब्ध करायी जायें। सूचना प्राप्त करने वाला भारत का नागरिक हो व उसका पता सही हो और मांगी गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लिखित प्रतिबन्धों से प्रतिबन्धित न हो तो सूचना उपलब्ध करा दी जानी चाहिएं।

मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया गया कि राजकीय कार्यालयों में अभिलेख व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जा रहे है, कई मामलों में यह देखने में आया है कि महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाय व कर्मचारियों /अभिलेखों के स्थानान्तरण की स्थिति में चार्ज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्राविधानों का कठोरता से पालन किया जाये उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि कार्यालयाध्यक्षों /विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य का समय–समय पर स्वयं निरीक्षण कर यह अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाये।

मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा यह भी स्पष्ट कयिा गया की यदि कोई भी अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना प्रश्नवाचक रुप में पूछी गयी है तो लोक सूचना अधिकारी उनमे पूछे गये तथ्यों को समझना चाहिये जो अनुरोघ कर्ता द्वारा उस आवेदन मे लिखा है।

पुलिस विभाग से संबंधित मामलों पर चर्चा के दौरान मा0 सूचना आयुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिनियम की धारा 4 (1) ख के प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार मैनुअलों के सन्दर्भ में सभी स्तरों पर पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार शासनादेशों का संकलन करते हुए मैनुअलों को भी अद्यतन किया जाय।

यदि कोई व्यक्ति सूचना चाहता हो जिससे देश की तथा जनहित की हानी होती हो तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा (8) के प्राविधान का प्रयोग किया जा सकता है।

गोष्ठी के अन्त में जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा मा0 सूचना आयुक्त महोदय का अधिनियम के प्राविधानों पर विस्तार से दी गयी जानकारी पर उनका आभार व्यक्त किया गया।

मननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2010 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला जनता इन्टर कालेज रुद्रपुर में जन सामान्य के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में हुई गोष्ठी का कार्यवृत्त

दिनांक 25–04–2010 को आयोजित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की गोष्ठी/बैठक की अध्यक्षता मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा की गयी जिसमें जनपद चम्पावत के समस्त विभागाध्यक्ष एवं जन प्रतिनिधियें, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी का शुभारम्भ मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तत्पश्चात उपस्थित जनप्रतिनिधिगणों, पत्रकारों/समाजसेवी/विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा परिचय दिया गया ।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा गोष्ठी मे उपस्थित अधिकारियों /विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों/समाज सेंवियो/पत्रकारों एवं जन सामान्य को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी और सूचनाऐ प्राप्त करनें में तथा सूचनायें उपलब्ध करानें में संबंधित विभिन्न विभागों का संज्ञान लिया गया। मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा कतिपय विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध न करानें के संबंध में जानकारी ली गयी और निर्देर्शित किया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का कडाई से पालन किया जाए। प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सामान्य द्वारा मांगी जा रही सूचनाओं को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करने हेतु तत्परता से कार्य करें । गोष्ठी के प्रारम्भ में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा जन सामान्य से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों, अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में सुझाव देने की अपेक्षा की गयी :

1. बार एसोसियसन ओर से श्री किमती राणा / श्री लीलाम्बर जोशी अधिवक्ता जी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को अत्यधिक प्रभावशाली तथा पारदर्शिता का प्रमाण माना है।

2. जनप्रतिनिधियों द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि जनपद में जो स्वंय सेवी संस्थायें हैं उनके लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी कौन होते है इस संबंध में जानकारी नहीं रहती है और सूचना प्राप्त नहीं होती है।

3. जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय विभाग सूचना समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती तथा अधिकांस सूचना नहीं मिल पाती हैं।

4. लोक सूचना अधिकारियों द्वारा जानना चाहा कि क्या प्रश्न उत्तर के रूप में सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

5. जनप्रतिनिधियों द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार–प्रसार को गॉव–गॉव तक गोष्ठियों के माध्यम से कराने के सबंध में सुझाव दिया गया।

6. जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस प्रकार की बैठकें प्रत्येक दो–तीन माह में यदि यह गोष्ठि उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में होती रहे जिसमें आयोग के प्रतिनिधि भी उपस्थित हो तो उसे जन प्रतिनिधियों, लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

7. ग्राम प्रधान लालपुर श्री उमेष जी द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तगर्त ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है लेकिन ग्राम प्रधान के पास अतिरिक्त बजट नहीं होता जिस कारण सूचना देने मे लगा फोटो काफी का शुल्क भी हमें स्वयं भुगतान करना पडता है।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि बी0पी0एल0 कार्ड धारको को सूचनाऐं निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अन्यथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचना न दियें जानें अथवा सूचना देनें से इन्कार करनें पर अथवा लोक सूचना अधिकारियों द्वारा भ्रामक सूचना देनें पर आयोग द्वारा संबंधित के खिलाफ शास्ति जैसी कठोर कार्यवाही करनें को वाध्य है। किसी भी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करनें हेतु वयक्तिगत रूप से उपस्थित होनें की किसी भी स्तर पर वाध्यता नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में सही –सही सूचना दी जानी चाहिए। यदि सूचना उस विभाग /अधिष्ठान से संबंधित न हो तो सूचना उपलब्ध करानें हेतु तीसरे पक्ष को लिखित रूप में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सूचना अन्तरित कर दी जानी चाहिए ताकि सूचना समय से उपलब्ध करायी जा सके अथवा सूचना देने वाले को वापस किया जा सकता है कि सूचना दूसरे विभाग से संबंधित है उसी विभाग से सूचना प्राप्त की जा सकती है।

लोक सूचना अधिकारी /ग्राम प्रधान को सूचना देने में स्टेशनरी व्यय का प्राविधान न होने सम्बन्धी बिन्दु पर मा0 सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक प्रधान को रू0 5000/– तक की धनराशि आबंटित किये जाने हेतु शासन के पंचायती राज विभाग से कार्यवाही गतिमान है। मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया गया कि राजकीय कार्यालयों में अभिलेख व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जा रहे है, कई मामलों में यह देखने में आया है कि महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाय व कर्मचारियों /अभिलेखों के स्थानान्तरण की स्थिति में चार्ज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्राविधानों का कठोरता से पालन किया जाये उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि कार्यालयाध्यक्षों /विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य का समय – समय पर स्वयं निरीक्षण कर यह अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाये।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क समय से जमा नही किया जाता या विलम्ब से शुल्क जमा किया जाता हैं तो आवेदक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने में अक्षम माना जाता है। उसमें समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं होता हैं। मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक जनपद में केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जनपद में केन्द्रीय सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी होते है। उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है या केन्द्रीय सूचना आयोग को भी लिखने का अधिकार है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्न उत्तर के रूप में सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकती है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि धारा–18 के अन्तर्गत तृतीय पक्ष ज्वाईट मुआवना करवा सकतरा है तथा उस पर प्रयोग की गई सामग्री का भी परीक्षण करवा सकता है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्धारा अवगत कराया गया कि जिन विभागों द्वारा स्वंय सेवी संस्थाओं का वित्तीय सहायता दी जाती है उन्ही के अधिकारी संस्था के सहायक लोक सूचना अधिकारी /लोक सूचना अधिकारी होते है। मा0 आयुक्त महोदय द्धारा बताया गया कि सूचना आयोग के समक्ष अभी तक तीन लाख लोगों द्धारा सूचनाऐं प्राप्त करनें हेतु अवेदन किया गया तथा पॉच हजार से अधिक अपीलें प्राप्त हुयी है जिसका निस्तारण किया जा चुका है। जनपद चम्पावत की अभी तक कुल 12 अपीलें सूचना आयुक्त के स्तर पर है। जनपद की अधिकांश सूचनाऐं लोक सूचना अधिकारी स्तर से निस्तारित हुयी है और आवेदक वॉछित सेूचनायें प्राप्त कर लाभान्वित हुए है।

अन्त में परियोजना निदेशक /नोडल अधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम –2005 द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दी गयी आर0टी0आई0 विषय वस्तु की अनुपम जानकारी एवं बैठक में पूछी गयी समस्याओं एवं उनका निदान /निस्तारण एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत किये जाने संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु आभार प्रकट किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया ।

* * *

मननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 06.05.2010 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को जनपद रूद्रप्रयाग के जिला मुख्यालय में स्थित जिला सभागार में लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के साथ हुई गोष्ठी का कार्यवृत्त

*सर्वप्रथम माननीय सूचना आयुक्त द्वारा गोष्ठी का शुभारम्भ किया गया तत्पश्चात जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक द्वारा/नोडल मा0 राज्य सूचना आयुक्त का जनपद **रूग्रप्रयाग** में स्वागत किया गया।*

*दनांक 06.05.2010 मा0 सूचना आयुक्त महोदय जिला अधिकारी रूद्रप्रयाग श्री रविनाथ रमन के साथ गोष्ठी के आयोजन स्थल **जिला सभागार** में प्रातः 11:00 बजे पहुचें। आयोजन स्थल पर जनपद रूद्रप्रयाग के जनपद में स्थित विभिन्न विभागों के कुल 54 विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित थे।*

गोष्ठी के प्रारम्भ में माननीय सूचना आयुक्त द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन में आ रही कठिनिाईयों, अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में सुझाव देने की अपेक्षा की गयी :

लोक सूचना अधिकारीयों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारीयों द्वारा दिये गये सुझाव एवं सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत आ रही कठनाईयॉ

श्री रघुनाथ /लोक सूचना अधिकारी विद्युत वितरण विभाग द्वारा जानना चाहा *सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत आवेदकों द्वारा एक ही सूचना के अनुरोध पत्र पर अनेको विषयों से सम्बन्धित सूचनायें मांगी जा रही है तथा एक ही अनुरोध पत्र पर अनेकों विभागों से सम्बन्धित सूचनायें मांगी जा रही है , जिस पर एक ही अनुरोध पत्र को अनेकौ लोक सूचना अधिकारियों को हस्तान्तरित किया जा रहा है , जिसमें काफी समय एवं सरकारी धन का दुरूपयोंग हो रहा है जबकि आवेदक द्वारा 10(दस) रूपये जमा किया जा रहा है , उचित होगा कि एक अनुरोध पर पर एक ही विषय/ विभाग से सम्बन्धित सूचनायें प्रदान करने का प्राविधान किया जाय।*

श्री मंगल मोहन लोक सूचना अधिकारी पंचायती राज द्वारा जानना चाहा *कि लोक सूचना अधिकारी ग्राम प्रधान को सूचना अधिकार अधिनियम के लिए 5000 रूपये दिया जायेगा लेकिन अभी तक उनको कोई भी धनराषी उपलब्ध नहीं हो पाई है।*

आवेदको द्वारा सूचना को अभिलेखों /दस्तावेजों के रूप से न मांगकर तर्क वितर्क एवं विश्लेषण के आधार पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है तथा कतिपय प्रकरणों में आवेदक

तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना आपसी द्वेष भावना के कारण भी मांग रहे है , जो उचित प्रतीत नही होता है।

समस्त विभाग

कतिपय अपीलार्थी सूचना उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् भी अनावश्यक अपील आयोग के समक्ष दायर कर रहे है एवं आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी /अपीलीय अधिकारी का पक्ष सुने बिना उनको व्यक्तिगत रूप से तलब किया जा रहा है , जिससे लोक सूचना अधिकारी /अपीलीय अधिकारियों को कार्यालय छोडकर आयोग के सम्मुख उपस्थित होना पड़ रहा है एवं सरकारी धन का दुरूपयोग हो रहा है। इस सम्बन्ध मे उचित होगा कि किसी अपील के दायर होने पर सर्वप्रथम लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी से उसका जवाब ले लिया जाय एवं यदि आवश्यक हो तो लोक सूचना अधिकारी /अपीलीय अधिकारी को अपरिहार्य परिस्थितयों मे ही तलब किया जाय।

माननीय आयोग के समक्ष अपील के निस्तारण मे यदि कोई अपील अनावश्यक एवं गलत तथ्यो पर दायर किया जाना स्पष्ट हो तो सम्बन्धित अपीलकर्ता का भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी एवं आयोग द्वारा किये गये व्यय की वसूली की जानी चाहिये।

उप जिलाधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदों का भी अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है , जबकि अधिशासी अधिकारियों पर उप जिलाधिकारी का सीधा नियंत्रण नही है जिस कारण नगर पालिका /नगर पंचायतों की अपीलों के निस्तारण में कठिनाई हो रही है। उचित होगा कि अधिशासी अधिकारियों के अपीलीय अधिकारी आवास अनुभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया जाय।

लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय मे एक सूचना लिपिक का पद सृजित किया जाना चाहिए तथा लोक सूचना के अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद में धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए , जिससे सम्बन्धित अनुरोधकर्ता को सूचना पंजीकृत डाक से उपलब्ध कराये जाने में सुविधा होगी।

सूचना अधिकार के कार्यो हेतु एक लिपिक व कम्प्यूटर,प्रिन्टर,स्केनर तथा पर्याप्त मात्रा में लेखन सामग्री हेतु वजट उपलब्ध कराया जाय। तथा एक कक्ष अलग से वनाया जाय।

लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में प्रत्येक क्षेत्र में अनुभवी अधिकारियों/कर्मचारियों का एक सेल गठित किया जाना उचित होगा ताकि उनके अनुभव का लाभ इस अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सामान्य जनता को प्राप्त हो सके।

आवेदन कर्ता को कोई सूचना जिस रूप में अभिलेखों में उपलब्ध है केवल उसी रूप में दी जानी है अथवा आवेदनकर्ता द्वारा यथा अपेक्षित पुनर्संरचित रूप में देनी होगी, स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में पथ प्रदर्चन अपेक्षित है।

लोक सूचना अधिकार से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों में मांगी गई सूचनाओं की एक सीमा निर्धारित किया जाना उचित होगा। किसी भी दशा में एक आवेदन में तीन या चार से अधिक सूचनाएं वांछित न हों एवं कोई भी आवेदक यदि संस्था को परेशान करने की नियत से सूचना मांग रहा हो तो उस पर भी नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए।

यहां यह भी अवगत कराना है कि किसी संस्थान को मात्र परेचान करने की नीयत से आवेदक छदम नामों से सूचना न प्राप्त कर सकें, इस पर नियंत्रण हेतु आवेदन के साथ निर्वाचन परिचय पत्र की छायाप्रति की अनिवार्यता भी वांछनीय है।

एक माह में मांगी जाने वाली सूचनाओं सम्बन्धी आवेदन पत्रों की भी सीमा निर्धारित होनी चाहिये जैसे एक माह में एक ही संस्था से एक आवेदक हेतु 3–4 आवेदन पत्रों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

आवेदक की पूर्व में उस संस्था से ली गई सूचनाओं की संख्या की जानकारी भी आवेदन पत्र में देनी चाहिये।

पायः यह देखा जा रहा है कि आवेदक द्वारा सूचना के स्थान पर केवल लोक सूचना अधिकारी का मत जानने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें अधिकांच बिन्दु विधिक राय से सम्बन्धित होते हैं, इस पर भी स्थित स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।

कतिपय मामलों में अनौचित्यपूर्ण सूचनायें मॉगने पर कर्मचारियों का समय खराब होता है तथा कठिनाईयॉ उत्पन्न होती है। अस्पष्ट आवेदनों से स्पष्ट सूचनायें निर्गत करने में कठिनाईयॉ होती है। कर्मचारियों की कमी के कारण कई बार सूचनायें तैयार करने में व्यवहारिक दिक्कतें आती है। कतिपय मामलों में स्टेषनरी/टिकट आदि पर्याप्त उपलब्ध न होने/बजट की कमी के कारण सूचना समय पर भेजने में व्यवहारिक दिक्कतें आती है। लोक सूचना प्रकोष्ठ अलग से गठित किया जाय तथा दो कर्मचारी तृतीय श्रेणी व एक कर्मचारी , चतुर्थ श्रेणी एक डाक पत्राचार हेतु डाक टिकट व लेखन सामग्री का बजट अलग से आंवटित होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में कार्य की अधिकता के सापेक्ष स्टाफ की कमी है।

सूचना के अधिकार विषयक आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रषासनिक अधिकारी के कक्ष में प्रस्तुत किये जायें तथा यह भी सूचित किया जाता है कि प्रत्येक सूचना के प्रथम पृष्ठ का शुल्क 10/– रूपया एवं इसके अतिरिक्त पृष्ठ होने पर प्रत्येक पृष्ठ 2/– रूपया शुल्क प्रति पृष्ठ अतिरिक्त देय होगा।

विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों द्वारा आयोग को सुझाव दिया गया कि विभागों में स्टाफ की अत्यअधिक कमी होने के कारण अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराये जाने में परेशानियॉ उत्पन्न हो रही है। अतः सूचना अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के लिए विभागों में अलग से स्टाफ नियुक्ति किया जाय।

समस्त विभागो के सुझाव

अन्त मे सभी विभागों के द्वारा अतिरिक्त शुल्क के विषय में तथा सूचना मागनें के 10 रूपये शुल्क को वृद्धि के साथ–साथ विभागों में सूचना अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के लिए सभी विभागों में अलग से स्टाफ की नियुक्ति की जाय। सूचना के तैयार होने के पश्चात यदि आवेदक सूचना लेने में रूचि नहीं रखता है तो आवेदक पर भी कानूनी कार्यवाही का प्राविधान अपेक्षित है। जनसामान्य के मध्य उक्त अधिनियम को लोकप्रिय करने हेतु सरल भाषा में प्रसार–प्रचार आवष्यक है। प्रशासनिक कार्यो में पारदर्षिता लाने हेतु अधिकतम आवष्यक सूचनायें मैनुअल, बोर्ड, इन्टरनेट साईट आदि के माध्यम से जनसामान्य को सुलभ होनी चाहिए। .आवेदकों को सूचना के सम्बन्ध में स्पष्ट आवेदन किये जाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। भाषा की अस्पष्टता या अधूरे विवरणों के कारण कई बार अस्पष्ट आवेदन कार्यालय में कर्मचारियों को कठिनाई पैदा करते है।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 में दिये गये मैनुवलों को अध्यावधिक कर विभागीय वैवसाइड पर अपलोड किया जाना चाहिए । अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम 2005 की चर्चा की जाय तथा भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम शासनादेशों के जानकारी प्रसारित की जानी चाहिए ।जन सामन्य को सूचना के अधिकार अधिनियम से होने वाले लाभ की जानकारी दी जाय तथा उन्हें अधिकार को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाय एवं जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर का कियान्वन किया जाना चाहिए ।महत्वपूर्ण सर्कुलरों व विज्ञप्तियों को उद्योगों से सम्बन्धित संगठनों को समय –समय पर प्रेषित किया जाना चाहिए ।

* * *

माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा जिज्ञासासाओं के सापेक्ष स्पष्टता

उपरोक्त जिज्ञासाओं के सापेक्ष मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि भारत लोक कल्याणकारी देश है और इसी भावना के अनुरूप सूचना के अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया है। अतः अधिनियम की भावना के अनुरूप लाभ–हानि पर ध्यान न देकर सूचनाओं को प्रदान किया जाना है अतः इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि किसी अभिलेखीय सूचना सम्बन्धी विभाग में कोई निर्धारित प्रारूप है तो उस पर अन्यथा अनुरोधकर्ता द्धारा दिये गये प्रारूप पर चाही गयी सूचना उपलब्ध करायी जायें। सूचना प्राप्त करने वाला भारत का नागरिक हो व उसका पता सही हो और मांगी गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लिखित प्रतिबन्धों से प्रतिबन्धित न हो तो सूचना उपलब्ध करा दी जानी चाहिएं।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त ने अंत में सभागार में उपस्थित सभी विभागीय अपीलीय अधिकारियों/ लोक सूचना अधिकारियों की गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का लागू होना हमारे देश के लिये एक बहुत बड़ी उपलधि है। उन्होनें कहा कि इसको लागू हुये अभी मात्र 4 वर्ष का समय हुआ है और जो लोकप्रियता इस अधिनियम ने प्राप्त की है वह अभी तक इतने कम समय में किसी और अधिनियम ने नहीं प्राप्त की है। उन्होनें बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल भारतीय नागरिक ही सूचना प्राप्त कर सकता है अतः यदि लाक सूचना अधिकारी को सामान्य तौर पर यह पता है कि अनुरोधकर्ता भारतीय नागरिक है उसे सूचना दी जा सकती है। उन्होंन अपने सम्बोधन में कहा कि अनुरोधकर्ताओं को अपडेटेड सूचना उपलब्ध कराना प्रत्येक लोक प्राधिकारी ईकाई का दायित्व है। उन्होने लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सुझाव कि शुल्क में बृद्वि होनी चाहिये के सम्बन्ध में कहा कि यह एक लोक कल्याणकारी अधिनियम है और लोकहित में इन बातों के लिये कोई स्थान नहीं है कि इसको लागू करने में कितना व्यय हो रहा है। उन्होने सरकारी अस्पतालों का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार द्वारा सरकारी अस्पताल लोकहित के लिये खोले जाते हैं इनको खोलते समय केवल लोकहित का ध्यान रखा जाता है सरकारी व्यय का नहीं ठीक उसी प्रकार इस लोक कल्याणकारी अधिनियम को लागू करने के लिये भी केवल लोकहित को ध्यान में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होनें उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वार प्रकट की गई दिक्कतों के बारे में विस्तार से अपमे विचार रखे और कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में सभी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी होने के बावजूद सबके द्वारा अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है इसके लिये सभी अधिकारी और कर्मचारी साधूवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि छोटे–छोटे सुझाव भी कभी कभी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होनें उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों औ विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आश्वस्त किया कि उचित मचं पर उनको आ रही कठिनाइरूों और उनसे प्राप्त हुए सुझावों को उनके द्वारा रखा जायेगा।

मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया गया कि राजकीय कार्यालयों में अभिलेख व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जा रहे है, कई मामलों में यह देखने में आया है कि महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाय व कर्मचारियों

/अभिलेखों के स्थानान्तरण की स्थिति में चार्ज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्राविधानों का कठोरता से पालन किया जाये उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि कार्यालयाध्यक्षों /विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य का समय–समय पर स्वयं निरीक्षण कर यह अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाये।

मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा यह भी स्पष्ट कयिा गया की यदि कोई भी अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना प्रश्नवाचक रुप में पूछी गयी है तो लोक सूचना अधिकारी उनमे पूछे गये तथ्यों को समझना चाहिये जो अनुरोघ कर्ता द्वारा उस आवेदन मे लिखा है।

पुलिस विभाग से संबंधित मामलों पर चर्चा के दौरान मा0 सूचना आयुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिनियम की धारा 4 (1) ख के प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार मैनुअलों के सन्दर्भ में सभी स्तरों पर पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार शासनादेशों का संकलन करते हुए मैनुअलों को भी अद्यतन किया जाय।

यदि कोई व्यक्ति सूचना चाहता हो जिससे देश की तथा जनहित की हानी होती हो तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा (8) के प्राविधान का प्रयोग किया जा सकता है।

गोष्ठी के अन्त में जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा मा0 सूचना आयुक्त महोदय का अधिनियम के प्राविधानों पर विस्तार से दी गयी जानकारी पर उनका आभार व्यक्त किया गया।

* * *

मननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 06.05.2010 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को जनपद रूद्रप्रयाग जिला सभागार में जन सामान्य के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में हुई गोष्ठी का कार्यवृत्त

*दनांक 06.05.2010 मा0 सूचना आयुक्त महोदय जिला अधिकारी रूद्रप्रयाग श्री रविनाथ रमन के साथ गोष्ठी के आयोजन स्थल **जिला सभागार** में अपराहन 3:00 बजे पहुचें। जिसमें आयोजित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की गोष्ठी/बैठक की अध्यक्षता मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा की गयी जिसमें जनपद रूद्रप्रयाग के समस्त विभागाध्यक्ष एवं जन प्रतिनिधियो, स्वय सेवी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी का शुभारम्भ मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा किया गया तत्पश्चात उपस्थित जनप्रतिनिधिगणों, पत्रकारों/समाजसेवी/विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा परिचय दिया गया । आयोजन स्थल पर जनपद रूद्रप्रयाग के जनपद में स्थित जन प्रतिनिधियो में के कुल 19 व्यक्ति उपस्थित थे।*

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा गोष्ठी मे उपस्थित अधिकारियों /विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों/समाज सेंवियो/पत्रकारों एवं जन सामान्य को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी और सूचनाऐ प्राप्त करनें में तथा सूचनायें उपलब्ध करानें मे सबंधित विभिन्न विभागों का संज्ञान लिया गया। मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा कतिपय विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध न करानें के संबंध में जानकारी ली गयी और निर्देशित किया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का कडाई से पालन किया जाए। प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सामान्य द्वारा मांगी जा रही सूचनाओं को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करने हेतु तत्परता से कार्य करें । गोष्ठी के प्रारम्भ में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा जन सामान्य से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों, अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में सुझाव देने की अपेक्षा की गयी :

1. *जनप्रतिनिधियों की तरफ से दीवान सिंह ग्राम प्रधान जखवाडी द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि जनपद में जो स्वय सेवी संस्थायें हैं उनके लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी कौन होते है इस संबंध में जानकारी नहीं रहती है और सूचना प्राप्त नहीं होती है।*
2. *जनप्रतिनिधियों द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार–प्रसार को गॉव–गॉव तक गोष्ठियों के माध्यम से कराने के संबंध में सुझाव दिया गया।*
3. *जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस प्रकार की बैठकें प्रत्येक दो–तीन माह में यदि यह गोष्ठि उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में होती रहें जिसमें आयोग के प्रतिनिधि भी उपस्थित हो तो उसे जन प्रतिनिधियों, लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।*

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि बी0पी0एल0 कार्ड धारको को सूचनाऐं निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अन्यथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचना न

दियें जानें अथवा सूचना देनें से इन्कार करनें पर अथवा लोक सूचना अधिकारियों द्वारा भ्रामक सूचना देनें पर आयोग द्वारा संबंधित के खिलाफ शास्ति जैसी कठोर कार्यवाही करनें को वाध्य है। किसी भी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करनें हेतु वयक्तिगत रूप से उपस्थित होनें की किसी भी स्तर परं वाध्यता नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में सही –सही सूचना दी जानी चाहिए। यदि सूचना उस विभाग /अधिष्ठान से संबंधित न हो तो सूचना उपलब्ध करानें हेतु तीसरे पक्ष को लिखित रूप में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सूचना अन्तरित कर दी जानी चाहिए ताकि सूचना समय से उपलब्ध करायी जा सके अथवा सूचना देने वाले को वापस किया जा सकता है कि सूचना दूसरे विभाग से संबंधित है उसी विभाग से सूचना प्राप्त की जा सकती है।

लोक सूचना अधिकारी /ग्राम प्रधान को सूचना देने में स्टेशनरी व्यय का प्राविधान न होने सम्बन्धी बिन्दु पर मा0 सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक प्रधान को रू0 5000/– तक की धनराशि आबंटित किये जाने हेतु शासन के पंचायती राज विभाग से कार्यवाही गतिमान है। मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया गया कि राजकीय कार्यालयों में अभिलेख व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जा रहे है, कई मामलों में यह देखने में आया है कि महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालय में उपलब्रध नहीं है। अतः अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाय व कर्मचारियों /अभिलेखों के स्थानान्तरण की स्थिति में चार्ज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्राविधानों का कठोरता से पालन किया जाये उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि कार्यालयाध्यक्षों /विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य का समय – समय पर स्वयं निरीक्षण कर यह अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाये।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क समय से जमा नही किया जाता या विलम्ब से शुल्क जमा किया जाता हैं तो आवेदक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने में अक्षम माना जाता है। उसमें समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं होता हैं। मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक जनपद में केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जनपद में केन्द्रीय सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी होते है। उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है या केन्द्रीय सूचना आयोग को भी लिखने का अधिकार है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्न उत्तर के रूप में सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकती है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि धारा–18 के अन्तर्गत तृतीय पक्ष ज्वाईट मुआवना करवा सकतरा है तथा उस पर प्रयोग की गई सामग्री का भी परीक्षण करवा सकता है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्धारा अवगत कराया गया कि जिन विभागों द्वारा स्वंय सेवी संस्थाओं का वित्तीय सहायता दी जाती है उन्ही के अधिकारी संस्था के सहायक लोक सूचना अधिकारी /लोक सूचना अधिकारी होते है। मा0 आयुक्त महोदय द्धारा बताया गया कि सूचना आयेाग के समक्ष अभी तक तीन लाख लोगों द्धारा सूचनाऐं प्राप्त करनें हेतु अवेदन किया गया तथा पॉच हजार से अधिक अपीलें प्राप्त हुयी है जिसका निस्तारण किया जा चुका है। जनपद चम्पावत की अभी तक कुल 12 अपीलें सूचना आयुक्त के स्तर पर है। जनपद की अधिकांश सूचनाऐं लोक सूचना अधिकारी स्तर से निस्तारित हुयी है और आवेदक वॉछित सेूचनायें प्राप्त कर लाभान्वित हुए है।

अन्त में परियोजना निदेशक /नोडल अधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम –2005 द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दी गयी आर0टी0आई0 विषय वस्तु की अनुपम जानकारी एवं बैठक में पूछी गयी समस्याओं एवं उनका निदान /निस्तारण एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत किये जाने संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु आभार प्रकट किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया ।

* * *

मननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 07.05.2010 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को जनपद चमोली के जिला मुख्यालय में स्थित राजकीय इण्टर कालेज गोपेश्वर के प्रेक्षागृह में लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों के साथ हुई गोष्ठी का कार्यवृत्त

सर्वप्रथम माननीय सूचना आयुक्त द्वारा गोष्ठी का शुभारम्भ किया गया तत्पश्चात जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक द्वारा/नोडल मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय का बुके देकर जनपद **चमोली** में स्वागत किया गया।

दनांक 07.05.2010 मा0 सूचना आयुक्त महोदय जिला अधिकारी रूद्रप्रयाग श्री रविनाथ रमन के साथ गोष्ठी के आयोजन स्थल **जिला मुख्यालय में स्थित राजकीय इण्टर कालेज गोपेश्वर** में प्रातः 11:00 बजे पहुचें। आयोजन स्थल पर जनपद रूद्रप्रयाग के जनपद में स्थित विभिन्न विभागों के कुल 157 विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित थे।

गोष्ठी के प्रारम्भ में माननीय सूचना आयुक्त द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन में आ रही कठिनिाईयों, अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में सुझाव देने की अपेक्षा की गयी :

समस्त विभाग लोक सूचना अधिकारीयों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारीयों द्वारा दिये गये सुझाव एवं सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत आ रही कठनाईयॉ

सूचना प्राप्ती हेतू अनुरोध पत्र षुल्क 10रू0 से बढाया जाये जिससे सही व्यक्तियों द्वारा सूचना मागी जाय।

RTI के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था की जाये।

सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तगर्त अनुरोधकर्त्ता से सूचना प्राप्ति का उद्देष्य भी पूछा जाना चाहिये।

ग्राम प्रधानो को लोक सूचना अधिकारी के पद से मुक्त कर देना चाहिए।

अपीलकर्त्ता आयोग के समक्ष द्वितीय अपील में तो उपस्थित होते हैं किन्तु प्रथम विभागीय अपील की सुनवाई के समय उपस्थित नही होत आयोग द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाये िकवे प्रथम विभागीय अपील की सुनवाई के समय भी उपस्थित हों।

आयोग द्वारा इस प्रकार के आयोजन जनपद के मुख्यालय स्तर के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर भी किये जायें।

सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत आवेदकों द्वारा एक ही सूचना के अनुरोध पत्र पर अनेको विषयों से सम्बन्धित सूचनायें मांगी जा रही है तथा एक ही अनुरोध पत्र पर अनेकों विभागों से सम्बन्धित सूचनायें मांगी जा रही है , जिस पर एक ही अनुरोध पत्र को अनेको लोक सूचना अधिकारियों को हस्तान्तरित किया जा रहा है , जिसमें काफी समय एवं सरकारी धन का दुरूपयोंग हो रहा है जबकि आवेदक द्वारा 10(दस) रूपये जमा किया जा रहा है , उचित होगा कि एक अनुरोध पर पर एक ही विषय/ विभाग से सम्बन्धित सूचनायें प्रदान करने का प्राविधान किया जाय। लोक सूचना अधिकारी ग्राम प्रधान को सूचना अधिकार अधिनियम के लिए 5000 रूपये दिया जायेगा लेकिन अभी तक उनको कोई भी धनराषी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

आवेदको द्वारा सूचना को अभिलेखों /दस्तावेजों के रूप से न मांगकर तर्क वितर्क एवं विश्लेषण के आधार पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है तथा कतिपय प्रकरणों में आवेदक तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना आपसी द्वेष भावना के कारण भी मांग रहे है , जो उचित प्रतीत नही होता है।

कतिपय अपीलार्थी सूचना उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् भी अनावश्यक अपील आयोग के समक्ष दायर कर रहे है एवं आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी /अपीलीय अधिकारी का पक्ष सुने बिना उनको व्यक्तिगत रूप से तलब किया जा रहा है , जिससे लोक सूचना अधिकारी /अपीलीय अधिकारियों को कार्यालय छोडकर आयोग के सम्मुख उपस्थित होना पड़ रहा है एवं सरकारी धन का दुरूपयोग हो रहा है। इस सम्बन्ध मे उचित होगा कि किसी अपील के दायर होने पर सर्वप्रथम लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी से उसका जवाब ले लिया जाय एवं यदि आवश्यक हो तो लोक सूचना अधिकारी /अपीलीय अधिकारी को अपरिहार्य परिस्थितयों मे ही तलब किया जाय।

माननीय आयोग के समक्ष अपील के निस्तारण मे यदि कोई अपील अनावश्यक एवं गलत तथ्यो पर दायर किया जाना स्पष्ट हो तो सम्बन्धित अपीलकर्ता का भी उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी एवं आयोग द्वारा किये गये व्यय की वसूली की जानी चाहिये।

उप जिलाधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदों का भी अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है , जबकि अधिशासी अधिकारियों पर उप जिलाधिकारी का सीधा नियंत्रण नही है जिस कारण नगर पालिका /नगर पंचायतों की अपीलों के निस्तारण में कठिनाई हो रही है। उचित होगा कि अधिशासी अधिकारियों के अपीलीय अधिकारी आवास अनुभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया जाय।

लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय मे एक सूचना लिपिक का पद सृजित किया जाना चाहिए तथा लोक सूचना के अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद में धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए , जिससे सम्बन्धित अनुरोधकर्ता को सूचना पंजीकृत डाक से उपलब्ध कराये जाने में सुविधा होगी।

सूचना अधिकार के कार्यो हेतु एक लिपिक व कम्प्यूटर,प्रिन्टर,स्केनर तथा पर्याप्त मात्रा में लेखन सामग्री हेतु बजट उपलब्ध कराया जाय। तथा एक कक्ष अलग से बनाया जाय।

लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में प्रत्येक क्षेत्र में अनुभवी अधिकारियों/कर्मचारियों का एक सेल गठित किया जाना उचित होगा ताकि उनके अनुभव का लाभ इस अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सामान्य जनता को प्राप्त हो सके।

आवेदन कर्ता को कोई सूचना जिस रूप में अभिलेखों में उपलब्ध है केवल उसी रूप में दी जानी है अथवा आवेदनकर्ता द्वारा यथा अपेक्षित पुनर्संरचित रूप में देनी होगी, स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में पथ प्रदर्शन अपेक्षित है।

लोक सूचना अधिकार से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों में मांगी गई सूचनाओं की एक सीमा निर्धारित किया जाना उचित होगा। किसी भी दशा में एक आवेदन में तीन या चार से अधिक सूचनाएं वांछित न हों एवं कोई भी आवेदक यदि संस्था को परेशान करने की नियत से सूचना मांग रहा हो तो उस पर भी नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए।

यहां यह भी अवगत कराना है कि किसी संस्थान को मात्र परेशान करने की नीयत से आवेदक छद्म नामों से सूचना न प्राप्त कर सकें, इस पर नियंत्रण हेतु आवेदन के साथ निर्वाचन परिचय पत्र की छायाप्रति की अनिवार्यता भी वांछनीय है।

एक माह में मांगी जाने वाली सूचनाओं सम्बन्धी आवेदन पत्रों की भी सीमा निर्धारित होनी चाहिये जैसे एक माह में एक ही संस्था से एक आवेदक हेतु 3–4 आवेदन पत्रों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। आवेदक की पूर्व में उस संस्था से ली गई सूचनाओं की संख्या की जानकारी भी आवेदन पत्र में देनी चाहिये।

पायः यह देखा जा रहा है कि आवेदक द्वारा सूचना के स्थान पर केवल लोक सूचना अधिकारी का मत जानने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें अधिकांश बिन्दु विधिक राय से सम्बन्धित होते हैं, इस पर भी स्थित स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।

कतिपय मामलों में अनौचित्यपूर्ण सूचनायें मॉगने पर कर्मचारियों का समय खराब होता है तथा कठिनाईयॉ उत्पन्न होती है। अस्पष्ट आवेदनों से स्पष्ट सूचनायें निर्गत करने में कठिनाईयॉ होती है। कर्मचारियों की कमी के कारण कई बार सूचनायें तैयार करने में व्यवहारिक दिक्कतें आती है। कतिपय मामलों में स्टेषनरी/टिकट आदि पर्याप्त उपलब्ध न होने/बजट की कमी के कारण सूचना समय पर भेजने में व्यवहारिक दिक्कतें आती है। लोक सूचना प्रकोष्ठ अलग से गठित किया जाय तथा दो कर्मचारी तृतीय श्रेणी व एक कर्मचारी , चतुर्थ श्रेणी एक डाक पत्राचार हेतु डाक टिकट व लेखन सामग्री का बजट अलग से आंवटित होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में कार्य की अधिकता के सापेक्ष स्टाफ की कमी है।

सूचना के अधिकार विषयक आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रषासनिक अधिकारी के कक्ष में प्रस्तुत किये जायें तथा यह भी सूचित किया जाता है कि प्रत्येक सूचना के प्रथम पृष्ठ का शुल्क 10/– रूपया एवं इसके अतिरिक्त पृष्ठ होने पर प्रत्येक पृष्ठ 2/– रूपया शुल्क प्रति पृष्ठ अतिरिक्त देय होगा। विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों द्वारा आयोग को सुझाव दिया गया कि विभागों में स्टाफ की अत्यअधिक कमी होने के कारण अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराये जाने में परेशानियॉ उत्पन्न हो

रही है। अतः सूचना अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के लिए विभागों में अलग से स्टाफ नियुक्ति किया जाय।

समस्त विभागो के सुझाव

अन्त मे सभी विभागों के द्वारा अतिरिक्त शुल्क के विषय में तथा सूचना मागनें के 10 रूपये शुल्क को वृद्धि के साथ–साथ विभागों में सूचना अधिकार अधिनियम के कियान्वयन के लिए सभी विभागों में अलग से स्टाफ की नियुक्ति की जाय। *सूचना के तैयार होने के पश्चात यदि आवेदक सूचना लेने में रूचि नहीं रखता है तो आवेदक पर भी कानूनी कार्यवाही का प्राविधान अपेक्षित है।* जनसामान्य के मध्य उक्त अधिनियम को लोकप्रिय करने हेतु सरल भाषा में प्रसार–प्रचार आवष्यक है। प्रशासनिक कार्यो में पारदर्षिता लाने हेतु अधिकतम आवष्यक सूचनायें मैनुअल, बोर्ड, इन्टरनेट साईट आदि के माध्यम से जनसामान्य को सुलभ होनी चाहिए। आवेदकों को सूचना के सम्बन्ध में स्पष्ट आवेदन किये जाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। भाषा की अस्पष्टता या अधूरे विवरणों के कारण कई बार अस्पष्ट आवेदन कार्यालय में कर्मचारियों को कठिनाई पैदा करते है।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 में दिये गये मैनुवलों को अध्यावधिक कर विभागीय वैवसाइड पर अपलोड किया जाना चाहिए । अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम 2005 की चर्चा की जाय तथा भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम शासनादेशों के जानकारी प्रसारित की जानी चाहिए ।जन सामन्य को सूचना के अधिकार अधिनियम से होने वाले लाभ की जानकारी दी जाय तथा उन्हें अधिकार को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाय एवं जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर का कियान्वन किया जाना चाहिए ।महत्वपूर्ण सर्कुलरों व विज्ञप्तियों को उद्योगों से सम्बन्धित संगठनों को समय –समय पर प्रेषित किया जाना चाहिए ।

* * *

माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा जिज्ञासासाओं के सापेक्ष स्पष्टता

उपरोक्त जिज्ञासाओं के सापेक्ष मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि भारत लोक कल्याणकारी देश है और इसी भावना के अनुरूप सूचना के अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया है। अतः अधिनियम की भावना के अनुरूप लाभ–हानि पर ध्यान न देकर सूचनाओं को प्रदान किया जाना है अतः इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि किसी अभिलेखीय सूचना सम्बन्धी विभाग में कोई निर्धारित प्रारूप है तो उस पर अन्यथा अनुरोधकर्ता द्वारा दिये गये प्रारूप पर चाही गयी सूचना उपलब्ध करायी जायें। सूचना प्राप्त करने वाला भारत का नागरिक हो व उसका पता सही हो और मांगी गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लिखित प्रतिबन्धों से प्रतिबन्धित न हो तो सूचना उपलब्ध करा दी जानी चाहिएं।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त ने अंत में सभागार में उपस्थित सभी विभागीय अपीलीय अधिकारियों/ लोक सूचना अधिकारियों की गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का लागू होना हमारे देश के लिये एक बहुत बड़ी उपलधि है। उन्होनें कहा कि इसको लागू हुये अभी मात्र 4 वर्ष का समय हुआ है और जो लोकप्रियता इस अधिनियम ने प्राप्त की है वह अभी तक इतने कम समय में किसी और अधिनियम ने नहीं प्राप्त की है। उन्होनें बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल भारतीय नागरिक ही सूचना प्राप्त कर सकता है अतः यदि लाक सूचना अधिकारी को सामान्य तौर पर यह पता है कि अनुरोधकर्ता भारतीय नागरिक है उसे सूचना दी जा सकती है। उन्होंन अपने सम्बोधन में कहा कि अनुरोधकर्ताओं को अपडेटेड सूचना उपलब्ध कराना प्रत्येक लोक प्राधिकारी ईकाई का दायित्व है। उन्होने लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सुझाव कि शुल्क में बृद्वि होनी चाहिये के सम्बन्ध में कहा कि यह एक लोक कल्याणकारी अधिनियम है और लोकहित में इन बातों के लिये कोई स्थान नहीं है कि इसको लागू करने में कितना व्यय हो रहा है। उन्होने सरकारी अस्पतालों का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार द्वारा सरकारी अस्पताल लोकहित के लिये खोले जाते हैं इनको खोलते समय केवल लोकहित का ध्यान रखा जाता है सरकारी व्यय का नहीं ठीक उसी प्रकार इस लोक कल्याणकारी अधिनियम को लागू करने के लिये भी केवल लोकहित को ध्यान में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होनें उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वार प्रकट की गई दिक्कतों के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे और कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में सभी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी होने के बावजूद सबके द्वारा अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है इसके लिये सभी अधिकारी और कर्मचारी साधूवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि छोटे–छोटे सुझाव भी कभी कभी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होनें उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों औ विभागीय अपीलीय अधिकारियों को आश्वस्त किया कि उचित मचं पर उनको आ रही कठिनाइरूों और उनसे प्राप्त हुए सुझावों को उनके द्वारा रखा जायेगा।

मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया गया कि राजकीय कार्यालयों में अभिलेख व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जा रहे है, कई मामलों में यह देखने में आया है कि महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालय में उपलब्रध नहीं है। अतः अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाय व कर्मचारियों /अभिलेखों के स्थानान्तरण की स्थिति में चार्ज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्राविधानों का कठोरता से पालन किया जाये उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि कार्यालयाध्यक्षों /विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य का समय–समय पर स्वयं निरीक्षण कर यह अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाये।

मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा यह भी स्पष्ट कयिा गया की यदि कोई भी अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना प्रश्नवाचक रुप में पूछी गयी है तो लोक सूचना अधिकारी उनमे पूछे गये तथ्यों को समझना चाहिये जो अनुरोघ कर्ता द्वारा उस आवेदन मे लिखा है।

पुलिस विभाग से संबंधित मामलों पर चर्चा के दौरान मा0 सूचना आयुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिनियम की धारा 4 (1) ख के प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार मैनुअलों के सन्दर्भ में सभी स्तरों पर पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार शासनादेशों का संकलन करते हुए मैनुअलों को भी अद्यतन किया जाय।

यदि कोई व्यक्ति सूचना चाहता हो जिससे देश की तथा जनहित की हानी होती हो तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा (8) के प्राविधान का प्रयोग किया जा सकता है।

गोष्ठी के अन्त में जिलाधिकारी चमोली द्वारा मा0 सूचना आयुक्त महोदय का अधिनियम के प्राविधानों पर विस्तार से दी गयी जानकारी पर उनका आभार व्यक्त किया गया।

* * *

मननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 07.05.2010 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को जनपद चमोली के जिला मुख्यालय में स्थित राजकीय इण्टर कालेज गोपेश्वर में जन सामान्य के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में हुई गोष्ठी का कार्यवृत्त

सर्वप्रथम माननीय सूचना आयुक्त द्वारा गोष्ठी का शुभारम्भ किया गया तत्पश्चात जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक/नगर पालिका अध्यक्ष गोपेश्वर/नगर पालिका अध्यक्ष जोशीमठ द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय का जनपद चमाली में स्वागत किया गया।

दनांक 07.05.2010 मा0 सूचना आयुक्त महोदय जिला अधिकारी रूद्रप्रयाग श्री रविनाथ रमन के साथ गोष्ठी के आयोजन स्थल जनपद चमोली के जिला मुख्यालय में स्थित राजकीय इण्टर कालेज गोपेश्वर में अपराहन 3:00 बजे पहुचें। जिसमें आयोजित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की गोष्ठी/बैठक की अध्यक्षता मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा की गयी जिसमें जनपद रूद्रप्रयाग के समस्त विभागाध्यक्ष एवं जन प्रतिनिधियें, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी का शुभारम्भ मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा किया गया तत्पश्चात उपस्थित जनप्रतिनिधिगणों, पत्रकारों/समाजसेवी/विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा परिचय दिया गया । आयोजन स्थल पर जनपद रूद्रप्रयाग के जनपद में स्थित जन प्रतिनिधियो में के कुल 47 व्यक्ति उपस्थित थे।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा गोष्ठी मे उपस्थित अधिकारियों /विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों/समाज सेंवियो/पत्रकारों एवं जन सामान्य को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी और सूचनाऐ प्राप्त करनें में तथा सूचनायें उपलब्ध करानें में संबंधित विभिन्न विभागों का संज्ञान लिया गया। मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा कतिपय विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध न करानें के संबंध में जानकारी ली गयी और निर्देर्शित किया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का कडाई से पालन किया जाए। प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सामान्य द्वारा मांगी जा रही सूचनाओं को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करने हेतु तत्परता से कार्य करें । गोष्ठी के प्रारम्भ में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा जन सामान्य से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों, अधिनियम के कियान्वयन के संबंध में सुझाव देने की अपेक्षा की गयी :

1. जनप्रतिनिधियों द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि जनपद में आयोग द्वारा आज लोक सूचना अधिकारी /विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रषिक्षित करने के साथ–साथ जन सामान्य को भी प्रषिक्षित किया जाना चाहिए।

2. जनप्रतिनिधियों द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि जनपद निजि विद्याालयो से सूचना प्राप्त नही हो पा रही है।

3. जनप्रतिनिधियों द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि जनपद में जो स्वंय सेवी संस्थायें हैं उनके लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी कौन होते है इस संबंध में जानकारी नहीं रहती है और सूचना प्राप्त नहीं होती है।

4. जनप्रतिनिधियों द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह जानना चाहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार–प्रसार को गॉव–गॉव तक गोष्ठियों के माध्यम से कराने के सबंध में सुझाव दिया गया।

5. जनप्रतिनिधियों द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त से यह आग्रह भी किया गया की इस प्रकार के गोष्ठी कार्यक्रम को ग्राम पंचायत स्तर भी करने चाहिए जिसे प्रत्येक स्थान पर जन सामान्य में RTI के संबंध में जागरूकता फैलाई जा सके।

6. जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस प्रकार की बैठकें प्रत्येक दो–तीन माह में यदि यह गोष्ठि उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में होती रहे जिसमें आयोग के प्रतिनिधि भी उपस्थित हो तो उसे जन प्रतिनिधियों, लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि बी0पी0एल0 कार्ड धारको को सूचनाऐं निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अन्यथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचना न दियें जानें अथवा सूचना देनें से इन्कार करनें पर अथवा लोक सूचना अधिकारियों द्वारा भ्रामक सूचना देनें पर आयोग द्वारा संबंधित के खिलाफ शास्ति जैसी कठोर कार्यवाही करनें को वाध्य है। किसी भी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करनें हेतु वयक्तिगत रूप से उपस्थित होनें की किसी भी स्तर पर वाध्यता नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में सही –सही सूचना दी जानी चाहिए। यदि सूचना उस विभाग /अधिष्ठान से संबंधित न हो तो सूचना उपलब्ध करानें हेतु तीसरे पक्ष को लिखित रूप में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सूचना अन्तरित कर दी जानी चाहिए ताकि सूचना समय से उपलब्ध करायी जा सके अथवा सूचना देने वाले को वापस किया जा सकता है कि सूचना दूसरे विभाग से संबंधित है उसी विभाग से सूचना प्राप्त की जा सकती है।

लोक सूचना अधिकारी /ग्राम प्रधान को सूचना देने में स्टेशनरी व्यय का प्राविधान न होने सम्बन्धी बिन्दु पर मा0 सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक प्रधान को रू0 5000/– तक की धनराशि आबंटित किये जाने हेतु शासन के पंचायती राज विभाग से कार्यवाही गतिमान है। मा0 सूचना आयुक्त महोदय द्वारा इस बात पर असन्तोष व्यक्त किया गया कि राजकीय कार्यालयों में अभिलेख व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जा रहे है, कई मामलों में यह देखने में आया है कि महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालय में उपलब्रध नहीं है। अतः अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाय व कर्मचारियों /अभिलेखों के स्थानान्तरण की स्थिति में चार्ज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्राविधानों का कठोरता से पालन किया जाये उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि कार्यालयाध्यक्षों /विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव सम्बन्धी कार्य का समय – समय पर स्वयं निरीक्षण कर यह अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाये।

मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क समय से जमा नही किया जाता या विलम्ब से शुल्क जमा किया जाता हैं तो आवेदक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने में अक्षम माना जाता है। उसमें समय सीमा का कोई निर्धारण

नहीं होता है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल जी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक जनपद में केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जनपद में केन्द्रीय सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी होते है। उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है या केन्द्रीय सूचना आयोग को भी लिखने का अधिकार है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्न उत्तर के रूप में सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकती है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि धारा–18 के अन्तर्गत तृतीय पक्ष ज्वाईट मुआवना करवा सकतरा है तथा उस पर प्रयोग की गई सामग्री का भी परीक्षण करवा सकता है। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि जिन विभागों द्वारा स्वंय सेवी संस्थाओं का वित्तीय सहायता दी जाती है उन्ही के अधिकारी संस्था के सहायक लोक सूचना अधिकारी /लोक सूचना अधिकारी होते है। मा0 आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि सूचना आयेाग के समक्ष अभी तक तीन लाख लोगों द्वारा सूचनाऐं प्राप्त करनें हेतु अवेदन किया गया तथा पॉच हजार से अधिक अपीलें प्राप्त हुयी है जिसका निस्तारण किया जा चुका है। जनपद की अधिकाश सूचनाऐं लोक सूचना अधिकारी स्तर से निस्तारित हुयी है और आवेदक वॉछित सूचनायें प्राप्त कर लाभान्वित हुए है।

अन्त में जिलाधिकारी चमोली द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दी गयी आर0टी0आई0 विषय वस्तु की अनुपम जानकारी एवं बैठक में पूछी गयी समस्याओं एवं उनका निदान /निस्तारण एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत किये जाने संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु आभार प्रकट किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया ।

‘‘सूचना वाहक’’
सचल वीडियों
कांफ्रैन्सिंग सेवा

''सूचना वाहक'' सचल वीडियों कांफ्रैन्सिंग सेवा

तेरहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ''त्वरित एवम समावेशी विकास'' (Faster & Inclusive Growth) है. सूचना का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावकारी माध्यम है जिससे यह संभव हो पा रहा है कि यह विकास पारदर्शी व उत्तरदायित्वपूर्ण हो. एक पर्वतीय राज्य होने के नाते यह आवश्यक है कि हम विकास को सुदूर पर्वतीय अंचलों, महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों की भी पहुंच में लायें. बच्चे भी हकदार हैं कि वह यह जान सकें कि उनके विकास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है.

इसी उद्देश्य को केन्द्र में रख कर उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने ''समावेशी विकास'' के अभियान के क्रम में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से कुल 24.50 लाख की आर्थिक सहायता प्राप्त की है। उपरोक्त वित्तीय सहायता का उपयोग एक मोबाईल वैन क्रय कर उस पर डिश ऐंटीना (VSAT) के माध्यम से नैटर्वकिंग के जरिये सचल वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Mobile Video Conferencing) की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इसे ''सूचना वाहक'' का नाम दिया गया है.

इस मोबाईल वैन द्वारा राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर सूचना आवेदकों से सूचना आयोग का सीधा सम्पर्क स्थापित कराया जाता है. आयोग की सचल वीडियों कांफ्रैन्सिंग वैन प्रदेश के दूरस्थ दुर्गम / पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच कर वहां के जनसामान्य को मुख्य सूचना आयुक्त एव राज्य सूचना आयुक्तों से सीधे संवाद स्थापित कराती है. वीडियों कांफ्रैन्सिंग के माध्यम से जनसामान्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग के संबंध में अपने प्रश्न/जिज्ञासायें आयोग के समक्ष रखते हैं तथा जिनका उत्तर/हल उसी समय मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा प्रदान किया जाता है.

इसी मोबाईल वैन में अपीलों एवं शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा भी नागरिकों को उपलब्ध होती है. सूचना वाहक के माध्यम से प्राप्त अपीलों एवं शिकायतों का आयोग कार्यालय में ठीक उसी प्रकार से पंजीयन किया जाता है जिस प्रकार सामान्यतः कोई भी अपील एवं शिकायत दर्ज की जाती है तथा उस पर अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है.

उपरोक्त व्यवस्था के फलस्वरूप अपीलकर्ताओं को दूरस्थ क्षेत्रों से आयोग कार्यालय आने, डाक व्यय तथा श्रम एवं समय की बचत होती है तथा आयोग व विशेषज्ञों का परामर्श भी प्राप्त होता है. पूरे देश में उत्तराखण्ड पहला ऐसा प्रदेश है जहां सूचना आयोग दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में इस प्रकार की सचल सुविधा प्रदान कर रहा है.

'सूचना वाहक'' सेवा का उद्घाटन सत्र दिनांक 28/08/10 को जनपद देहरादून के विकासनगर विकास खण्ड के ग्राम होरावाला में आयोजित किया गया. इस सत्र का विस्तृत विवरण नीचे उदृत किया जा रहा है :

FIRST IN THE COUNTRY:

Launch of Mobile Video Conferencing Facility "सूचना वाहक" by Uttarakhand Information Commission

The much awaited Mobile Video Conferencing Facility "सूचना वाहक'' of Uttarakhand Information Commission implemented under the "IT Enablement" component of Centrally Sponsored Scheme on Strengthening Capacity Building and Awareness Generation for effective implementation of the RTI Act was formally launched on the 28th of August 2010. This facility is part of the "Inclusive RTI" theme of the Uttarakhand Information Commission (UIC) and aims to reach-out to the remote villages / hilly - regions of the state and marginalized classes and communities e.g. women, SC/ST population, children etc. to spread awareness about the RTI Act and encourage its use by the mountain women and children who otherwise do not get enough occasions to voice their views and grievances.

The Mobile Video Conferencing Van

The field location chosen for the launch of the Mobile VC was the Gram Panchayat building of a village named Horawala falling under the Vikasnagar block of Dehradun district and located at a distance of approx. 38km from the district headquarters. A prominent organization of the state, Mountain Children Forum (MCF), which has done a considerable work on propagation of RTI amongst the children of the villages of the state, was partner-organization for the launch programme and helped conduct the event. The MCF has a Children Panchayat (Bal Pachayat) well versed with the provisions of the RTI Act and actively involved in its use in their village. They have worked in close collaboration with the Uttarakhand Information Commission.

The participants in the field located (village Horawala) included the school children and residents of the village; the local MLA; the village Pradhan and the MCF activists. At the UIC at Dehradun, Dr. R. S. Tolia, Chief Information Commissioner and Shri Vinod Nautiyal, Information Commissioner were present to answer the queries of the children and villagers. Besides, some other prominent RTI specialists like Dr. B. P. Maithani; Mr. Cyril Raphael; Ms. Usha Goel; Ms. Geeta Gairola and others were also present at UIC to witness the launch and also express their views and opinions. It was also witnessed by senior members of the press and media.

Hon'ble CIC and IC answering villagers' queries from the Commission

The programme started with a formal introduction RTI Act and that of the facility by the Information Commissioner. The audience present at the field location was also welcomed. Some details about the MCF activities under RTI were also provided. After that a question answer session was started wherein questions on RTI were asked by the school children and the villagers and answers were provided by the Chief Information Commissioner and the Information Commissioner.

School Children and Villagers listening to the proceedings

The launch programme carried on for approx. two hours with the children and the villagers getting satisfying replies to their queries. Inputs on use of RTI were also provided by the local MLA as well as the Gram Pradhan. The MLA, Gram Pradhan and the villagers were an elated lot with their village being conferred the honour of being the first village to be covered by the UIC under the mobile VC facility, which was to a large extent was made possible due to the active involvement of the children in exercising the RTI Act.

The Video Conferencing in progress

Queries being Answered during the Video Conferencing

The launch programme carried on with informative inputs to the villagers from Dr. B. P. Maithani, Mrs. Geeta Gairola, State Director, Mahila Samakhya. The ending remarks were given by the Chief Information Commissioner and the programme was finally concluded with the singing of the National Anthem.

Glimpses of the Video Conferencing

Uttarakhand Information Commission will soon be carrying out such video conferences in other villages / remote parts of the state covering the entire 13 districts. The residents of the visited village / remote area would be provided the facility of submitting their complaints or appeals to the Commission through the mobile van itself. The mobile van would also carry with it a register to enter the complaints / appeals received from the villagers. The complaints / appeals would be processed at the Commission in the same manner as it is done with complaints / appeals received through normal post.

उपरोक्त उद्घाटन सत्र के उपरांत वर्ष 2010 – 11 में दिनांक 22/01/11 एवं 29/01/11 को भी ''सूचना वाहक'' के माध्यम से वीडियो कांफ्रैंसिंग सत्र आयोजित किये गये. उक्त सत्रों के कार्यवृत्त तथा प्रैस कवरेज अग्रेतर उदृत किये जा रहे है :

आज दिनांक 22/1/2011 को विकास खण्ड, कालसी अन्तर्गत डामटा ग्राम में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की मोबाईल वैन के द्वितीय चरण का कार्यक्रम माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा एंव श्री विनोद नौटियाल जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम का संचालन उप सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयुक्त द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में डामटा क्षेत्रवासियों द्वारा अपनी जिज्ञासायें प्रस्तुत की गयी जिनका विवरण निम्नवत है:–

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है ?

मान्य राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत के प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्धअधिकार है जो कि उन्हें भारत की संसद के द्वारा प्रदान किया गया है।उक्त अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार प्राप्त हो गया है कि किसी भी सरकारी कार्यालय अथवा जनप्रतिनिधि द्वारा अपने कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा रहा है या नहीं ? यह अधिकार प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है।

1.2 ग्रामीण द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट की गई कि अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद लोक सूचना अधिकारी जो सूचना दे रहा है उसे सही कैसे माना जाये ?

माननीय श्री विनोद नौटियाल द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारदिर्शता के लिये बना है । सूचना लेने वाले व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिये कि जो सूचना उन्हे उपलब्ध करायी गयी है वह सूचना सही है या नहीं यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना को छिपाया गया है कि तो वह उक्त सूचना को किसी दूसरे विभाग से भी प्राप्त कर उसके सही होने की जांच कर सकते हैं। यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सही सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है तब आवेदक द्वारा लोक सूचना अधिकारी के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है। यदि आवेदक प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश पर भी संतुष्ट नहीं होता है तब वह उत्तराखण्ड सूचना अयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है तदोपरान्त उन्हें अनुमन्य सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तब उन पर शस्ति भी आरोपित की जाती है तथा अपीलकर्ता द्वारा जो समय, श्रम व सामर्थ अनुमन्य सूचना को प्राप्त करने में व्यय होता है उसके सापेक्ष उन्हें क्षतीपूर्ति प्राप्त कराये जाने का भी प्राविधान है।

1.3 ग्रामीणों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति किसी सूचना का प्राप्त करना चाहता है तब वह किस प्रकार से अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा ?

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम इतना सरल बनाया गया है व उसकी प्रकिया इतनी सरल है कि कोई भी समान्य व्यक्ति बडी आसानी से सूचना प्राप्त कर सकता है यदि वह बी0पी0एल0 कार्ड धारी है तब वह सूचनायें निःशुल्क लेने का अधिकारी बन जाता है। यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति तब उसके लिये सूचना का अधिकार अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि वह लोकसूचना अधिकारी के कार्यालय में जाकर लोक सूचना अधिकारी को मौखिक रूप से अपने प्रश्नों को लिखवा सकता है जिन्हें लोक सूचना अधिकारी द्वारा टंकित कर उसकी एक प्रति अपने पास रखते हुये दूसरी प्रति अनरोधकर्ता को दी जानी होती है जिसके सापेक्ष लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को अनुमन्य सूचना 30 दिन के अन्तर्गत उपलबध करायी जानी चाहिये। यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सही सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है तब आवेदक द्वारा लोक सूचना अधिकारी के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है। यदि आवेदन प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश पर भी संतुष्ट नहीं होता है तब वह उत्तराखण्ड सूचना अयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

1.4 ग्रामीणों द्वारा जिज्ञासा व्यक्त की गई कि यदि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से उन्हें सूचनायें उपलब्ध नहीं होती हैं तब क्या किया जाये ?

मान्य राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि यदि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से 30 दिन के अन्दर सूचनायें उपलब्ध नहीं होती हैं तब आवेदक द्वारा लोक सूचना अधिकारी के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आवेदक प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश पर भी संतुष्ट नहीं होता है तब वह उत्तराखण्ड सूचना अयोग के समक्ष 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

1.5 डामटा के प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गई कि क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा भी सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ?

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकारी अधिनियम भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है तथा वह सूचना ले सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी वरिष्ठता, स्थानान्तरण इत्यादि के रूप में सूचनायें प्राप्त कर सकता है। किसी भी लोक सूचना अधिकारी का कार्य मात्र सूचना देना ही नहीं वरन वह अपने संबंध में भी सूचना प्राप्त कर सकता है।

1.6 ग्राम प्रधान द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि यदि कोई निजि संस्था से सूचना प्राप्त करना चाहता है तब वे किस प्रकार से सूचना प्राप्त कर सकता है ?

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड प्रदेश में 40,000 से अधिक गैर स्वायत शासीय संस्थायें कार्यरत हैं इनमें से भी जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त होती है वे लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आती हैं और प्रत्येक लोकप्राधिकारी को अपने कार्यालय में सहायक लोक सूचना अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी धारा 5 के अन्तर्गत नामित करना होता है। यदि किसी संस्था द्वारा अपने लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी का नामाकन बार्ड नहीं लगाया गया है तो इसकी शिकायत भी की जा सकती है।

1.7 श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गई कि उनके द्वारा वन विभाग में भर्ती प्रकरण से सबंधित सूचना मांगी गयी थी जो उन्हें पांच माह बाद उपलब्ध करायी गयी के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही क्या की जानी चाहिये

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि वें प्रश्नगत प्रकरण को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा यदि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी समयान्तर्गत सूचनायें उपलबध नही करायी जाती है तब वे आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा ग्रामिणों को सूचना प्राप्त करने की प्रकिया के संबध में अवगत कराया गया कि सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति हिन्दी या अंग्रेजी में लिखित रूप में या ई–मेल द्वारा अनुरोध कर सकते हैं। सूचना का आवेदन पत्र सम्बन्धित लोक प्राधिकारी/विभाग के किसी भी लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जायेगा। अपने सभी लोक सूचना अधिकारियों के पते तत्कालिक प्रकटन (प्रोएक्टिव) वाली सूचनाओं के अन्तर्गत प्रकाशित करना व सूचना अधिकार निर्देशिका में प्रकाशित करना प्रत्येक लोक प्राधिकारी/विभाग का धारा 4 तथा 26 के अन्तर्गत दायित्व है। इसकी जानकारी सूचना अधिकार की वेबसाइट rti.nic.in से तथा विभाग के अधिकारियों से भी की जा सकती है।

उपरोक्त प्रकार से ग्राम डामटा के ग्रामवासियों, प्रश्नगत प्रकरण पर उपस्थित माननीय ग्राम प्रधान, क्षेत्रपंचायत सदस्यों व अन्य जनप्रतिनिधियों का साधुवाद करते हुये माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री विनोद नौटियाल व श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा बैठक का समापन किया गया।

आज दिनांक 29/1/2011 को ग्राम पचायत घर–सारगधरवाला, ब्लाक डाइवाला में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की मोबाईल वैन के तृतीय चरण का कार्यक्रम माननीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री नृप सिंह नपलच्याल एंव राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम का संचालन उप सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयुक्त द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में डामटा क्षेत्रवासियों द्वारा अपनी जिज्ञासायें प्रस्तुत की गयी जिनका विवरण निम्नवत है:–

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है ? हमें इससे क्या–क्या फायदें हो सकते हैं और हम इससे किस प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं ?

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक सशक्त हथियार है जो ऐसी सूचनाओं की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो भष्ट्राचार को राकेने के लिये और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक है। सूचना का अर्थ किसी भी सामग्री जैसे ई–मेल के रूप में, इलैक्ट्रानिक के रूप में, रिकार्ड, सरकारी आदेश या अभिलेख के रूप में हों यह सब सूचना की परिभाषा में आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा अनुरोधकर्ता योजनाओं, रिकार्ड तथा विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है।

1.2 क्या कोई आवेदनकर्ता पूर्व में ली गयी सूचना जो उसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गयी हो को दुबारा चाहने हेतु आवेदन कर सकता है ?

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में ली गयी सूचना जो आवेदनकर्ता को प्राप्त हो उस पर दुबारा आवेदन नहीं करा सकता लेकिन उसी बिन्दुओं की सूचना चाहने हेतु अन्य आवेदक आवेदन कर सकता है।

1.3 ग्राम प्रधान द्वारा इस आशय की सूचना चाही गयी कि अभि तक सभी अभिलेख पूर्व ग्राम प्रधान के पास संरक्षित हैं तो वह किस प्रकार सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायें ?

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें सभी अभिलेख पूर्व ग्राम प्रधान से ले लेने चाहियें और यदि वह अभिलेख उन्हें प्राप्त नहीं होते तो उन्हें विकास खण्ड अधिकारी से उनकी शिकायत करके एस.डी.एम के सहायोग से अभिलेख उपलब्ध करने होंगे।

1.4 ग्रामीणों द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट की गई कि यदि किसी वकील के माध्यम से तीसरे पक्ष की सूचना चाही गयी है जबकि तीसरे पक्ष को यह नहीं मालम होता है मेरे विषय में सूचना चाही गयी है की सूचना मांगी जा सकती है ?

माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि कानून द्वारा यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि वकील द्वारा सूचना मांगने पर कोई आपत्ति नही है। शिकायतकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिये। यदि तीसरे पक्ष की सूचना चाही गयी है तो सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस देना पड़ेगा कि आपका इस संबंध में क्या कहना है और तीसरे पक्ष को यह सूचना 10 दिन के अन्दर दी जायेगी।

1.5 सूचना चाहने हेतु आवेदन कैसे किया जायेगा ?

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा ग्रामीणों को अवगत कराया कि सूचना प्राप्ति की विधि बड़ी ही सरल है इसके लिये तय की गयी फीस औचित्यपूर्ण है। सूचना के लिये 10 रूपये का शुल्क विभिन्न माध्यमों से कार्यालय में जमा कर वांछित बिन्दुओं की सूचना प्राप्त की जा सकती है यदि प्रार्थी बी.पी.एल. कार्डधारी है तो उसे शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं वह बी.पी.एल. कार्ड की प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर सूचना प्राप्त कर सकता है। अगर आवेदक द्वारा आवेदन बनाने मे कोई कठिनाई हो रही है तो वह लोक सूचना अधिकारी का सहयोग ले सकता है लोक सूचना अधिकारी उन्हें सहायोग देंगे।

1.6 ग्रामीणों द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट की गई कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यू 20 साल पहले हो चुकि हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त किया जा सकता है ?

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा ग्रामीणों को अवगत कराया कि मृत्यू होने के पश्चात् मृत्यू का प्रमाण पत्र विकास खण्ड अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है यदि मृत्यू का कोई प्रमाण मृत्यू रजिस्टर पर अंकित न हो तो मृत व्यक्ति का प्रमाण परिवार के सदस्यो द्वारा ही दिया जायेगा।

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रकिया के संबंध में अवगत कराया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को लागू करने के लिये प्रत्येक विभाग के लोक प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुसार लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं आवेदक 10 रू0 का शुल्क विभिन्न माध्यमों से कार्यालय में जमा करा कर वाछित बिन्दुओं की सूचना लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध कर सकता है यदि प्रार्थी बी.पी0एल. कार्डधारी है तो उसे शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं। जन साधारण से प्राप्त प्रार्थना पत्रो के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की है जिसे 30 दिन के अन्तर्गत उपलबध कराना निश्चित है। यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा यदि सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है या भ्रामक सूचना दी जा रही है तो वह विभाग के अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वार अपील का निस्तारण 45 दिन के अन्दर किया जाना तय है। यदि इस प्रकिया के उपरान्त भी आवेदक को सूचना प्राप्त नही करायी गयी है तो वह आयोग के समक्ष शिकायत या अपील के रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसका निस्तारण आयोग द्वारा पक्षों को सुनने के पश्चात् किया जाता है।

उपरोक्त प्रकार से ग्राम पंचायत घर– सारगधरवाला, ब्लाक डोईवाला प्रश्नगत स्थल पर उपस्थित माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत, प्रधान ग्राम कोटसी, क्षेत्रपंचायत सदस्यों व अन्य जनप्रतिनिधियों का साधुवाद करते हुये माननीय मुख्य सूचना आयुक्त एंव राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा बैठक का समापन किया गया।

सूचना मांगने में डर रहे हैं कर्मचारी

ओबी वैन के जरिए आयुक्तों ने दिए जवाब, कालसी के डाम्टा गांव से ग्रामीणों ने पूछे सवाल

वरिष्ठ संवाददाता

देहरादून

सूचना के अधिकार के तहत अधिकतर लोग अपने विभाग से सूचना मांगने में डर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं सूचना मांगने पर उनका तबादला दूरस्थ क्षेत्रों में न कर दिया जाए। यह तथ्य सूचना आयोग की ओबी वैन के कालसी ब्लाक के डाम्टा गांव में वीडियो कांफ्रेंसिंग में उजागर हुआ। सूचना आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी अपने विभाग से सूचनाएं मांग सकते हैं। इसमें किसी तरह की तकनीकी समस्या नहीं है। सूचना मांगने वाले व्यक्ति को अनावश्यक परेशान किए जाने का भी आयोग संज्ञान लेगा।

डाम्टा गांव में शनिवार को सूचना आयोग की ओबी वैन गई थी। इस दौरान वहां लगभग 300 ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने देहरादून में सूचना आयोग के दफ्तर में बैठे सूचना आयुक्तों विनोद नौटियाल व अनिल कुमार शर्मा से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जानकारी मांगी। ग्रामीणों ने सूचना मांगने की प्रक्रिया, किसी अन्य स्थान के विषय में सूचना मांगने, तीसरी पार्टी के बारे में सूचना मांगने आदि के संबंध में पूछा। सूचना आयोग ने स्पष्ट किया कि विदेश में रह रहा भारतीय नागरिक भी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। आयुक्तों ने ग्रामीणों से कहा कि वह सरकारी योजनाओं के विषय में अधिक से अधिक जानकारी रखें। बाद में लोक सूचना अधिकारियों से वित्तीय स्वीकृति, खर्च, गुणवत्ता के विषय में सूचना मांगी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे गांव के विकास में तेजी आएगी।

इस दौरान बिजली न होने से जनरेटर का इस्तेमाल किया गया। पावर अधिक होने से आयोग का प्रोजेक्टर भी खराब हो गया। बाद में वैन में ही लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम वन विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ। ओबी वैन के साथ मनमोहन नैथानी, राजेश नैथानी, शैलेन्द्र हटवाल आदि उपस्थित थे।

SUN DAY अमर उजाला
देहरादून । रविवार । 23 जनवरी 2011

डामटा, दून के बीच का मिट गया फासला

सूचना आयुक्तों से हुए लोग रू-ब-रू

अमर उजाला ब्यूरो

- ओबी वैन के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- वैन के और अधिक उपयोग की कोशिश

देहरादून। राज्य सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल और अनिल शर्मा ने शनिवार को चकराता के डामटा गांव के लोगों की सूचना के अधिकार संबंधित समस्याओं का समाधान किया।

ओबी वैन के जरिए संभव हो पाई वीडियो कांफ्रेंसिंग मे आयुक्तों ने डामटा के लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। अब आयोग की ओर से ओबी वैन का और अधिक उपयोग करने की कोशिश की जा रही है।

शनिवार को आरटीआई अधिनियम की जानकारी हासिल करने में डामटा के लोगों के सामने चकराता और देहरादून के बीच की दूरी आड़े नहीं आई। ग्रामीणों ने गांव में ही आयोजित कार्यक्रम के तहत देहरादून स्थित राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में बैठे आयुक्तों से सीधे सवाल पूछे।

अधिकतर लोग यह जानना चाह रहे थे कि आरटीआई अधिनियम का प्रभावी उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। करीब आधे घंटे के कार्यक्रम में दर्जन भर सवाल आयुक्तों से पूछे गए। यह भी पूछा गया कि क्या सरकारी कर्मी सरकारी विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी हासिल कर सकता है। कोई अगर विदेश में है, तो क्या वह आरटीआई का उपयोग कर सकता है।

आयुक्तों के मुताबिक प्रत्येक भारतीय नागरिक को आरटीआई के उपयोग का अधिकार है। विदेश में होने पर भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर जानकारी हासिल की जा सकती है।

यह कार्यक्रम सूचना आयोग की ओबी वैन के जरिए ही संभव हो पाया। अब आयोग की ओर से इस वैन का उपयोग अधिक करने पर भी विचार किया जा रहा है।

राज्य सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल के मुताबिक तकनीकी रूप से पूरी तरह से सक्षम होने पर वैन को दूर दराज स्थानों पर भी भेजा जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डामटा गांव की समस्या सुनते अधिकारी।

आरटीआइ : साहब नाराज तो नहीं होंगे

जागरूकता

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूरस्थ डामटा क्षेत्र के लोगों को दी गई आरटीआइ की जानकारी**

देहरादून, जागरण संवाददाता : आधुनिक युग में सूचना के अधिकार का प्रयोग तो दूर की बात दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को यह भी पता नहीं है कि यह 'बला' होती क्या है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पता चला कि कालसी ब्लॉक के डामटा गांव के अधिकतर लोगों आरटीआइ की जानकारी ही नहीं है। लेकिन जब सूचना आयुक्त ने उन्हें इस कानून के बारे में बताया तो ग्रामीणों ने तमाम तरह के सवाल पूछे।

शनिवार को राज्य सूचना आयोग का विशेष वाहन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डामटा के लिए रवाना हुआ। सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल व अनिल शर्मा ने लोगों को आरटीआइ के बारे में पूछा तो लोगों ने इंकार किया। यहां तक कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी सूचना का अधिकार से अनभिज्ञ थे। एक शिक्षक ने यहां तक पूछ डाला कि कहीं सूचना मांगने से बड़े साहब नाराज होकर उनका तबादला तो नहीं कर देंगे। मगर, दोनों आयुक्त ने लोगों को न सिर्फ सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के बारे में बताया, बल्कि आवेदन का तरीका, अपील व अन्य कई चीजों की जानकारी दी। ग्रामीणों को इस 'औजार' का पता चला तो उन्होंने जिज्ञासा के अनुरूप कई सवाल पूछ डाले। लगभग ढ़ाई घंटे चली इस कॉन्फ्रेंसिंग में दर्जनों लोग आरटीआइ की जानकारी लेकर लौटे।

बिजली ने किया परेशान

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करीब 11.30 पर होनी थी, मगर ऐन वक्त पर बिजली चली गई। जेनरेटर लगाया गया तो उसकी हाई वोल्टेज से प्रोजेक्टर ही फुंक गया।

गांव तक आरटीआई की दस्तक

देहरादून (एसएनबी)। महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत क्या सरकारी कर्मचारी अपने विभाग से संबंधित सूचनाएं भी ले सकते हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं विभाग के संबंध में सूचना लेने पर मेरा स्थानांतरण और भी दुर्गम क्षेत्र में हो जाए ? यह सवाल विकास खंड कालसी के ग्राम डामटा में तैनात शिक्षिका ने सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल व अनिल कुमार शर्मा से किया।

आरटीआई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सूचना आयोग ने वन विभाग के सहयोग से ग्रामीणों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग का आयोजन किया। कांफ्रेंसिंग के लिए आयोग की टीम ओबी वैन के साथ डामटा भेजी गई। आयोग में सूचना आयुक्त विनोद नौटियाल व अनिल कुमार शर्मा स्क्रीन के सामने बैठकर ग्रामीणों के सवालों का जवाब दे रहे थे। आरटीआई को लेकर ग्रामीण महिलाएं काफी उत्सुक थीं। उन्होंने सूचना लेने की प्रक्रिया के बारे में सवाल किए। किसी ने यह जानना चाहा कि क्या तीसरे पक्ष के बारे में भी सूचनाएं ली जा सकती है। इस पर दोनों सूचना आयुक्तों ने ग्रामीणों को बताया कि कोई भी भारतीय नागरिक आरटीआई के तहत सूचना के लिए आवेदन कर सकता है, भले ही वह विदेश में ही क्यों न रह रहा हो।

आयुक्तों ने ग्रामीणों को समझाया कि सूचनाएं लेने से पहले विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जान लें तो काफी आसानी होगी। जैसे गांवों में सरकार क्या-क्या योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के बारे में ग्रामीण जानकारी ले सकते हैं। आरटीआई से यह बात सामने आ जाएगी कि आपके गांव के लिए सरकार ने कितना पैसा भेजा और उसका कितना उपयोग किया गया। ग्रामीण जागरूक होंगे तो सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा और विभिन्न योजनाओं के तहत गांव को मिलने वाले पैसे से विकास कार्य होंगे। गांव की महिला छुमा देवी ने कहा कि उन्हें सस्ते गल्ले का राशन समय पर नहीं मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस संबंध में सूचना कैसे ली जा सकेगी। इस पर आयुक्तों ने बताया कि डीएसओ कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से इस संबंध में विस्तार से सूचना ली जा सकती है। डामटा में तैनात शिक्षिका सुनीता बाजवा ने सवाल किया कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने विभाग से संबंधित सूचनाएं भी आरटीआई से ले सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थानांतरण नीति या भुगतान आदि के संबंध में जानकारी लेने पर उनका स्थानांतरण और भी दुर्गम क्षेत्र में हो जाए।

इस पर सूचना आयुक्त श्री नौटियाल ने बताया कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी विभाग से सूचनाएं ले सकता है। जहां तक सूचना लेने के बाद परेशान करने वाली बात है तो इसके लिए आयोग में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आयोग सूचना आवेदक को हर संभव मदद करता है और जरूरत हुई तो प्रशासन से सुरक्षा भी मुहैया करवा सकता है। आयुक्तों से सवाल करने वालों में क्षेत्र पंचायत सदस्य गोपाल सिंह तोमर, टीकम दास, भगत सिंह, नारायण दत्त जोशी, विजान राम, पूनम देवी, छुमा देवी, ग्राम प्रधान आदि शामिल थे। कांफ्रेंसिंग में गांव व आस-पास के करीब तीन सौ ग्रामीण उपस्थित थे। डामटा गई आयोग की टीम में राजेश नैथानी, मनमोहन नैथानी व शैलेंद्र हटवाल शामिल थे।

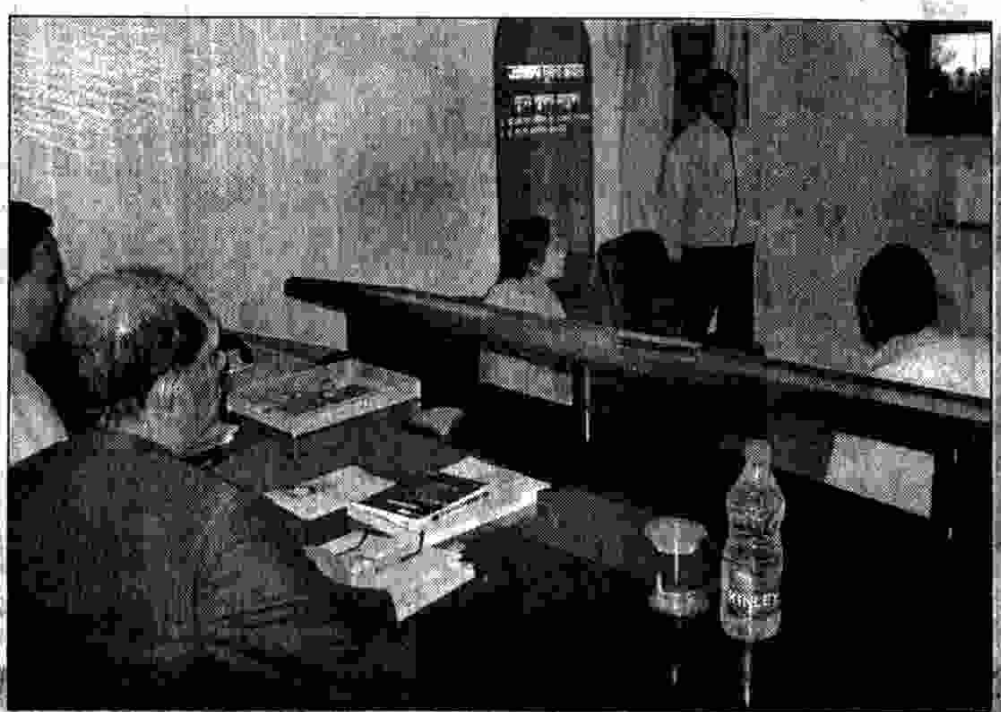

सूचना आयोग में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीणों से वार्ता करते आयुक्त।

▶ वीडियो कांफ्रेंसिंग में दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों ने सूचना आयुक्तों से पूछे कई रोचक सवाल

प्रोजेक्टर जला, कार्यक्रम लेट

देहरादून। डामटा में बिजली नहीं होने से सूचना आयुक्तों की ग्रामीणों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग समय पर शुरू नहीं हो पाई। कांफ्रेंसिंग सुबह 11 बजे शुरू होनी थी। इसके लिए डामटा गांव में ग्रामीणों को एक कमरे में बिठाया गया लेकिन बिजली नहीं होने से सिस्टम चालू नहीं हो पाया। साढ़े बारह बजे के करीब प्रोजेक्टर को जनरेटर से जोड़ा गया लेकिन वोल्टेज अधिक होने से प्रोजेक्टर जल गया। फिर किसी तरह ओबी वैन के पास ही एक बजे के करीब कार्यक्रम शुरू किया गया।

वर्ष 2010 – 11
में आयोग को प्राप्त बजट
एवं
सम्प्रेक्षण कार्य

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में ,

सचिव,

राज्य सूचना आयोग ,उत्तराखण्ड

देहरादून ।

सचिवालय सामान्य प्रशासन (लेखा) अनुभाग–4 **देहरादून : दिनांक 21 जून 2011.**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या –06–आयोजनेत्तर–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –800–अन्य व्यय–13–सूचना आयोग की स्थापना मद के अन्तर्गत आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ 4585 हजार (₹ पैंतालिस लाख पिचासी हजार मात्र) निम्नविवरण के अनुसार सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

धनराशि ₹ हजार में

मद	कुल प्राविधानित बजट	पत्रांक 64 दि0 08.04.2011के द्वारा निवर्तन मे रखी गयी धनराशि	वर्तमान में निर्वतन में रखी जा रही धनराशि	कुल निवर्तन में रखी गई धन राशि
04– यात्रा व्यय	100	25	75	100
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10	2	8	10
07– मानदेय	50	12	38	50
08– कार्यालय व्यय	800	200	600	800
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	150	37	113	150
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400	100	300	400
13– टेलीफोन पर व्यय	250	62	188	250
15– गाड़ियो का अनुरक्षण ओर पेट्रोल आदि की खरीद	1200	300	900	1200
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1500	375	1125	1500
18– प्रकाशन	300	75	225	300
19– विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	100	25	75	100
22– आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता	200	50	150	200
26– मशीन साजसज्जा / उपकरण संयत्र	100	25	75	100
42– अन्य व्यय	600	150	450	600
45– अवकाश यात्रा व्यय	50	12	38	50

क्रमशः — 2

46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100	25	75	100
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सबधी स्टेशनरी का क्रय	200	50	150	200
योग	6110	1525	4585	6110

2– शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जाय ।

3– उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग –1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 209/XXVII(1) / 2011 दिनांक 31 मार्च 2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सचिव, सूचना आयोग,उत्तराखण्ड के निर्वतन में रखा जा रहा है।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
सचिव ।

संख्या 29/XXXII(12) /बजट–2011 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– वित्त अनुभाग 5 / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5– गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव ।

संख्या 1276/XXXI(13)-G/बजट–2010

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में ,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग, उत्तरांखण्ड
देहरादून ।

सचिवालय सामान्य प्रशासन अनुभाग **देहरादून : दिनांक 07 दिसम्बर 2010.**

विषय **उत्तराखण्ड सूचना आयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में अतिरिक्त बजट आवंटन**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में उत्तराखण्ड सूचना आयोग हेतु अनुदान संख्या–06–आयोजनेत्तर–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –800–अन्य व्यय–13–सूचना आयोग की स्थापना के अन्तर्गत प्राविधानित बजट व्यवस्था की धनराशि कम होने के फलस्वरूप निम्नलिखित मदों में व्यय हेतु ₹ 4540 हजार (₹ पैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि को राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में आहरित कर व्यय करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मद	निवर्तन में रखी जा रही अतिरिक्त धनराशि (हजार ₹ में)
01–वेतन	200
02– मजदूरी	50
03– महगाई भत्ता	90
06– अन्य भत्ते	50
08– कार्यालय व्यय	200
09– विद्युत देय	100
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	600
13– टेलीफोन पर व्यय	250
14– कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	1200
15– गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	600
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500
17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	400
42– अन्य व्यय	100
[illegible]– कम्प्यूटर हार्ड वेयर/सॉफ्ट वेयर का क्रय	200
योग	4540

D:\BUDGET\Budget\body 2010_11 Allot GO.doc

संख्या 64 /XXXI(12)/बजट–2011

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

,वा मे .

सचिव,
राज्य सूचना आयोग ,उत्तरांखण्ड
देहरादून ।

सचिवालय सामान्य प्रशासन (लेखा) अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 08 अप्रैल 2011.

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या –06–आयोजनेत्तर–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –800–अन्य व्यय–13–सूचना आयोग की स्थापना मद के अन्तर्गत आय व्ययक में बचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि ₹ 12590 हजार (₹ एक करोड़ पच्चीस लाख नब्बे हजार मात्र) निम्नविवरण के अनुसार सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मद	धनराशि ₹ हजार में
01–वेतन	5500
02– मजदूरी	200
03– महगाई भत्ता	3300
04– यात्रा व्यय	25
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2
06– अन्य भत्ते	605
07– मानदेय	12
08– कार्यालय व्यय	200
09– विद्युत देय	200
10– जलकर/जल प्रभार	10
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	37
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
13– टेलीफोन पर व्यय	62
14– कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का कय	0
15– गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300
[redacted]	[redacted]
17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1200
18– प्रकाशन	75
19– विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	25
22– आतिथ्य व्यय/ व्यय विषयक भत्ता	50
26– मशीन साजसज्जा / उपकरण संयत्र	25
27– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50

Allot order 2011-12

	150
4 यात्रा व्यय	12
कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	25
कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	50
योग	**12590**

2– शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जाय ।

3– उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग –1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 209 / XXVII(1) / 2011 दिनांक 31 मार्च 2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सचिव, सूचना आयोग,उत्तराखण्ड के निर्वतन में रखा जा रहा है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

संख्या / XXXI(12) / बजट–2011 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– वित्त अनुभाग 5 / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5– गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव ।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून को वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान सं0 006 लेखा शीर्षक 2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 800 अन्य व्यय, 13 सूचना आयोग की स्थापना के पश्चात आवंटित बजट के सापेक्ष किये गये व्यय एवं बचत / समर्पण का विवरण पत्र

उत्तराखण्ड सूचना आयोग हेतु प्राप्त आवंटन तथा व्यय का विवरण लेखा शीर्षक 2070 00 800 13

कोड	मानक मद (स्थापना व्यय)	आवंटित धनराशि	31.3.2011 तक व्यय	अवशेष / समर्पण
1	वेतन	40,00,000.00	3690028.00	309972.00
2	मजदूरी	1,00,000.00	100000.00	0.00
3	महंगाई भत्ता	14,00,000.00	1486117.00	-86117.00
4	यात्रा भत्ता	50,000.00	46120.00	3880.00
6	अन्य भत्ते	4,40,000.00	526270.00	-86270.00
5	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10,000.00	0.00	10000.00
मानक मद (प्रशंगिक व्यय) योग		**60,00,000.00**	**58,48,535.00**	**1,51,465.00**
7	मानदेय	50,000.00	33000.00	17000.00
8	कार्यालय व्यय	6,00,000.00	600000.00	0.00
9	विद्युत देय	1,10,000.00	110000.00	0.00
10	जलकर जल प्रभार	5,000.00	5000.00	0.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,75,000.00	175000.00	0.00
12	कार्यालय फर्नीचर उपकरण	50,000.00	49913.00	87.00
13	टेली फोन व्यय	2,50,000.00	250000.00	0.00
14	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारें / मोटर गाड़ियों का क्रय			0.00
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7,00,000.00	700000.00	0.00
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15,00,000.00	1500000.00	0.00
17	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	4,50,000.00	450000.00	0.00
18	प्रकाशन	4,00,000.00	240423.00	159577.00
19	विज्ञापन और विख्यापन व्यय	1,00,000.00	15865.00	84135.00
22	आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता	2,00,000.00	178374.00	21626.00
26	मशीन साज सज्जा / उपकरण संयत्र	1,00,000.00	95297.00	4703.00
27	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50,000.00	21249.00	28751.00
42	अन्य व्यय	6,00,000.00	600000.00	0.00
45	अवकाश यात्रा	50,000.00	0.00	50000.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	50,000.00	50000.00	0.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी क्रय	2,00,000.00	200000.00	0.00
	योग [B]	**56,40,000.00**	**52,74,121.00**	**3,65,879.00**
	कुल योग [A+B]	**1,16,40,000.00**	**1,11,22,656.00**	**5,17,344.00**

उत्तरांचल सूचना आयोग देहरादून को वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान सं0 006 लेखा शीर्षक 2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 800 अन्य व्यय, 13 सूचना आयोग की स्थापना के पश्चात आवंटित बजट के सापेक्ष किये गये व्यय एंव बचत / समर्पण का विवरण पत्र

आकास्मिकता निधि से प्राप्त बजट का व्यय विवरण वित्तीय वर्ष 2010–2011

कोड	मानक मद (स्थापना व्यय)	आवंटित धनराशि	31.3.2011 तक व्यय	अवशेष
1	वेतन	2,00,000.00	0	2,00,000.00
2	मजदूरी	50,000.00	28731.00	21,269.00
3	महंगाई भत्ता	90,000.00	0.00	90,000.00
4	यात्रा भत्ता	-		-
6	अन्य भत्ते	50,000.00	0.00	50,000.00
5	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	-		-
मानक मद (प्रशासनिक व्यय) योग		**3,90,000.00**	**28,731.00**	**3,61,269.00**
7	मानदेय	-		0.00
8	कार्यालय व्यय	2,00,000.00	199508.00	492.00
9	विद्युत देय	1,00,000.00	64357.00	35643.00
10	जलकर जल प्रभार	-		0.00
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	-		0.00
12	कार्यालय फर्नीचर उपकरण	6,00,000.00	600000.00	0.00
13	टेली फोन व्यय	2,50,000.00	247276.00	2724.00
14	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों /मोटर गाडियों का क्रय	12,00,000.00	1073542.00	126458.00
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6,00,000.00	556366.00	43634.00
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,00,000.00	499421.00	579.00
17	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	4,00,000.00	68300.00	331700.00
18	प्रकाशन	-		0.00
19	विज्ञापन और विख्यापन व्यय	-		0.00
22	आतिथ्य व्यय /व्यय विधायक भत्ता	-		0.00
26	मशीन साज सज्जा / उपकरण संयत्र	-		0.00
27	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-		0.00
42	अन्य व्यय	1,00,000.00	99370.00	630.00
45	अवकाश यात्रा	-		0.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/सापटवेयर का क्रय	2,00,000.00	200000.00	0.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी क्रय	-		0.00
	योग (B)	**41,50,000.00**	**36,08,140.00**	**5,41,860.00**
	कुल योग (A+B)	**45,40,000.00**	**36,36,871.00**	**9,03,129.00**

संख्या 6094 / XXXI(12)1 / बजट–2010

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग ,उत्तराखण्ड
देहरादून ।

29 OCT 2010
14544

सचिवालय सामान्य प्रशासन (लेखा) अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 29 अक्टूबर 2010.

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या –06–लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें आयोजनेत्तर –800–अन्य व्यय–13–सूचना आयोग की स्थापना मद के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 500 हजार (रूपया पांच लाख मात्र) निम्नविवरण के अनुसार सचिव,सूचना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार रू0 में)

मद	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्राविधानित राशि	अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित राशि	कुल राशि
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	500	1500

2– शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन किया जाय ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 449 NP/XXVII(5)/10 दि0 13 अक्टूबर 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

संख्या / XXXI(12) / बजट–2010 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– वित्त अनुभाग– 5 / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5– गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडौनी)
अनु सचिव ।

D:\BUDGET\Budget\budget 2010_11 Allot GO.doc

Acct
29/10/10

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सम्प्रेक्षण विषयक

क.	सम्प्रेक्षण अवधि	सम्प्रेक्षण तिथि	सम्प्रेक्षण दल द्वारा लगायी आपत्तियों की संख्या	सम्प्रेक्षण दल द्वारा लगायी आपत्तियों की निराकरण संख्या
1	अप्रैल, 2010 से जून 2011 तक	16.06.2011 से 20.06.2011 तक	दो भाग – 1 पैरा	दो भाग – 1 पैरा

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्त, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची

वर्ष 2010 – 11

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम
1	डा. आर. एस. टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त (01/04/10 से 17/10/10 तक)
2	श्री एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त (19/10/10 से)
3	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त
4	श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त (19/10/10 से)
5	श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त (19/10/10 से)
6	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव
7	श्री राजेश नैथानी, निजी सचिव/जन संपर्क अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त
8	श्री बी.डी. जोशी, विधि सलाहकार (19/11/10 तक)
9	श्री मनमोहन नैथानी, लेखाकार
10	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी
11	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै, सहायक समीक्षा अधिकारी
12	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
13	श्री नरेश बिजलवाण, आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
14	कु. नीतू रावत, आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
15	श्रीमती रजनी भण्डारी, प्रेषण लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर
16	सुश्री पूनम डबराल, कम्प्यूटर आपरेटर / व्यैक्तिक सहायक
17	श्री शैलेन्द्र हटवाल, कम्प्यूटर आपरेटर
18	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक
19	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक
20	श्री मनोज सिंह, अनुसेवक / डाक रनर
21	श्री प्रदीप खत्री, अनुसेवक
22	श्री रवेन्द्र सिंह, अनुसेवक
23	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक
24	श्री नागेन्द्र भट्ट, वाहन चालक
25	श्री दिनेश सेमवाल, वाहन चालक
26	श्री मातबर सिंह, वाहन चालक
27	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड
28	श्री डबल सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड
29	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड
30	श्री जगमोहन सिंह गुसाई, सुरक्षा गार्ड

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com